लोक सभा

शुक्रवार,
३ सितम्बर, १९५४

वाद विवाद

(भाग १—प्रश्नोतर)

खंड ४, १९५४

(२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

1st Lok Sabha

सप्तम सत्र, १९५४

(खंड ४, में अंक १ से अंक २५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

(खंड ४—अंक १ से २५—२३ अगस्त से २४ सितम्बर, १९५४)

अंक १—सोमवार, २३ अगस्त, १९५४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७, १०, २४, ३१, ९, १२ से १७, १९, २१ से २३, २५ से २७, २९, ३२, ३३, ३५ . . १—४०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६, ८, ११, १८, २०, २८, ३०, ३४ ४०–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से ५, ७ से १७ . . . ४५–५६

अंक २—मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३९, ४१ से ४३, ४५ से ५४, ५६ से ६०, ६२, ६३, ६५ से ७६, ७८ से ८१ और ८३ . . ५७–१०७

अल्पसूचना प्रश्न संख्या १ से ३ . . . . . १०७–११५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४०, ४४, ५५, ६१, ६४, ७७, ८२ और ८४ ११५–११९

अतारांकित प्रश्न संख्या १८ से ३८, ४० से ४३ . . ११९–१३८

अंक ३—बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८५ से ९०, १२७, ९१ से ९३, ९५ से १०३, १०५ से ११२, १२४, ११३ और ११४ १३९–१८२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ १८३–१८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४, ११५ से १२३, १२५, १२६, १२८ से १४० १८५-१९९

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४ से ४८, ५० से ५९, ६१ और ६२ १९९-२१०

अंक ४— बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४१ से १४५, १४७ से १६१, १६३, १६५ से १७८ २११-२५६

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ २५६-२५९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४६, १६२, १६४, १७९ से १८५ २५९-२६६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६३ से ७४ २६६-२७४

अंक ५— शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या १८६, २२७, १८७ से २०१, २०३, २०५, २१७, २०६, २०७, २०९ से २१६, २१८, २१९ . . . . २७५–३२०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २०२, २०४, २२०, २२१ से २२६, २२८ से २३० . . . . . ३२१–३२८

अतारांकित प्रश्न संख्या ७५ से १०५ . . . . . ३२८–३५०

अंक ६— सोमवार, ३० अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या २३१ से २३४, २३६, २३८ से २४८, २५० से २५२, २५५ से २५७, २५९, २६०, २६२ से २६५ . . ३५१–३९५

	स्तम्भ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २३५, २४९, २५४, २५८, २६१, २६६ से २७१, २७३, २७४, २७६, २७७ से २७९ . . .	३९५–४०६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०६ से ११७, ११९ से १२८ . . .	४०६–४२४

अंक ७-- मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८० से २८७, २८९ से ३०१, ३०४, ३०६, ३०८ से ३११, ३१३, ३१४, ३१६, ३१८ से ३२० . .	४२५–४७२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या २८८, ३०२, ३०५, ३०७, ३१५, ३१७, ३२१ से ३३२	४७३–४८४
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १५१ . .	४८४–४९८

अंक ८-- बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३३, ३३५, ३३६, ३३८ से ३४३, ३४५, ३४७, ३४८, ३५८, ३४९, ३५०, ३५२, ३५३, ३५५, ३५६, ३५९, ३६०, ३६३ से ३६६, ३६९ से ३७२, ३७४, ३७६ से ३७८ . .	४९९–५४५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६	५४५–५४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ३३४, ३३७, ३४४, ३४६, ३५१, ३५४, ३५७, ३६१, ३६२, ३६७, ३६८, ३७३, ३७५, ३७९ से ३९५ . . .	५४८–५६४
अतारांकित प्रश्न संख्या १५२ से १५६, १५९ से २०० . .	५६५–५९८

अंक ९—बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४०१, ४०३ से ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ से ४१५, ४१८ से ४२०, ४२४, ४३८, ४२५ से ४२७, ४२९ से ४३२, ४३४, ४३५, ४३७, ५९९—६४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९७, ४०३, ४०८, ४११, ४१२, ४१६, ४१७, ४२१, से ४२३, ४२८, ४३३, ४३६, ४३९ से ४४१. . ६४३—६५१

अतारांकित प्रश्न संख्या २०१ से २१९. . . . ६५१—६६२

अंक १०—शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४४२, ४४५ से ४५६, ४५८, ४६० से ४६६, ४६८, ४७०, ४७१, ४७३, ४७५, ४७७ से ४८२ . . ६६३—७०७

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर—

अल्पसूचना प्रश्न संख्या ६ . . . . . ७०७—७११

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न–संख्या ४४३, ४४४, ४५७, ४५९, ४६७, ४६९, ४७२, ४७४, ४७६, ४८३ से ५०४ . . . . ७११—७३०

अतारांकित प्रश्न संख्या २२० से २३३, २३४ से २४१ . . ७३०—७४४

अंक ११—सोमवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०६, ५०७, ५०९ से ५१६, ५१९, से ५२१, ५२६, ५२८, ५२९, ५३३, ५३५, ५३९, ५४१, ५४७, ५४९, ५५०, ५५२ से ५५५, ५६१, ५६४, ५६५ ७४५-७९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—— स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१७, ५१८, ५२२ से ५२५, ५२७, ५३० से ५३२, ५३४, ५३६ से ५३८, ५४०, ५४२ से ५४६, ५४८, ५५१, ५५६ से ५६०, ५६२, ५६३, ५६६ से ५७५ . . . . ७९०-८१४

अतारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २७४ . . . . ८१४-८३२

———

अंक १२—बृहस्पतिवार, ७ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७७, ५७९, ५८१ से ५८४, ५८६, ५८७, ५८९, ५९१ से ५९४, ६०२, ६०८, ६०६, ६०७, ६०९, ६१२, ६३४, ६३५, ६१३ से ६१५, ६२० से ६२६, ६२८, ६२९, ६३३ . . . . ८३३-८७२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५७६, ५७८, ५८०, ५८५, ५८८, ५९०, ५९५ से ६०१, ६०३, ६०४, ६१०, ६१६ से ६१९, ६२४, ६२५, ६२७, ६३० से ६३२ . . ८७३-८८७

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ से २८२, २८४ से २९१, २९३ से २९५ . . . . . ८८८-८९८

———

अंक १३— बुधवार ८ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३६, ६३८ से ६४०, ६४२ से ६४७, ६५०, ६५१, ६५५ से ६५७, ६६१ से ६६४, ६६७, ६६८, ६७० से ६७५, ६७७, ६७८, ६८१ से ६८४ . . ८९९—९४३

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . . ९४४—९४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३७, ६४१, ६४८, ६४९, ६५३, ६५४, ६५८ से ६६०, ६६५, ६६६, ६६९, ६७६, ८७९, ६८०, ६८५ से ६९७ . . . . . ९४६—९६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २९६ से ३२६ . . . ९६२—९८४

अंक १४—शुक्रवार १० सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९८, ७०० से ७०३, ७०५ से ७१६, ७२०, ७१७, ७२२, ७२४, ७२५, ७२७, ७३० से ७३३, ७३८, ७४०, ७४१, ७४४, ७६२, ७४५, ७४६ . . . ९८५—१०३२

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ९ . . . . १०३२—१०३५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९९, ७०४, ७१८, ७१९, ७२१, ७२३, ७२६. ७२८, ७२९, ७३४ से ७३७, ७३९, ७४२, ७४३, ७४७, से ७६१, ७६३ से ७७१ . . . . १०३५—१०६२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३२७ से ३७९ . . . १०६२—१०९२

———

अंक १५—शनिवार, ११ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७२ से ७७५, ७७६ से ७८२, ७८५, ८०९, ७८८, ७८९, ७९१, ७९३, ७९५ से ७९७, ७९९ से ८०५, ८०७, ८११ से ८१३, ८१६ से ८१८ . . १०९३—११४०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १० . . . . ११४०—११४३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७७५, ७८४, ७८६, ७८७, ७९२, ७९४ ७९८, ८०६, ८०८, ८१० . . . . . ११४३—११४९

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८० से ३९८, ४०१ से ४०३ . ११४९—११६६

———

अंक १६—सोमवार, १३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८१९, ८२१ से ८३१, ८३३ से ८३५, ८३७, ८३९, ८४२ से ८४४, ८४७ से ८५६, ८५८, ८६० से ८६२ ११६७—१२०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८२०, ८३२, ८३६, ८३८, ८४०, ८४१, ८४५, ८४६, ८५७, ८६३ से ८७५ . . . . १२१०—१२२३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४०४ से ४२९ . . . . १२२४—१२४२

अंक १७—मंगलवार, १४ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७८ से ८८०, ८८३ से ८९०, ८९२, ८९३, ८९६, ९०१ से ९०७, ९१०, ९११, ९११ क, ९१२ से ९१५, ९१७, ९१९, ९२०, ९२३, ९२४, ९२६, ८७७	१२४३—१२८६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८७६, ८८१, ८८२, ८९१, ८९४, ८९५, ८९७ से ९००, ९०८, ९०९, ९१८, ९२१, ९२२, ९२५ .	१२८६—१२९४
अतारांकित प्रश्न संख्या ४३० से ४[illegible]	१२९४—१३१४

अंक १८—बुधवार, १५ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२८, ९३०, ९३२ से ९४०, ९४४, ९४८ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४ और ९६५ . . .	१३१५—१३५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२७, ९२९, ९३२, ९४१ से ९४३, ९४६, ९४७, ९६३, ९६६ से ९७९, ९८१ से ९८६, ७८३, ७९०, ८१४ और ८१५	१३५९—१३७६
अतारांकित प्रश्न संख्या ४६३ से ४८५, ४८७ और ४८८ .	१३७६—१३९२

अंक १९—बृहस्पतिवार, १६ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८७, ९९० से ९९६, ९९८, ९९९, १००२ से १००४, १०३६, १००५ से १००८, १०१०, १०१३, १०१६ से १०२५, १०२७ से १०२९	१३९३—१४४२
अल्प-सूचना प्रश्न संख्या ११	१४४२—१४४६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८८, ९८९, ९९७, १०००, १००९, १०११, १०१२, १०१४, १०१५, १०२६, १०३० से १०३५, १०३७ से १०४३ . .	१४४६—१४६२
अतारांकित प्रश्न संख्या ४८९ से ५११	१४६२—१४७८

अंक २०—शुक्रवार, १७ सितम्बर, १९५४ स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४८, १०४९ से १०५५, १०५७ से १०६०, १०६२ से १०६४, १०६७, १०६८, १०७२ से १०७८, १०८० से १०८५ . . . . . १५७९—१५२४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १२ . . . . . १५२४—१५२७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०५६, १०६३, १०६५, १०६६, १०७०, १०७६, १०८६ से ११०५ . . . . १५२७—१५४२

अतारांकित प्रश्न संख्या ५१२ से ५४६ . . १५४२—१५६६

अंक २१—सोमवार, २० सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११०६ से १११०, १११२, १११४, ११२२, ११२४ से ११२६, ११२९, ११३१, ११३४, ११३६, ११३९ से ११४३, ११४५ से ११४७, ११४९, ११५०, ११३७, ११२७, ११३५, ११२१, ११२०, ११३८, ११२८ १५६७—१६१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १११३, १११५ से १११७, १११९, ११२३, ११३०, ११४४, ११४८ ... ... १६१४—१६१८

अतारांकित प्रश्न संख्या ५४७ से ५६७ ... १६१९—१६३४

अंक २२—मंगलवार, २१ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११५१ से ११५३, ११५५, ११५७, ११५८, ११६०, ११६१, ११६३, ११६७ से ११७०, ११७३, ११७४, ११७६, ११७७, ११७९ से ११८७, ११८९ से ११९१, ११९४, ११९५, ११९८, ११९९, १२०१, १२०३ तथा ११५४ . . . १६३५—१६८४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १३ . . . . १६८४—१६८७

प्रश्नों के लिखित उत्तर-- स्तम्भ

तारांकित प्रश्न संख्या ११५६, ११५९, ११६२, ११६४, ११६५, ११६६, ११७१, ११७२, ११७५, ११७८, ११८८, ११९२, ११९३, ११९६, ११९७, १२००, १२०२ तथा १२०४ . . . १६८७–१६९६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५९३ . १६९७–१७१४

अंक २३—बुधवार, २२ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२०६, १२०९, १२१०, १२१५, १२१७, १२१९, १२२०, १२२३ से १२२६, १२२८ से १२३०, १२३१ से १२३९, १२४१ से १२४५, १२४७ से १२४९, १२५१ से १२५३, १२५५ १२५७, १२५९ . . . . . १७१५—१७६१

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १४ . . . १७६१--१७६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १२०५, १२०७, १२०८, १२११, १२१३ से १२१४, १२१६, १२१८, १२२१, १२२२, १२२७, १२३१, १२४०, १२४६, १२५०, १२५४, १२५६, १२५८, १२६० . . १७६४—१७७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९४ से ६४८ . . . . १७७६—१८०८

अंक २४—बृहस्पतिवार, २३ सितम्बर, १९५४

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६१, १२६३ से १२७०, १२७२, १२७६, १२७७, १२७९, १२८०, १२८४, १२८६, १२८८, १२८९, १२९१ से १३००, १२७५, १२७४ और १११८ . . . . . १८०९—१८५५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १२६३, १२७३, १२७८, १२८२ से १२८३, १२९० . . . . . १८५५—१८६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ६४९ से ६७९ . . . . १८६१—१८८४

स्तम्भ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०१, १३०३, १३०५ से १३१०, १३१२ से १३१४, १३१६, १३१८, १३२०, १३२१, १३२३, १३२४, १३२६, १३२८, १३३०, १३३१, १३३३ से १३३६, १३३८ से १३४१, १३४३, १३४४ . . . . . १८८५—१९३३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १३०२, १३०४, १३११, १३१५, १३१७, १३१९ १३२२, १३२९, १३३२, १३३७, १३४२ १९३३—१९३९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६८० से ७०६ ७०८ से ७१४ १९३९—१९६०

लोक-सभा

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा सवाआठ बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

व्यापार करार

*४४२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ १ जनवरी, १९५४ से लेकर अगस्त १९५४ के अन्त तक व्यापार करार किये गये; और

(ख) उक्त अवधि में किन-किन देशों को भारतीय कुटीर उद्योग के उत्पाद अधिक परिमाण में निर्यात किये गये ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). पटल पर विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ४९]

श्री डी० सी० शर्मा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या किन्हीं अन्य देशों के साथ भी इस समय व्यापार करार किये जा रहे हैं ?

श्री करमरकर : जहां तक मुझे याद है, केवल चीन के साथ व्यापार-करार हो रहा है ।

श्री डी० सी० शर्मा : प्रश्न के भाग (ख) में पूछी गई बात के अनुसार मैं यह जानना चाहता हूं कि उन देशों को निर्यात किये गये कुटीर उद्योग के उत्पादों का मूल्य अनुमानतः कितना होगा ?

श्री करमरकर : मुझे खेद है कि मैं माननीय मित्र को इस निर्यात के सही आंकड़े नहीं बता सकता ।

श्री डी० सी० शर्मा : क्या माननीय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन देशों में किन वस्तुओं की प्रायः अधिक मांग है ?

श्री करमरकर : कुटीर उद्योग उत्पादों या अन्य वस्तुओं की ?

श्री डी० सी० शर्मा : कुटीर उद्योग उत्पादों की ।

श्री करमरकर : बनारसी कमख्वाब, बिदरी का सामान, पीतल का सामान और इसी प्रकार की अन्य वस्तुएं ।

श्री बंसल : मैं जानना चाहता हूं कि इन द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के चलने के सम्बन्ध में भारत सरकार का आधुनिकतम अनुभव क्या है ?

श्री करमरकर : आधुनिकतम अनुभव बिल्कुल संतोषजनक है ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न, संख्या ४४३ जो श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा पूछा जाना है, अन्त पर लिया जाएगा। श्री राधारमण को इसके पूछने का अधिकार दिया गया है।

पटसन श्रेणीकरण

***४४५. श्री बर्मन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि वर्तमान में पटसन के रेशे का कोई वैज्ञानिक वर्गीकरण नहीं है और कृषक लोग पटसन रेशे के 'उच्च' 'मध्यम' और 'निम्न' किस्मों में अस्थाई वर्गीकरण के सम्बन्ध में सर्वथा व्यापारियों के अधीन हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार वर्गीकरण के नियम निर्धारित करने के लिये कोई कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) नहीं, श्रीमान्। भारतीय मानक संस्था ने कच्चे पटसन के वर्गीकरण के लिये पहले ही विशिष्ट मानो के नमूने प्रकाशित कर दिये हैं। और सर्वसामान्य द्वारा भी वर्गीकरण किया गया है। स्थिति यह है कि कृषक प्रायः अपना माल इकट्ठा बेचता है और उसे छांटने तथा श्रेणियों में रखने का कार्य उस समय किया जाता है जब वह किसान के हाथ से बाहर चला जाता है। राज्य सरकारों का ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित किया गया है।

श्री बर्मन : क्या यह सच है कि भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित वर्गीकरण को भारतीय पटसन निर्माता संघ ने स्वीकार नहीं किया है और उन्होंने प्रत्येक वर्ग का दुबारा विभाजन किया है। इस तरह गड़बड़ी उत्पन्न हो गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सच है कि भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित मानों को भारतीय पटसन निर्माता संघ द्वारा स्वीकार करने में थोड़ी कठिनाई है। लेकिन मैं इस मत का समर्थन नहीं करता हूं कि इससे बहुत अधिक गड़बड़ी उत्पन्न हुई है।

श्री बर्मन : पटसन जांच आयोग, १९५४ ने नियमित विपणन केन्द्रों की स्थापना के लिये सिफारिश की है जहां कृषक श्रेणीकरण के विषय में समझ सकें और वहां कृषकों को भिन्न-भिन्न श्रेणियों के सम्बन्ध में शिक्षित करने के लिये पटसन विकास एजेंसियां होनी चाहियें। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उक्त सिफारिश स्वीकार कर ली है और यदि हां, तो सरकार उसे कब कार्यान्वित करेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पटसन जांच आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं। मैं नहीं कह सकता कि सरकार ने अभी इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। जैसा मैंने कहा था, यह समस्या कठिनाइयों से परिपूर्ण है और श्रेणीकरण के लिये राज्य सरकारों का सहयोग आवश्यक है। वस्तुतः यह बात सच नहीं है कि उत्पादनकर्ता श्रेणीकरण के सम्बन्ध में कुछ जानता ही नहीं है। भारतीय पटसन का श्रेणीकरण मोटे रूप में इस प्रकार है : 'उच्च' 'मध्यम', 'निम्न' और 'निम्नतर'। सामान्यतया उत्पादनकर्ता इस श्रेणीकरण से परिचित हैं।

श्री बी० के० दास : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारतीय मानक संस्था द्वारा निर्धारित श्रेणीकरण अन्य मंडियों में मान्य है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रेणीकरण की कार्यान्विति के प्रश्न पर अभी वार्ता चल रही है।

अन्तर्कालीन प्रतिकर परियोजना

*४४६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें अन्तर्कालीन प्रतिकर योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दी जा चुकी है; और

(ख) उन्हें क्षतिपूर्ति के रूप में कुल कितनी रकम दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). २१ अगस्त, १९५४ तक १७,७४५ दावेदारों को २,९४,९४,३९५ रुपये नकद और ५०,५३,८८५ रुपये की सम्पत्ति दी गई है इसके अतिरिक्त १,७२,२५३ एकड़ निष्क्रांत कृष्य भूमि और ३३,८२,८६३ रुपये की मूल्य के बराबर कृष्य भूमि का दावा करने वाले ७,५८६ व्यक्तियों को आवंटित किये गये हैं।

डा० राम सुभग सिंह : क्या यह सच है कि इस अन्तर्कालीन प्रतिकार योजना के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद कतिपय विस्थापित व्यक्तियों को जो सरकारी मकानों और अपाहिज गृहों में रहते थे, वहां से हटा दिया गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : इन घरों अपाहिज गृहों में रहने वाले व्यक्तियों को इसी शर्त पर क्षतिपूर्ति दी जाती है कि वे घरों अपाहिज गृहों को खाली कर देंगे।

श्री भागवत झा आजाद : लाखों और करोड़ों रुपये व्यय हो जाने के बाद सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति दिये जाने का कितना प्रतिशत काम पूरा हो गया है और कितना शेष है ?

श्री जे० के० भोंसले : ५३,००० व्यक्तियों के प्राथमिक वर्ग में हमने लगभग १८,००० व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति दे दी है जिसकी रकम २॥ करोड़ रुपये से अधिक है। हमारी आशा है कि इस दर पर यथासम्भव शीघ्रता से प्रयत्न करके हम यह समस्या तय कर देंगे।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि अब तक किस श्रेणी के विस्थापितों को कम्पेनसेशन दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : किस श्रेणी के लोगों को सहायता दी गई है ?

श्री जे० के० भोंसले : प्राथमिकता वाले इन वर्गों को।

पुनर्वास मंत्री सम्मेलन

*४४७. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या पुनर्वास मंत्री सम्मेलन, जो जून १९५४ के पहले सप्ताह में श्रीनगर में हुआ था, ने पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति के अन्तिम परिमाण-स्तर के बारे में कोई निर्णय किया है ; और

(ख) क्या दावेदारों से जल्दी ही आवेदन-पत्र मांगें जायेंगे ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) (क) जी नहीं।

(ख) यह ३१ अक्टूबर, १९५४ के बाद सोचा जायगा; चुनांचे यह तारीख हाल ही में घोषित की गई विविध श्रेणियो के लिये आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तारीख है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस विशेष समिति की बैठक हुई है जो श्रीनगर सम्मेलन में क्षतिपूर्ति की सर्वोपरियोजना बनाने के लिये बनाई गई थी ?

श्री जे० के० भोंसले : उसकी बैठक १८ और १९ तारीख को हुई किन्तु क्षतिपूर्ति सम्बन्धी निर्णय करने के प्रश्न से उस समिति का कोई सम्बन्ध नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : इस विशेष उप-समिति को क्या कार्य सौंपा गया है ?

श्री जे० के० भोंसले : वह यह निश्चय करती है कि क्या दावेदारों की अवशेष श्रेणियों से आवेदन-पत्र मांगे जायें। वह उनकी तारीख भी निश्चित करती है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्षतिपूर्ति-योजना कार्य को उचित समय पर समाप्त करने के लिये क्या मंत्रालय अतिरिक्त विशेष कर्मचारियों तथा विशेष अफसरों से काम ले रहा है ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां। हम चार नये प्रादेशिक कार्यालय तथा लगभग ५० बन्दोबस्त तथा सहायक बन्दोबस्त प्राधिकारी रखने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री मेघनाद साहा : क्या पुनर्वास मंत्री हमें यह सूचित करने की कृपा करेंगे कि पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रान्त सम्पत्तियों की क्या स्थिति है और क्या उन लोगों को क्षतिपूर्ति देने की कोई योजना है जिन्होंने अपनी सम्पत्ति वहां छोड़ दी है और जो उनसे कोई लाभ नहीं उठा रहे हैं ? क्या इस पर विचार किया गया है या क्या वे इस शोचनीय स्थिति पर सोचने का प्रस्ताव करते हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : पूर्वी बंगाल के विस्थापित लोगों का अपनी पूर्वी बंगाल की सम्पत्ति पर अभी तक अधिकार है और कुछ अंश तक वे उससे लाभ उठा रहे हैं। पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये जैसा पश्चिमी बंगाल में किया गया है, योजना बनाने का कोई विचार नहीं है।

कुटीर उद्योगों का विकास

*४४८. **सेठ गोविन्द दास**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन राज्यों को जून १९५४ तक कुटीर उद्योगों के विकास के लिये क्रमशः प्रति व्यक्ति अधिकतम और न्यूनतम आर्थिक सहायता दी गई थी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कुटीर उद्योगों के लिये राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता जनसंख्या के आधार पर नहीं दी जाती। उनके द्वारा चलाई गई विशेष योजनाओं की सफलता को देख कर ही सहायता दी जाती है। मैं यह भी बता देना चाहता हूं कि मैंने बड़ी हुई धन राशि के प्रति-व्यक्ति व्यय का अन्दाज़ा लगाने का प्रयत्न किया, परन्तु यह कार्य मेरी शक्ति से बाहर था।

सेठ गोविन्द दास : यह सहायता अब तक कितने राज्यों को दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह बड़ी सूची है। पिछले वर्ष से सम्बन्धित आंकड़ों में मंत्रालय ने भिन्न-भिन्न बोर्डों जैसे, हैंडलम बोर्ड, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड, सिल्क बोर्ड तथा अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामीण उद्योग बोर्ड, के प्रतिवेदन दिए हैं। इन प्रतिवेदनों में वर्णित सभी धनराशियों की स्वीकृति दी जा चकी है। यदि माननीय सदस्य सूची चाहते हैं, तो मैं उन्हें एक लम्बी सूची पढ़ कर सुना सकता हूं जिसमें सभी राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार के पास भिन्न-भिन्न राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में सामयिक प्रतिवेदन भेजती हैं कि यह धन कैसे व्यय हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : व्यय की जांच के भिन्न-भिन्न उपाय हैं। हमने कुछ कर्मचारी नियुक्त कर रखे हैं। कुछ दिन हुए, हमने राज्यों से व्यय के पाक्षिक प्रतिवेदन भेजनें के लिए कहा है। बंटवारे हो चके हैं तथा धन बढ़ाया नहीं जा रहा है। हम, जहां

तक सम्भव है कार्य सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं परन्तु यह दूसरों के सहयोग पर ही निर्भर है।

रावी नदी के आर पार बांध

*४४९. **श्री गिडवानी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने रावी नदी के आर पार डेरा बाबा नानक स्थान पर एक बांध बनाया है जिसके परिणाम-स्वरूप नदी के पानी की दिशा बदल जाने से कुछ भारतीय ग्रामों पर रावी के पानी का प्रभाव पड़ा है ; तथा

(ख) यदि हां, तो इस विषय में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) जी हां। डेरा बाबा नानक के पड़ौस में रावी के आर-पार पाकिस्तानी अधिकारियों ने एक बांध बनाया है।

(ख) पंजाब (भारत) सरकार ने स्थिति पर ध्यान देते हुए बचाव के उपाय किए हैं। पाकिस्तान सरकार से भी इस प्रकार के बांध गिराने को कहा गया है जिससे रावी नदी के पानी की दिशा बदल जाने से भारत के भाग पर प्रभाव पड़े तथा यह सुझाव दिया गया है कि रावी नदी की दिशा बदलने के प्रश्न पर दोनों पंजाब के समुचित अधिकारी विचार-विनिमय करें जिससे समस्या का कोई स्वीकार्य हल ढूंढा जा सके।

श्री गिडवानी : भारत सरकार ने बचाव के क्या उपाय किए हैं ?

श्री सादत अली खां : यह इंजीनियरिंग सम्बन्धी स्वरूप के हैं। हमने नदी के अपने किनारे पर वर्तमान बांध को बाबा नानक पुल के साथ-साथ नदी के बहाव की ओर बढ़ा दिया है।

श्री गिडवानी : कितने गांवों पर प्रभाव पड़ा है तथा कितनी हानि हुई है ?

श्री सादत अली खां : मैं विभाजन के पश्चात्, नदी की दिशा बदलने से प्रभावित क्षेत्र का, एकड़ों में आंकड़े बता सकता हूं। मेरे विचार से यह २६,४८१ एकड़ हैं।

सरदार कम सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि पंजाब सरकार द्वारा लिए गए निवारक उपाय बेकार सिद्ध हुए तथा पाकिस्तान सरकार ने जो बांध बनाया उससे इन ग्रामों को उतनी ही हानि पहुंची ?

श्री सादत अली खान : नहीं। श्रीमान्। प्रारम्भ में हम यह नहीं कह सकते थे कि पंजाब सरकार द्वारा किये गये इन उपायों का क्या परिणाम होगा; क्योंकि उनकी जांच होनी बाक़ी थी। अब तक वे प्रभावोत्पादक ही सिद्ध हुए हैं।

नर्बदा घाटी योजना

*४५०. **श्री डाभी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री २४ फरवरी, १९५४ को पूछे गय तारांकित प्रश्न संख्या ३३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नर्बदा घाटी की तवा और पुनासा परियोजनायें प्राविधिक और वित्तीय दृष्टि से अच्छी अवस्था में पाई गई हैं;

(ख) यदि हां, तो उस विषय में अग्रेतर कार्यवाही क्या की गई है अथवा की जा रही है ; और

(ग) बड़ौच परियोजना के सम्बन्ध में होने वाली जांचों में क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). मध्य प्रदेश सरकार ने तवा परियोजना को योजना आयोग के पास भेजा है ताकि उसको दूसरी पंचवर्षीय

योजना में रख लिया जाय और वह प्राविधिक मंत्रणा समिति के विचाराधीन है, जबकि पुनासा परियोजना के सम्बन्ध में योजना आयोग को राज्य सरकार से कोई सम्मति प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) बड़ौच योजना के सम्बन्ध में प्राथमिक कार्यवाही पूरी हो गई है और नक्शे, प्राक्कलन तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं।

श्री डाभी : क्या बम्बई सरकार ने बड़ौच परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के लिये सिफारिश की है ?

श्री हाथी : परियोजना-प्रतिवेदन अभी तैयार नहीं है। यह अभी बम्बई सरकार को नहीं भेजा गया है परन्तु बम्बई सरकार द्वारा भेजी गई प्रारम्भिक सूची में उसको सम्मिलित किया गया है।

श्री डाभी : इस परियोजना की अनुमानित लागत क्या होगी और लगभग कितने क्षेत्र को यह कृषि योग्य बनायेगी ?

श्री हाथी : जैसा कि मने बताया है, नक्शे प्राक्कलन तथा परियोजना प्रतिवेदन तैयार किये जा रहे हैं। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

श्री सी० भट्ट : क्या सरकार ने बड़ौच परियोजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलति करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

श्री हाथी : जैसा कि मैंने कहा है प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं, इसके पश्चात् सरकार उनको बम्बई सरकार के पास भेजेगी। यह नहीं कहा जा सकता कि बम्बई सरकार का उस सम्बन्ध में क्या निर्णय होगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है अभी तक वहां पर कोई बड़ी आबपाशी योजना नहीं बन रही है और ऐसी परिस्थिति में तवा की जो योजना है, जिसके सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को लिखा है, उसके विषय में क्या जल्दी से कुछ किया जाना सम्भव है ?

श्री हाथी : यह सब योजनायें जो प्राविधिक मंत्रणा समिति को प्राप्त होंगी, उनकी उसी समिति द्वारा जांच की जायगी और तब वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायेगी।

पेन्सिलें

*४५१. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेन्सिलों की अपेक्षा और उत्पादन के सम्बन्ध में देश की वर्तमान अवस्था क्या है; और

(ख) देशी उद्योग के विकास के हेतु सरकार द्वारा क्या प्रोत्साहन दिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) अनुमानित कुल वार्षिक अपेक्षायें कुल ६,००,००० ।

१९५३ का उत्पादन अनुमानतः कुल १, ९१,००० ।

(ख) देशी निर्माताओं को विकास सम्बन्धी अधोलिखित सुविधायें प्रदान की गई हैं :—

(१) वास्तविक निर्माताओं द्वारा उत्तम प्रकार के कच्चे माल अर्थात सिक्के के टुकड़े तथा लकड़ी की पतली पटियों के आयात के लिये अनुमति दी जाती है।

(२) आयात नीति के विनियमन द्वारा और मुख्यतः सस्ती प्रकार की पेन्सिलों के सम्बन्ध में ऐसा करके उद्योग को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया जाता है।

श्री भूलन सिंह : स्थानीय पेन्सिलें आयात हुई पेन्सिलों के मुकाबले में सामान्यतः कैसी उतरती हैं ?

श्री करमरकर : श्रीमान्, सामान्यत ये बिल्कुल ठीक उतरती हैं।

श्री वी०पी० नायर : माननीय मंत्री ने कहा है कि सिक्के के टुकड़ों के आयात के लिये कुछ आयात सुविधायें प्रदान की गई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इस तथ्य की दृष्टि से कि भारत में ग्रेफाइट बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध है और क्योंकि हमारे पास ग्रेफाइट के शोधन के वास्ते कोई केन्द्र नहीं है क्या सरकार ने पेन्सिलों तथा अन्य उद्योगों को अपेक्षित ग्रेफाइट के भारत में ही अच्छी प्रकार से शोधन के लिये किन्हीं उपायों को अपनाया है ?

श्री करमरकर : मुझे इस सम्बन्ध में सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री इससे भिज्ञ हैं कि ग्रेफाइट के शोधन सम्बन्धित योजनायें लगभग एक वर्ष से अनेक विभागों को भेज दी गई हैं और हमें उस सम्बन्ध में कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जैसे कि मानो हमने खोये हुये पत्रों के कार्यालय को पत्र भेजे हों ?

श्री करमरकर : मुझे इसका ज्ञान नहीं अतः इस प्रश्न के सम्बन्ध में मुझे सूचना की अपेक्षा है।

हावड़ा में विस्फोटकों का खेप

***४५२. श्री पी० सी० बोस** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २० मई, १९५४ को हावड़ा रेलवे स्टेशन पर विस्फोटकों का एक खेप पाया गया था जिसमें तोपों के गोलों के खोल भी थे; और

(ख) इस खेप को किन परिस्थितियों में बुक किया गया था ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) कुछ खोल और छोटी तोपों के बम जो कि अधिकतर खाली थे, लोहे की तोड़ फोड़ के खेप में मिले हुए पाये गये थे।

(ख) यह खेप मनीपुर रोड रेलवे स्टेशन से हावड़ा को एक व्यक्ति श्री मुरारी लाल ने अपने पते पर भेजा था।

श्री पी० सी० बोस : इन विस्फोटकों को मनीपुर से कलकत्ता भेजने का क्या उद्देश्य था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : इसका उत्तर मुरारी लाल ही सबसे अच्छा दे सकता है।

श्री पी० सी० बोस क्या सरकार ने इस मामले की कोई जांच की है ?

सरदार स्वर्ण सिंह जी हां।

निर्माण कार्य में प्रशिक्षण

***४५३. श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उस प्रारम्भिक योजना के सम्बन्ध में जिसके अधीन शिक्षित युवकों को निर्माण कार्य में प्रशिक्षण दिया जाना था, अब तक क्या पग उठाये गये हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : इस योजना के अधीन प्रशिक्षण क्लासें शुरू हो चुकी हैं और प्रदर्शनी ग्राऊंड, मथुरा रोड, नई दिल्ली में जारी हैं। नई दिल्ली की प्रारम्भिक योजना के अनुसार सरोजिनी नगर, लखनऊ, में एक निर्माण कार्य केन्द्र चलाने के लिऐ भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश युद्धोत्तर सेवा पुनर्निर्माण निधि न्यास को भी वित्तीय सहायता दी है।

श्री के० पी० सिन्हा : प्रशिक्षण की अवधि क्या है और प्रवेश के लिए क्या योग्यता चाहिए ?

सरदार स्वर्ण सिंह : कम से कम योग्यता मैट्रिक है और प्रशिक्षण की अवधि मोटे तौर पर छः मास है।

श्री अच्युतन : क्या विद्यार्थियों में सब राज्यों के विद्यार्थी हैं या केवल विशिष्ट राज्यों के ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में सब राज्यों की योजना के बारे में जानकारी दी गई थी और उन्हें प्रशिक्षार्थी मनोनीत करने के लिऐ कहा गया था। कुछ राज्यों ने इसका लाभ उठाया था, अन्य राज्यों ने नहीं उठाया।

सहकारी कताई मिल

*४५४. **श्री जेठा लाल जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने तिरुनेलवेली में शुरू की जाने वाली एक प्रस्तावित सहकारी कताई मिल को कपड़ा उपकर निधि में से १० लाख रुपये का अनुदान दिया है; और

(ख) यह मिल कब चालू हो जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :

(क) सरकार ने मद्रास सरकार को १० लाख रुपये ऋण देने की मंजूरी दी है। मद्रास सरकार यही ऋण फिर साउथ इन्डिया कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्ज़ लि०, तिरुनेलवेली को देगी।

(ख) अगस्त १९५५ तक।

श्री जेठा लाल जोशी : कपड़ा उपकर निधि के संग्रह की कुल राशि क्या है और १९५३-५४ में किन-किन उद्योगों को अनुदान दिये गये हैं?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह जानकारी उपलब्ध है, किन्तु इस समय मेरे पास नहीं हैं।

श्री बंसल : क्या सरकार को इस कताई मिल के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हुई है और क्या मशीनरी आयात की जायेगी या देशी निर्माताओं से खरीदी जायेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी जानकारी यह है कि मशीनरी खरीदने का प्रश्न अभी-तय नहीं किया गया। वास्तव में, यह मिल आसाम सरकार से उस मशीनरी के क्रय के बारे में बातचीत कर रही है, जिसके लिए आसाम सरकार ने आसाम में एक कताई मिल लगाने की योजना के सम्बन्ध में ठेका किया था। यदि यह बातचीत असफल रही तो स्पष्ट है कि हमारे वर्तमान आयात विनियमों के अधीन इस मिल के लिए अधिकांश मशीनरी स्थानीय रूप से खरीदनी पड़ेगी।

श्री वेलायुधन : क्या यह ऋण ब्याज से मुक्त है या इस पर ब्याज लगेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस पर ३–५/८ प्रतिशत ब्याज लगेगा।

लन्दन में उद्योगों का मेला

*४५५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई १९५४ में लन्दन में हुये उद्योगों के मेले में भारतीय प्रतिनिधि उपस्थित हुये थे; और

(ख) प्रदर्शन के लिये भेजी गई प्रमुख भारतीय वस्तुयें क्या थीं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५०]**

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या प्रदर्शन के लिये हैदराबाद राज्य के बीदरी बर्तन भी भेजे गये थे ?

श्री करमरकर : जैसा कि आप विवरण में देखेंगे बीदरी बर्तन भी भेजे गये थे ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस प्रदर्शनी में कितने राष्ट्रमंडलीय देशों का प्रतिनिधित्व किया गया था ?

श्री करमरकर : इसकी मुझे जानकारी नहीं है किन्तु मैं समझता हूं कि सभी राष्ट्र-मंडलीय देशों के प्रतिनिधि वहां उपस्थित थे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या भारतीय वाणिज्य मंडल संघ की लन्दन में हुये उद्योगों के मेले के अनुरूप ही प्रदर्शनी करने का विचार रहता है और क्या सरकार का उसको किसी प्रकार की सहायता देने का विचार है ?

श्री करमरकर : ऐसा इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता, किन्तु मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि वह अगले वर्ष, नवम्बर १९५५ में, एक प्रदर्शनी लगाने का विचार अवश्य रखते हैं ।

तेल शोधक कारखानों की प्रगति

*४५६. **श्री एस० सी० सिंघ** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के तीन नवीन तेल शोधक कारखानों में से प्रत्येक की प्रगति; और

(ख) इनमें से प्रत्येक शोधक कारखाने के उत्पाद का लागत व्यय उस वस्तु के आयात मूल्य की तुलना में कैसा है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तीन नवीन तेल शोधक कारखानों में से, जो भारत में स्थापित किये जाने वाले थे, प्रथम (स्टैंडर्ड वैकुअम) २९-७-१९५४ से कार्य करने लगा है । द्वितीय शोधक कारखाना (बर्माशैल) ३१-८-१९५४ को लगभग ५५ प्रतिशत तैयार हो गया था और जिसके १९५५ के प्रथम त्रैमास में पूरे हो जाने की आशा है । जहां तक काल्टैक्स द्वारा विशाखापटनम में तृतीय शोधक कारखाने के खोले जाने का सम्बन्ध है, कार्य अभी योजना बनाने की अवस्था में है और निर्माण १९५५ के प्रथमार्द्ध में प्रारम्भ किये जाने की आशा है ।

(ख) लागत व्यय के विषय में सरकार को जानकारी नहीं है किन्तु शोधक कारखानों को, किये गये करार के अन्तर्गत, भारत में शोधित पदार्थों को उसी प्रकार के आयात किये गये पदार्थों के मूल्य से अधिक मूल्य में नहीं बेचना चाहिये ।

श्री एस० सी० सिंघल : क्या इन शोधक कारखानों में कोई उपोत्पाद भी होंगे ?

श्री के० सी० रेड्डी : अभी नहीं; मैं समझता हूं कि उपोत्पादों का प्रश्न आगे चल कर ही उत्पन्न होगा ।

श्री मेघनाद साहा : भारत के किस प्रदेश में पेट्रोल का उपभोग सबसे अधिक है और क्या उस प्रदेश में शोधक कारखाना खोलने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री के० सी० रेड्डी : इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये मैं पूर्वसूचना चाहूंगा ।

श्री साधन गुप्त : क्या करार में पेट्रोल के विक्रय मूल्य के पुनरीक्षण की कोई व्यवस्था इस तथ्य की दृष्टि से की गई है कि जिस मूल्य पर यहां आयात किया हुआ पैट्रोल बेचा जाता है वह लागत मूल्य से कहीं अधिक है और इसके मूल्य का विनियमन यहां के लागत मूल्य से नहीं वरन् मेक्सिको की खाड़ी में बन्दरगाह पर के मूल्य से किया जाता है जो कि अधिक होता है ?

श्री के० सी० रेड्डी : यह बड़ा सामान्य प्रश्न है जिसका सन्तोषजनक उत्तर देने के लिये बहुत समय चाहिये । मैं यह भी समझता हूं कि यह प्रश्न मेरी अपेक्षा मेरे साथी निर्माण, आवास तथा रसद मंत्री से पूछा जाना

अधिक उपयक्त होगा । सम्बन्धित करार सभापटल पर पहले से ही रखे जा चुके हैं और यदि आप इनकी सन्तोषपूर्ण मुझ से व्याख्या करवाना चाहेंगे तो इसमें बहुत समय लगेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : क्या द्वितीय शोधक कारखाने की प्रगति, जिसका निर्देश किया जा चुका है, धीमी रही है, और यदि ऐसा है, तो इसके कारण क्या हैं ?

श्री के० सी० रेड्डी : प्रगति धीमी न होकर समय तालिका के अनुसार नहीं है, किन्तु बर्मा शैल शोधक कारखाने ने कार्य आरम्भ करने का समय बढ़ा दिया है ।

विस्थापित व्यक्ति

*४५८. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सन् १९५४-५५ में दिल्ली राज्य को विस्थापितों के पुनर्वास हेतु कितना धन दिया जा चुका है; और

(ख) क्या दिल्ली राज्य सरकार इस धनराशि के व्यय का कोई प्रतिवेदन उपस्थित करेगी ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) :

(क) ४६·२३ लाख अनुदान के रूप में
०·५० लाख ऋण के रूप में ।

(ख) हां ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक: क्या मैं जान सकता हूं कि यह धन राशि जो दिल्ली राज्य को प्रदान की गई थी क्या किसी एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए थी या एक सामान्य अनुदान के रूप में थी ?

श्री जे० के० भोंसले : श्रीमान्, अनेक कार्यों के लिए थी ।

ठाकुर लक्ष्मण सिंह चाडक: क्या मैं जान सकता हूं कि उन कार्यों में कहां तक प्रगति हुई है जिनके लिए यह धन प्रदान किया गया था ।

श्री जे० के० भोंसले : यह दिल्ली राज्य सरकार का मामला है; मैं उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

भारत-पाकिस्तान सीमा विवाद

*४६०. **श्री बी० के० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दो बंगालों तथा आसाम और पूर्वी बंगाल के मध्य में सीमा निश्चित करने के विषय में क्या अनिर्णीत विवाद हैं;

(ख) उनके हल के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं; और

(ग) किस समय तक सीमा निश्चित करने का कार्य समाप्त हो जाने की सम्भावना है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) और (ख), पूर्वीय क्षेत्र का मुख्य अनिर्णीत सीमा विवाद आसाम—पूर्वी बंगाल सीमान्त पर कुसियारा और सोनाई नदियों के मध्य सीमा निश्चित करने से सम्बन्धित है पाकिस्तान सरकार ने भी निम्न चार विवाद, दो पश्चिमी बंगाल—पूर्वी बंगाल सीमान्त पर और दो आसाम—पूर्वी बंगाल सीमान्त पर, उठाये हैं :—

(१) पश्चिमी बंगाल में बेरुबारी संघ संख्या १२;

(२) पश्चिमी बंगाल में हिली का थाना;

(३) आसाम में भोलागंज डाकखाना;

(४) आसाम में काटागांव मुख और नातनपुर के मध्य सूरमा नदी का फैलाव ।

इन विवादों पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों में पर्याप्त पत्र-व्यवहार हो चुका है । सितम्बर-अक्टूबर १९५३ में कलकत्ते में हुये भारत-पाकिस्तान सम्मेलन में भी इन

विवादों की चर्चा हुई थी। इस सम्मेलन के निश्चयों को पाकिस्तान सरकार ने अभी तक स्वीकृत नहीं किया है ।

(ग) यह बताना अति कठिन है कि कब तक सम्पूर्ण सीमा का अन्तिम निश्चय हो जायेगा क्योंकि इस अनिर्णीत विवाद का निबटारा दोनों सरकारों के एक समझौते पर पहुंचने पर ही निर्भर है।

श्री बी० के० दास : ऐसा भास होता है कि फरवरी १९५३ में जो परिस्थिति थी उसमें कोई सुधार नहीं हुआ है। क्या मैं इस विलम्ब का कारण जान सकता हूं ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि मैंने बताया कि १९५३ के अन्त में हुये सम्मेलन में कुछ निश्चय किये गये थे। उन निश्चयों को पाकिस्तान सरकार ने अभी तक स्वीकृत नहीं किया है और, इसी कारण, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, कि पिछले कुछ महीनों में कोई सुधार नहीं हुआ है।

श्री बी० के० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि इस कार्य के लिए क्या कोई विशेष व्यवस्था की स्थापना की गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : समझौते की बातचीत और वाद-विवाद के अतिरिक्त किसी अन्य व्यवस्था की स्थापना नहीं की गई है।

उत्तुंग अंतरिक्ष किरण गवेषणा केन्द्र

***४६१ श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारत के अणु शक्ति आयोग ने काश्मीर घाटी में अधिक ऊंचाई पर कास्मिक उतंग अंतरिक्ष किरण गवेषणा केन्द्र स्थापित करने का निश्चय किया है; और

(ख) यदि ऐसा है, तो केन्द्र कब स्थापित किया जायेगा ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख) इस समय यह मामला विचाराधीन है अभी तक कोई अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार के केन्द्र भारत में स्थापित किये जा चुके हैं, यदि हां तो कितने ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं इस प्रकार के केन्द्र, न कहूंगा पर मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ केन्द्र स्थापित हुये हैं पर वे ऐसे विशद प्रकार के नहीं है।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या हम कल्पना कर सकते हैं कि भारत अब अपने प्राथमिक अवस्था से आगे बढ़ गया है और अणु शक्ति के निर्माण और उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश कर चुका है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं श्रीमान, हम ऐसी कल्पना नहीं कर सकते।

श्री एन० एम० लिंगम् : क्या मैं जान सकता हूं कि गवेषणा केन्द्र के लिये किस क्षेत्र का पर्यवेक्षण किया गया तथा अन्त में कौन सा स्थान निश्चित किया गया ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : अभी इसका अन्तिम निश्चय नहीं हुआ है। मेरा विचार है कि दार्जिलिंग के आसपास, उत्तर प्रदेश और हिमालय की ओर काश्मीर तक अनेक स्थानों का पर्यवेक्षण किया गया था। प्रारम्भिक प्रस्ताव खिलनमर्ग, जो काश्मीर में गुलमर्ग के ऊपर स्थित है के पक्ष में था परन्तु उसके लिए कुछ नितान्त आवश्यकतायें हैं। वहां पर एक रस्सों का मार्ग बनाने का सुझाव रखा गया है क्योंकि वर्ष के कुछ दिनों में वहां आवागमन नहीं हो सकता। अतः इन मामलों का अन्वेषण हो रहा है।

विदेशों में भारतीय राजदूतावास

***४६२. श्री राधारमण** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने विदेशों में भारतीय राजदूतावासों के व्यय में कुछ आर्थिक बचत के उपायों को अपनाया है;

(ख) यदि ऐसा है, तो यह उपाय किस प्रकार के हैं और किन राजदूतावासों पर इसका सबसे अधिक प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इन उपायों से सम्पूर्ण बचत कितनी होगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) से (ग)। विदेशों में भारतीय दूतालयों के व्यय में आर्थिक बचत का कोई नया विशेष उपाय अभी हाल में नहीं लागू किया गया है। पर हां, अनावश्यक व्ययों को रोकने के लिए सतत प्रयत्न हो रहा है। आय-व्ययक बनाते समय और आर्थिक लेखा परीक्षण के समय सरकार बड़ी सतर्क रहती है।

कुछ बचत हुई अवश्य है, पर यह पुनर्संगठन योजना के कार्यान्वित न करने और रिक्त स्थानों की पूर्ति न करने के कारण हुई है। इस प्रकार १९५२-५३ में १०,६३,२०० रु० की बचत हुई थी और १९५३-५४ में ९,९६,००० रु० की बचत होने की सम्भावना है।

प्रारम्भिक अवस्था में जब प्रशिक्षित कर्मचारियों के बिना नये राजदूतावास खोले गये तो कुछ अनियमित व्यय हो गये थे। पर अब प्रशिक्षित कर्मचारियों की देख रेख में व्यय पर अधिक नियन्त्रण है। इससे भी कुछ बचत हुई है जिसका अनुमान ठीक-ठीक नहीं लगाया जा सकता।

देखा गया है कि विदेशों में हमारे दूतालयों के पास पर्याप्त कर्मचारी नहीं हैं। कभी-कभी लम्बे समय तक रिक्त स्थानों की पूर्ति भी नहीं की गयी। इससे हमारे काम में हानि हुई और परिणामस्वरूप संसद् में आलोचना हो रही है। अब अतिरिक्त उत्तरदायित्व भी सम्भालना पड़ेगा। यदि इनको ठीक प्रकार से संभाला जायगा तो अतिरिक्त व्यय भी होगा।

श्री राधारमण : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि कुछ लोग यह आलोचना करते हैं कि हमारे दूतावासों में कुछ मामलों में बड़ी फजूल खर्ची होती है और यदि ऐसा है, तो यह आरोप कहां तक सत्य है और हमारे दूतावासों का व्यय दूसरे देशों के दूतावासों के व्यय की तुलना में कहां ठहरता है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : साधारण रूप से हमारे दूतावासों का व्यय दूसरे देशों के दूतावासों के व्ययों से बहुत कम है।

श्री बंसल : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विदेशों में हमारे राजदूतों, अधिदूतों और महावाणिज्य दूतों को कोई विशेष आमोद भत्ता दिया जाता है और क्या वह भत्ता यहां से जाने वाले विभिन्न प्रतिनिधिमण्डलों के स्वागत के साधारण कामों के लिए पर्याप्त होता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : उस कार्य के लिए कुछ भत्ते दिये जाते हैं। मुझे सभी स्थानों के सम्बन्ध में एक उत्तर देने में कठिनाई होगी, पर मेरी धारणा है कि कुछ स्थानों पर वह पर्याप्त नहीं होता, कहीं-कहीं पर वह पर्याप्त हो जाता है और कुछ स्थानों पर उसमें कमी भी की जा सकती है।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि हमारे कई दूतावासों में इतना कम खर्च किया जाता है कि वहां का काम मुश्किल से चलता है और हमारी

बेइज्जती होती है और ऐसी हालत में क्या इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि जो किफायत हो वह इस तरह से की जाय कि जिससे कम से कम हमारी बेइज्जती उन मुल्कों में न हो।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य से मैं बिल्कुल सहमत हूं।

लाजपत राय मार्केट

*४६३. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की वर्तमान लाजपत राय मार्केट के स्थान पर सरकार एक स्थायी मार्केट बनाने का विचार करती है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सुझाव का किसी ने विरोध किया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां।

(ख) उस बाजार के केवल थोड़े से दुकानदारों की इच्छा थी कि बाजार के निर्माण को स्थगित कर दिया जाय, पर उनमें से अधिकांश उसके निर्माण के पक्ष में हैं।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जब तक इस नवीन मार्केट का निर्माण होगा तब तक इस समय जो विस्थापित वहां पर बैठे हैं और कारोबार कर रहे हैं, उनके लिए किसी अस्थायी स्थान का प्रबन्ध किया जायेगा ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : वह तो वहीं बैठे रहेंगे जहां अभी बैठे हुये हैं।

प्रैस सूचना विभाग

*४६४. **श्री बहादुर सिंह** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अभी तक प्रैस सूचना विभाग ने भारतीय समाचार-पत्रों और पत्र पत्रिकाओं को कितनी और किन-किन भारतीय भाषाओं में सूचना सेवायें दी हैं;

(ख) इस काल में उसकी सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) क्या पंच वर्षीय योजना सम्बन्धी सामग्री एकत्र करने के लिये परियोजना क्षेत्रों का दौरा करने के लिये एक चलती फिरती यनिट बनाने का सुझाव कार्य रूप में परिणत हुआ है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) आठ, अर्थात् हिन्दी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, तामिल, तेलुगू और उर्दू।

(ख) प्रैस सूचना विभाग द्वारा दी गई सूचना सेवाओं, जिसमें फोटो तथा एबो-न्वाइड पर बने ब्लाक की सेवाएं भी सम्मिलित हैं, के प्राप्तकर्त्ताओं की कुल संख्या ३,१५६ है।

(ग) आशा की जाती है कि यह यूनिट शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर देगी।

श्री बहादुर सिंह : कितने और किन-किन समाचार-पत्रों को प्रैस सूचना विभाग द्वारा सूचना सेवायें नहीं उपलब्ध की गई थीं और उसके क्या कारण हैं ?

श्री करमरकर : मैं इसकी पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री बहादुर सिंह : क्या मंत्रालय के पास ऐसे समाचार-पत्रों की कोई काली सूची है, जिन्हें सूचना सेवायें नहीं दी जाती हैं ?

श्री करमरकर : मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में हमारे पास कोई काली सूची नहीं है, परन्तु मैं इसकी भी पूर्वसूचना चाहूंगा।

श्री बहादुर सिंह : किसी एक समाचार-पत्र को प्रचार कार्य के लिये कितनी अधिकतम राशि दी गई थी ?

श्री करमरकर : इस प्रश्न का सम्बन्ध सेवाओं से है ।

अध्यक्ष महोदय : वह दी गई अधिकतम धन राशि जानना चाहते हैं ।

श्री करमरकर : मैं केवल साइक्लोस्टाइल किये गये पर्चों आदि के सम्बन्ध में कह रहा हूं, धन राशि के सम्बन्ध में नहीं ।

श्री ए० एम० थामस : माननीय मंत्री ने भाषाओं की जो सूची बताई, उसमें मलयालम नहीं है, यद्यपि वह संविधान में सम्मिलित की गई भाषाओं में से एक है । क्या दैनिक पत्रों, साप्ताहिक पत्रों तथा पत्र पत्रिकाओं के लिये मलयालम में प्रैस सूचना सेवायें खोलने की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री करमरकर : कोई पहले आता है, और कोई बाद में । अतः बारी आने पर मलयालम आ जायगी ।

सरकार द्वारा बनाये गये रिहायशी मकान

*४६५. **श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा बनाये गये वे रिहायशी मकान, जो विस्थापित दावेदारों को अर्धस्थायी आधार पर दे दिये गये हैं, उन को अब स्थायी आधार पर हस्तान्तरित कर दिये जायेंगे; और

(ख) यदि हां, तो क्या दावों के निबटारे के लिये कोई प्राथमिकतायें निश्चित की गईहैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं । जब उनके मुआवजा के आवेदन-पत्रों और मकानों के मल्य निर्धारण की जांच पूरी हो जायगी तब ये मकान उन व्यक्तियों को हस्तांतरित कर दिये जायंगे जिनके दावे प्रमाणित हो चुके हों ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : इस योजना के अधीन कितने मकान हस्तांतरित किये जायंगे और क्या दावेदारों से कोई अतिरिक्त राशि ली जायगी ?

श्री जे० के भोंसले : सारे सरकार द्वारा बनाये गये और निष्क्रान्त मकान हस्तांतरित किये जायेंगे ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं उन मकानों की संख्या जानना चाहती हूं जो हस्तांतरित किये जायेंगे ।

श्री जे० के भोंसले : यह संख्या बताना बहुत कठिन है ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : यह संख्या कई लाख होगी ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : जब उनको स्थायी आधार पर मकान दिये जायेंगे, तब क्या उन दावेदारों से कोई अतिरिक्त राशि ली जायगी ?

श्री जे० के० भोंसले : जहां पर कोई दावेदार निष्क्रान्त या सरकारी सम्पत्ति खरीदता है, वहां यदि उसके दावे ४,७०,००० रुपये से अधिक के हों तो वह ५०,००० रुपये तक की सम्पत्ति खरीद सकता है और उसके परे उसे अपने पास से भुगतान करना होगा ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या वे सभी राज्य सरकारें भी, जिनके पास सरकार द्वारा बनाये गये मकान हैं, इस निर्णय को क्रियान्वित करेंगी ?

श्री जे० के० भोंसले : जी हां ।

कुटीर उद्योगों की विक्रय योजना

*४६६. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छोटे पैमाने के तथा कुटीर उद्योगों के विक्रय और संगठन को सुधारने की किसी योजना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब लागू की जायेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) प्रारम्भिक कार्य आरम्भ हो चुका है । प्रबन्ध पूरे हो जाने पर इसे लागू किया जायगा ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : क्या कुटीर एव छोटे पैमानों के उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिये औद्योगिक क्रियाओं का विकेन्द्रीकरण करने और उन्हें गतिशील करने का सरकार ने कोई प्रयत्न किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक बहुत ही व्यापक प्रश्न है ।

श्री एम० एस० गरुपादस्वामी : यह एक विशिष्ट प्रश्न है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने कुटीर एवं छोटे पैमाने के उद्योगों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से औद्योगिक क्रियाओं को अलग अलग करने के लिये कोई कार्यवाही की है या योजना बनाई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : क्रियाओं के सम्बन्ध में कुछ कहना कठिन है, और वह कथन अधिकांशत: मनोवैज्ञानिक होगा । कुछ थोड़े से मामलों में वह यथार्थ होगा । मुझे कहना पडता है कि मैं इस प्रश्न का उत्तर हां या नहीं किसी भी रूप में नहीं दे सकता ।

श्री वेलायुधन : यह कहा गया था कि कुटीर-उद्योग बोर्ड की मान्यता दी जा रही है । अब वह मामला किस अवस्था पर है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुटीर उद्योग बोर्ड नाम का कोई बोर्ड नहीं है ।

श्री डाभी : क्या कुटीर-उद्योग के अन्तर्गत ग्राम तथा खादी उद्योग भी सम्मिलित हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वस्तुत: कुटीर-उद्योग की कोई परिभाषा नहीं है और इसलिये हम "कुटीर-उद्योग" शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं ।

श्री केलप्पन : क्या कुटीर-उद्योग के उत्पादों की बिक्री को बढ़ाने के लिये विदेशों में कोई विक्रय अधिकारी हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुटीर उद्योगों के सम्बन्ध में नहीं । हमने हाथकरघा के सम्बन्ध में कुछ किया है । हमने उन अन्य वस्तुओं के लिये कुछ नहीं किया है जो स्वयं नियोजित व्यक्तियों द्वारा बनाई जाती हैं ।

कागज उद्योग

*४६८. **श्री अजित सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दक्षिण भारत में बांस के पेड़ों की भारी मात्रा में उपलब्धता को देखते हुए वहा पर एक कागज उद्योग आरम्भ करने का कोई सुझाव रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : जी हां । एक व्यक्ति दक्षिण भारत में प्राप्त होने वाले बांस के आधार पर एक कागज की मिल खोलना चाहते थे, और उससे कहा गया है कि मद्रास सरकार के परामर्श से स्थान के चुन लिये जाने पर, वह पुन: आवेदन-पत्र भेजे ।

श्री अजित सिंह : यह उद्योग कब आरम्भ होने जा रहा है और यह कितना कागज बनायेगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह सुझाव रखा गया था कि वह व्यक्ति प्रतिवर्ष ८०००से ९०००टन के बीच कागज बनाने का विचार करता है, परन्तु यह पता चला है कि बिजली के दिये जाने के लिये उसने मद्रास सरकार के साथ कोई करार नहीं किया था । उद्योगों के लिये अनुज्ञप्ति देने के सम्बन्ध में यह आवश्यक

है कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्र में उसके शुरू किये जाने और आवश्यक कच्चा माल तथा बिजली देने के लिये तैयार हों। जब तक ऐसा करार नहीं होता, तब तक अनुज्ञप्ति धात्री समिति इस मामले को तय नहीं कर सकती है, और इसलिये उस व्यक्ति से मद्रास सरकार से बात करने के लिये और योजना के लिये मद्रास सरकार की अनुमति प्राप्त कर लेने पर पुनः आवेदन-पत्र देने के लिये कहा गया है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सरकार उन भागों में कागज उद्योग स्थापित करने का विचार कर रही है, जहां उस उद्योग के लिये काफी सामग्री प्राप्त हो ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यह एक निरन्तर क्रिया है । हमारे पास कागज का अभाव है । हम अपनी आवश्यकता भर कागज नहीं बनाते हैं क्योंकि हम आशा करते हैं कि कागज की आवश्यकता बढ़ेगी । इस उद्योग में और इकाइयां जोड़ने के लिये उपाय ढूंढ़ने और लगदी के निर्माण की सुविधायें ढूंढ़ने के प्रयत्न करने के लिये सरकार निरन्तर इस समस्या पर विचार कर रही है।

श्री वीरस्वामी : मद्रास राज्य के किस भाग में कागज उद्योग आरम्भ किया जायगा ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यही तो परेशानी है । स्थान का प्रश्न अभी तय नहीं हुआ है । केवल एक आवेदन-पत्र जिसमें राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किसी विशिष्ट स्थान की चर्चा नहीं है । वह व्यक्ति सुदूर दक्षिण का रहने वाला है । मद्रास सरकार ने उसके आवेदन-पत्र को स्वीकार नहीं किया है क्योंकि वे अभी तक उचित स्थान तय नहीं कर सके हैं।

जाली पारपत्र

*४७०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में अभी तक भारत में कितने जाली पारपत्र पकड़े गये हैं;

(ख) ऐसे पारपत्रों के द्वारा यात्रा करने वाले कितने व्यक्ति पाये गये हैं; और

(ग) क्या नकली पारपत्र देने वाला कोई अन्तर्राज्यिक गिरोह है ?

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख). १९५४ में भारत सरकार को दो ऐसे मामलों की सूचना मिली है, जिनमें कुछ व्यक्तियों के पास जाली प्रमाणीकरण वाले पारपत्र थे । पहले मामले में चौदह पारपत्र थे । दूसरे मामले में अभी तक जांच पड़ताल हो रही है और यह पता नहीं है कि उसमें कितने पारपत्र अन्तर्ग्रस्त थे ।

(ग) हमें ऐसे किसी अन्तर्राज्यिक गिरोह का पता नहीं है, जो जाली पारपत्र अथवा पारपत्रों पर जाली प्रमाणीकरण देता हो ।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं यू० पी० की संख्या जान सकता हूं ?

श्री सादत अली खान : वह इस वक्त मेरे पास नहीं है ।

बेकारी

*४७१. **डा० सत्यवादी** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली की सरकारों ने बेकारी दूर करने के लिए योजनायें बनाई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनकी योजनाओं की रूपरेखा क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख). १९५३ के अन्त

में बेकारी दूर करने के लिए पंजाब, पेप्सू, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली राज्यों की योजनाओं में कुछ समायोजन तथा वृद्धि की गई थी। उसके उपरान्त, पंजाब, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश की योजनाओं में कुछ और वृद्धि की गई है। इन समायोजनों तथा वृद्धियों का एक विस्तृत विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या ५१]**

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इन स्कीमों पर अमल करने के नतीजे के तौर कितने बेरोजगारों को काम मिलने का अन्दाज़ा लगाया गया है ?

श्री हाथी : यह कहना सम्भव नहीं है कि ठीक कितने व्यक्तियों को काम मिलेगा, परन्तु ये सारी बातें सड़कों को बनाने तथा अन्य निर्माण-कार्य करने के बारे में हैं। व्यय की दृष्टि से, अधिकतर यह आशा की जा सकती है कि १५ से २० हज़ार तक व्यक्तियों को दो वर्ष के लिए काम मिल जायेगा।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : बेकारी दूर करने के लिये सरकार को उत्तर प्रदेश ने जो योजना प्रस्तुत की थी, उसका क्या हुआ ?

श्री **हाथी** : योजना के समायोजन में इन सारी बातों पर विचार किया गया था।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : क्या मैं पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में यह कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश से जो बहुत सी योजनायें प्राप्त हुई थीं, उनपर सम्बन्धित मंत्रालय विचार कर रहे हैं ?

श्री **तिम्मय्या** : क्या बेकारी की समस्या का समाधान करने के लिए सारे राज्यों ने योजनायें प्रस्तुत की हैं ?

श्री **नन्दा** : सारे राज्यों ने अपनी अपनी योजनायें प्रस्तुत कर दी हैं।

श्री **राघवैय्या** : इन राज्यों में कितने शिक्षित व्यक्ति बेकार हैं और उन्हें काम देने के लिए सरकार की क्या योजना है ?

श्री **नन्दा** : शिक्षित बेकार व्यक्तियों की संख्या बताना सम्भव नहीं है, परन्तु नमूने के तौर पर कुछ पूछताछ हो रही है और उसके परिणाम प्राप्त होने पर हमें कुछ अन्दाज़ा हो जायगा।

धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम

*४७३. **श्री एस० वी० रामस्वामी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) धोतियां (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अधीन अब तक कितना धन प्राप्त हुआ है; और

(ख) इसका क्या उपयोग किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नवम्बर १९५३ से मार्च १९५४ तक ९,४२,००० रु० अप्रैल १९५४ से जून १९५४ तक ३,०३,००० रु०।

(ख) धन केन्द्रीय राजस्व में जमा कर दिया गया है।

श्री एस० वी० रामस्वामी : यह कैसे प्रयोग होगा ?

अध्यक्ष महोदय : यह साधारण राजस्व में जाता है। यह पृथक नहीं रखा जाता।

दीवान राघवेन्द्र राव : छोटे उद्योगों तथा बड़े उद्योगों के बीच अनुचित स्पर्धा को सीमित रखने के लिए एसी उत्पादन शुल्क निधि से छोटे छोटे उद्योगों को आर्थिक सहायता देने की यह स्थायी निधि है या, सरकार का विचार उस नीति का प्रशिक्षण करने का है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरी समझ में नहीं आता कि इसका सरकार की नीति से कैसे सम्बन्ध है । यदि छोटे उद्योगों या उन उद्योगों को, जो स्वयं काम करने वाले का है, चलाने के लिए धन की आवश्यकता है तो सरकार उपशुल्क के रूप में प्राप्त हुये धन से अधिक धन देने को सर्वथा तैयार है परन्तु जहां तक इसका सम्बन्ध है, यह साधारण राजस्व में जाता है ।

श्री तिम्मय्या : क्या इस धन का कुछ भाग राज्यों को दिया जाता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान् । निश्चय ही नहीं ।

युरेनियम तथा थोरियम

*४७५. **श्री बुचिकोटैय्या** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतान की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र ने हाल में ही यरेनियम तथा थोरियम को विस्तृत खोज तथा अनुसंधान के लिए कोई योजनायें बनाई हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हां, श्रीमान् ।

श्री बुचिकोटैय्या : क्या यह सच है कि मालाबार घाट के पास मोनाज़ाइट रेत में कुछ कच्चा युरेनियम प्राप्य है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह सारे भारत में भारत के अधिकतर भागों में—प्राप्य है ।

श्री बुचिकोटैय्या : प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के कच्चे खनिज पदार्थ विभाग में कौन-कौन विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे पता नहीं है । विभिन्न स्थानों में काम करने वाले अपने सारे व्यक्तियों के नाम मुझे याद नहीं हैं

श्री राघवैय्या : वास्तव में ये दोनों खनिज पदार्थ कहां पाये जाते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत साधारण प्रश्न है ।

डा० राम सुभग सिंह : मूल प्रश्न के उत्तर में प्रधान मंत्री ने कहा था 'हां' । मैं जानना चाहता हूं कि हाल में जो योजनायें बनाई गई हैं वे किस प्रकार की हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : किस की योजनायें ?

अध्यक्ष महोदय : खोज तथा अनुसन्धान की ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : क्या आप चाहते हैं कि मैं इस प्रश्न के उत्तर में इस समय अणु-शक्ति पर एक लेख पढ़ कर सुनाऊं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि उत्तर देने के लिए यह एक बहुत विस्तृत प्रश्न है ।

मद्य निषेध

*४७७. **श्री शिवनंजप्पा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार मद्य निषेध सम्बन्धी समस्याओं के अध्ययन के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो विस्तृत प्रस्ताव क्या है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां ।

(ख) इस नियुक्ति का मूल उद्देश्य देश में मद्य निषेध के लागू होने के बारे में सूचना एकत्रित करना है ।

श्री शिवनंजप्पा : इस अधिकारी को क्या-क्या विशेष कार्य दिये गये हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : पहिले हमें देश के विभिन्न भागों में मद्य निषेध के लागू होने के बारे में सूचना एकत्रित करनी है । और सिफ़ारिशें

बनाने के लिए इस सूचना का अध्ययन किया जायेगा ।

श्री शिवनंजप्पा : किन विशेष परिस्थितियों के कारण इस अधिकारी विशेष की नियुक्ति की आवश्यकता उत्पन्न हुई ?

श्री नन्दा : स्पष्ट है कि देश के विभिन्न भागों में जांच पड़ताल हुई है, और मद्य निषेध योजनाओं के कुशलतापूर्ण लागू होने में कठिनाइयां विदित हो गई हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि इसके बारे में क्या किया जा सकता है ?

श्री शिवनंजप्पा : क्या मद्य निषेध की कोई अखिल भारतीय, अच्छी सूत्रबद्ध नीति है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न की अनुमति नहीं देता ।

उत्तर पूर्व सीमांत अधिकरण

*४७८. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में ही आसाम राइफलस् के सिपाहियों ने उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के टुएनसांग प्रदेश के चिंगमी गांव में दो व्यक्तियों को गोली से मार दिया था;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण के किसी अधिकारी ने घटनास्थल पर पूछताछ की थी; और

(घ) आजकल टुएनसांग प्रदेश में कैसी परिस्थितियां हैं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री जे० एन० हजारिका) : (क) तथा (ख). पिछली १७ जुलाई को एक सरकारी दल, जिसमें एक सहायक पोलिटिकल अफ़सर और कुछ आसाम राइफलस् के सदस्य थे, कुछ जांच पड़ताल करने के लिए चिंगमी गांव गये थे । उनके वापस आते समय अग्रिम टुकड़ी पर आक्रमण किया गया था । आत्म-रक्षा करने के लिए आसाम राइफलस् को विवश होकर गोली चलानी पड़ी । परिणामस्वरूप एक ग्राम निवासी मारा गया और एक घायल हुआ ।

(ग) टएनसांग में पोलिटिकल अफसर ने एक दण्डाधिकारिक जांच पड़ताल की जिसमें उसने यह निष्कर्ष निकाला कि गोली चलाना सर्वथा उचित था । दुर्घटना के कुछ दिन पश्चात् जब गांव के वृद्ध व्यक्ति तथा प्रतिनिधि पोलिटिकल अफसर के बुलाने पर टुएनसांग में उसके समक्ष प्रस्तुत हुये तब उन्होंन उसे अच्छे व्यवहार का आश्वासन दिया ।

(घ) स्थिति नियन्त्रण में है ।

श्री रिशांग किशिंग : गोली कहां चली थी—जंगल में या गांव में—और कितने व्यक्ति घायल हुये थे ? क्या यह सच है कि जो सैनिक सहायक पोलिटिकल अफसर के साथ गये थे उन्होंने उसकी आज्ञा के बिना गोली चलाई ?

श्री जे० एन० हजारिका : जब गांव के कुछ युवकों ने उनके कागज़ छीनने का प्रयत्न किया तो उन्होंने आत्म रक्षा के लिए गोली चलाई थी ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : वास्तव में, यह केवल कागज़ों का प्रश्न नहीं है अपितु एक बन्दूक भी छीन ली गई थी ।

श्री रिशांग किशिंग : मैंने घायल हुये व्यक्तियों के बारे में पूछा था । क्या यह सच है कि जो सैनिक सहायक पोलिटिकल अफसर के साथ गये थे उन्होंने बिना उसकी आज्ञा के गोली चलाई थी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के इस भाग का उत्तर दिया जा चुका है कि उन्होंने आत्म-रक्षा के लिए गोली चलाई । स्पष्ट ही है कि

उन्होंने अवश्य ही यह आज्ञा प्राप्त किये बिना किया होगा।

श्री जवाहरलाल नेहरू : वे प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे और जब बन्दूकें छीनी जा रही थीं तो उन्होंने प्रतीक्षा करनी भी नहीं चाही थी। कुछ करना था। आप यह पूछने के लिए किसी को सूचना नहीं भेज सकते कि क्या करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह भी जानना चाहते थे कि कितने व्यक्ति घायल हुये।

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चंदा) : एक मारा गया और एक घायल हुआ।

श्री **रिशांग किशिंग** : क्या यह सच है कि सैनिकों की बहुत सी टुकड़ियां टुएनसांग प्रदेश की ओर बढ़ रही हैं और बहुत से डरे हुये लोग अपने गांवों को छोड़ रहे हैं ?

श्री **जे० एन० हजारिका** : बहुत से नहीं। दुर्घटना होने के दस दिन पश्चात् हमारा दल गांव गया लेकिन गांव वाले पकड़े जाने के डर से भाग गये थे।

श्री **जवाहरलाल नेहरू** : क्या मैं यह कह सकता हूं कि इस प्रदेश में टुएनसांग प्रदेश में, पिछले ही दिनों में किसी प्रकार की प्रशासकीय व्यवस्था हुई है। बिल्कुल सीमा के समीप यह पूर्णतया एक पृथक् प्रदेश था। स्वाभाविक है कि अज्ञात प्रदेशों में जाने में कुछ कठिनाइयां होती हैं। समूचे रूप में, मैं यह अवश्य कहूंगा कि हमें उन कठिनाइयों को दूर करने में सराहनीय सफलता प्राप्त हुई है, अर्थात्, मैत्रीपूर्ण ढंग से, लेकिन यह अशुभ झगड़ा हो गया।

कुछ टाइप की मशीनें तथा अन्य वस्तुयें चोरी गई थीं, और इस मामले की पूछताछ के लिए एक छोटा सा दल गया था। अचानक ही गांव के बाहर इस दल पर आक्रमण किया गया और एक बन्दूक, मेरा विचार है कि एक ब्रेनगन, हमारे दल से छीन ली गई और तब इस कारण गोली चलाई गई। यह कोई खुली जगह न थी परन्तु एक तंग मार्ग था। परन्तु बाद में, जैसा कि प्रश्न के उत्तर में कहा जा चुका है, गांव के वृद्ध व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों की बैठक हुई और मामला सन्तोषजनक ढंग से सुलझा दिया गया।

श्री **रिशांग किशिंग** : क्या यह सच है कि पदाधिकारी द्वारा पकड़े गये कागज़ नागा राष्ट्रीय परिषद् के एक सदस्य के थे और यदि यह सच है, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीय परिषद् का आन्दोलन उस प्रदेश में फैल गया है ?

श्री जे० एन० हजारिका : नागा राष्ट्रीय परिषद् कार्यालय के कुछ कागज़ और नागा राष्ट्रीय परिषद् की रसीद की पुस्तकें छीन ली गई थीं।

लंका में भारतीय

*४७९. **श्री केलप्पन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लंका सरकार तथा लंका स्थित भारतीय उच्च आयुक्त के बीच उन भारतीयों के प्रत्यावर्तन के बारे में जिनकी आवास अनुज्ञाएं जारी नहीं रखी गई हैं, किस प्रकार का समझौता हुआ है;

(ख) १ नवम्बर, १९४९ के पांच वर्ष पहले से लंका में बसे हुए भारतीयों की संख्या कितनी है; और

(ग) क्या लंका सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि १ नवम्बर, १९४९ के पांच वर्ष पहले से लंका में बसे हुए भारतीयों की आवास अनुज्ञाएं जारी रखी जाएंगी ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) यह स्वीकार किया गया है

कि इन लोगों का प्रत्यावर्तन हफ्तों में किया जाएगा। प्रत्येक तिमाही में ५००० भारत भेजे जाएंगे। उन्हें लंका से जाने के लिए तीन महीनों की पूर्व सूचना दी जाएगी। उन्हें अपना सामान बांधने, आस्तियां एवं धन एकत्रित करने तथा उसे भारत भेजने की सुविधाएं जब तक वह लंका में रह रहे हों तब तक दी जाएंगी।

५००० लोगों की पहली टुकड़ी के लोगों का चुनाव इस प्रकार किया जायेगा कि जो लोग आसानी से जा सकते हैं उन्हें पहले भेज दिया जायेगा। इन लोगों के चुनाव में भारतीय उच्च आयुक्त से परामर्श किया जायेगा।

अन्य टुकड़ियों के बारे में बाद में विचार किया जायेगा।

(ख) जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) नहीं। यद्यपि लंका आप्रवासी अधिनियम में यह उपबन्ध है कि १ नवम्बर, १९४९ के पांच वर्ष पहले से लंका में रहने वाले व्यक्ति को अस्थायी आवास अनुज्ञा देना अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिये, फिर भी लंका सरकार ने उसका निर्वचन इस प्रकार किया है कि यह उपबन्ध केवल पहली बार दिये जाने वाली अस्थायी आवास अनुज्ञाओं पर लागू होता है। और उनके नवीकरण या वृद्धि के मामले में सरकार को पूर्ण स्वविवेक है।

श्री केलप्पन : कुल कितने लोगों का प्रत्यावर्त्तन होगा और कितने समय में ?

श्री अनिल के० चन्दा : लगभग केवल कुछ २०,००० लोग प्रभावित होंगे और जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है, लगभग तीन महीनों के बाद ५००० की एक-एक टुकड़ी भेजी जाएगी।

श्री केलप्पन : क्या इन विस्थापित व्यक्तियों को अंडमान में बस्ती बसाने की योजना में पूर्ववर्तिता दी जाएगी ?

श्री अनिल के० चन्दा : इन लोगों के पुनर्वास के बारे में हम मद्रास तथा त्रावनकोर की सरकारों से पत्र व्यवहार कर रहे हैं।

श्री केलप्पन : क्या लंका सरकार भारतीय राष्ट्रजनों तथा अन्य देशों के राष्ट्रजनों के बीच भेदभावपूर्ण व्यवहार करती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह बहुत व्यापक सा प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस मामले में क्या लंका सरकार ने भारतीयों तथा अन्य विदेशी राष्ट्रजनों के बीच कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार किया ?

श्री अनिल के० चन्दा : यह विशिष्ट उपाय लंका में अस्थायी आवास अनुज्ञा लेकर रहने वाले भारतीयों के बारे में था।

भाखड़ा-नंगल परियोजना

*४८०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भाखड़ा नंगल परियोजना से बिजली बेच कर अब तक कुल कितनी आय हुई है; और

(ख) सम्मिलित राज्यों में वह आय किस प्रकार बांटी गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) तथा (ख) आय की प्राप्ति तथा वितरण का प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि अभी भाखड़ा-नगल परियोजना से बिजली देना आरम्भ नहीं हुआ है।

श्री डी० सी० शर्मा : पहल नम्बर का बिजली घर चालू होने में कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : इस महीने के अन्त तक।

श्री डी० सी० शर्मा : और नम्बर दो का बिजली-घर कब शुरू होगा ?

श्री हाथी : नवम्बर, १९५५ तक।

श्री डी० सी० शर्मा : पहले नम्बर के बिजली-घर से कितनी विद्युत् शक्ति उत्पन्न होगी और वह विभिन्न राज्यों के बीच किस प्रकार वितरित की जाएगी ?

श्री हाथी : पहले बिजली-घर से २४,००० किलोवाट शक्ति पैदा होगी और वह अधिकतर पंजाब, पेप्सू और दिल्ली को दी जाएगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : इसकी दरों में तथा इन राज्यों की प्रचलित दरों में क्या अन्तर होगा ?

श्री हाथी : दो एक दिनों के पहले ही मैंने विभिन्न स्थानों में प्रचलित दरों का ब्यौरा बताने वाला एक विवरण पटल पर रखा था ।

बुगान्दा में व्यापार बहिस्कार आन्दोलन

***४८१. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बगान्दा में व्यापार बहिष्कार आन्दोलन से वहां के भारतीयों के हितों पर प्रभाव पड़ा है; तथा

(ख) यदि हां, तो इस आन्दोलन से कितने भारतीय प्रभावित हुए ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) तथा (ख) व्यापार बहिष्कार आन्दोलन ब्रिटिश उद्योग के विरुद्ध था तथा भारतीयों पर इसका परोक्ष रूप से प्रभाव पड़ा है । भारतीय व्यापार में जो कि बुगान्दा में अधिकतम था, पिछले अप्रैल तथा मई मासों में ३० प्रतिशत हानि हुई तथा तब से यह फिर अपने स्तर पर आ गया है ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या आन्दोलन के परिणामस्वरूप भारतीयों के घरों की सेंधें लग गई हैं और उन पर डाके डाले गए हैं ?

श्री सादत अली खान : हमें इसकी कोई सूचना नहीं है ।

अन्तरिम प्रतिकर योजना

***४८२. सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अन्तरिम प्रतिकर योजना के अन्तर्गत पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों के लिए प्रतिकर की अधिकतम सीमा आठ हज़ार से पचास हज़ार रुपये तक बढ़ा दी गई है; तथा

(ख) क्या यह सीमा विशेष श्रेणियों पर ही लागू हो सकती है अथवा सब पर ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जी हां, जहां प्रतिकर नगद नहीं बल्कि सम्पत्ति के रूप में दिया गया है ।

(ख) सम्पत्ति के रूप में दिये गये प्रतिकर की सीमा सभी के लिए ५०,००० रखी गई है ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सबको बराबर वितरण के लिये नगद अन्तरिम प्रतिकर प्राप्त करने वालों को अब कुछ अतिरिक्त राशि मिलेगी अथवा यह योजना इसलिये बनाई गई कि कब्ज़ा जमाने वाले और अधिक बोली दे सकें ?

श्री जे० के० भोंसले : यह तो सार्वजनिक नीति है, इससे यह अभिप्रेत नहीं कि कब्ज़ा जमाने वालो को अदायगी अधिक करने के लिए बढ़ावा मिले ।

सरदार हुक्म सिंह : जिनके पास मकान हैं तथा जिनके पास नहीं भी हैं उनको एकसा प्रतिकर देने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्री जे० के० भोंसले : वे खुले नीलाम में बोली लगा सकत हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं उत्तर से सन्तुष्ट नहीं हूं क्योंकि जिसका घर पर कब्ज़ा है

वह ५०,००० रुपये तक धन दे सकता है, परन्तु उतने ही धन के एक और दावेदार को जिसके पास मकान नहीं है केवल ८,००० रुपया दिया जायेगा। प्रतिकर प्राप्त करने वाले दो एक-से दावेदारों को बराबर आवंटन का कोई उपाय किया जाएगा ?

श्री जे० के० भोंसले : नहीं श्रीमान्। सरकार की ऐसी ही नीति है।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

राष्ट्रमंडलीय संसदीय सन्था सम्मेलन नैरोबी में पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता का वक्तव्य

अल्प सूचना प्रश्न ७. श्री डाभी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार का ध्यान २६ अगस्त, १९५४ की प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया की नैरोबी से प्राप्त इस सूचना की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता द्वारा राष्ट्रमंडलीय संसदीय सन्था सम्मेलन में दिए गए वक्तव्य की यह रिपोर्ट मिली है कि दक्षिण अमरीकी देशों तथा ब्रिटेन के विरोधों के परिणामस्वरूप भारत में पुर्तगाली बस्तियों पर भारत का आक्रमण रुक गया तथा यह कि "सम्भव है कि इन पुर्तगाली बस्तियों में भारत से आए हुए स्वयंसेवक भेष बदल कर बंगलों में हथियार लिये हुए भारतीय सैनिक ही हो सकते हैं" और

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त आक्षेपों में कुछ सचाई भी है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां। जहां तक हमें ज्ञात है नैरोबी में आयोजित राष्ट्रमंडलीय संसदीय सन्था सम्मेलन में प्रेस के सम्वाददाताओं को जाने की अनुमति नहीं थी, यद्यपि पत्रों में कुछ प्रतिवेदन निकले हैं अतः ठीक तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि इस सम्मेलन में पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता ने क्या कहा। भारत ने इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। साधारणतया ऐसे सम्मेलनों में विवाद के विषय नहीं रखे जाते हैं और यदि यह प्रतिवेदन सत्य है, तो पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता ने इस प्रकार का वक्तव्य दे कर न केवल प्रथा को भंग कर दिया है बल्कि गलत आक्षेप भी किये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सम्मेलन के सभापति ने पाकिस्तानी शिष्टमंडल के नेता का ध्यान उसके वक्तव्य के अनौचित्य की ओर दिलाया तथा इन विषयों की ओर निर्देश करने की उसे मनाही भी की।

(ख) पाकिस्तानी शिष्ट मंडल के नेता द्वारा किये गये ये आक्षेप पूर्णतः निराधार हैं, और सरकार उनके ऐसे झूठे आक्षेपों पर खेद प्रकट करती है।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि भारत के विरुद्ध ऐसे निराधार आक्षेप, पाकिस्तान सरकार के प्रतिष्ठित पदाधिकारियों ने कई बार किए हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार से जी 'हां' कहना असत्य नहीं होगा।

श्री डाभी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या भारत में पुर्तगाली बस्तियों से सम्बन्धित ब्रिटेन तथा दक्षिणी अमेरिकी देशों का विरोध भारत सरकार के पास आया है तथा यदि हां, तो विरोध किस प्रकार का है तथा क्या हमारी सरकार ने इसका कोई उत्तर दे दिया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : साधारण प्रसंग में यह कहना कि कोई विरोध हमारे पास नहीं आया है, सत्य नहीं। किन्तु कुछ देशों ने जिनमें ब्रिटेन भी है, स्थिति के सम्बन्ध

में आशंका प्रकट की है, और यह आशा भी प्रकट की है कि शान्तिपूर्वक समझौता किया जाएगा। तथ्य यह है कि ब्रिटिश सरकार का वक्तव्य तथा भारत सरकार का उत्तर सभी समाचार पत्रों में छप चुका है ।

श्री रघुरामैया : क्या मैं यही समझूं कि इस ब्रिटिश लेख का इस समस्या-सम्बन्धी हमारी नीति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : नहीं, श्रीमान् ; हमने अपनी नीति अभी हाल में इस सभा में बताई है । उस नीति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है ।

श्री रघुरामैया : मैं जानना चाहता हूं कि झूठी बातों के प्रचार के अलावा क्या सरकार को यह ज्ञात है कि पाकिस्तान भारत के प्रति, पुर्तगालियों के अजीब तथा युद्धप्रिय व्यवहार में सहायता दे रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तानी नेताओं की ओर से जो भी वक्तव्य निकले हैं उन से यही समझा जा सकता है कि उन्होंने पुर्तगालियों को बढ़ावा दिया है ।

श्री जोकिम आल्वा : क्या भारत में कैनाडा के प्रधान मंत्री की राजनीतों जैसी यह घोषणा कि नैटो में पुर्तगाली बस्तियों को शामिल नहीं किया गया, भारत स्थित कैनेडियन उच्च आयुक्त की किन्हीं रिपोर्टों द्वारा निस्सार सिद्ध कर दी गई है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : हम इस प्रश्न से कुछ दूर जा रहे हैं परन्तु मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा । कनाडा के प्रधान मंत्री जनवरी में यहां आये थे ; और अपने आगमन के पश्चात ही उन्होंने अपने उस वक्तव्य में ज़रा सी शुद्धि कर दी । उन्होंने वक्तव्य की वास्तविक भाषा की ओर ध्यान दिलाया जिसमें यह कहा गया था कि इस प्रकार की किसी भी स्थिति में परामर्श होना चाहिए या उक्त मामले को एक दूसरे के समक्ष रखा जाना चाहिये—और यह नहीं कहा गया था कि कोई विशेष कार्य किया जाना चाहिये । अतः उन्होंने इस बात की ओर हमारा ध्यान दिलाया कि जहां तक संधि की शर्तों का प्रश्न है उनका पहले का वक्तव्य शत प्रतिशत शुद्ध नहीं था, क्योंकि स्वयं संधि में ऐसी बात थी । इसमें, निस्संदेह, गोआ की ओर कोई निर्देश नहीं है । नैटो (NATO) की संधि की शर्तों के अनुसार यह है कि यदि किसी बस्ती में इस प्रकार की घटनाएं हों तो तत्सम्बन्धी देश को उस मामले का निर्देश किया जाएगा, और यदि आवश्यकता पड़े तो वे दोनों देश आपस में परामर्श करेंगे ।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री को यह बात मालूम है कि इस प्रकार के विवाद-ग्रस्त विषयों को पाकिस्तान ने केवल इसी परिषद् में उठाया हो, ऐसा नहीं है, लेकिन न्यूज़ीलैण्ड और कनाडा में भी सदा पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल इसी प्रकार के विवाद-ग्रस्त प्रश्नों को उठाता रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां । यह खास सवाल उठाने का तो शायद पहले उनको मौका न मिला हो, लेकिन इस ढंग के और सवालात तो बार बार उठाए गए हैं ।

श्री एन० एम० लिंगम : क्या इस विषय में पाकिस्तान नैटो की शक्तियों को भड़का नहीं रहा है, ताकि उसके षड्यंत्रों भरे बर्ताव के कारण पुर्तगाल इस समस्या को सुलझा न सके और गोआ निवासियों के दुःखों में बढ़ोत्तरी हो जाय ?

अध्यक्ष महोदय : आक्षेप तथा मिथ्या आरोप तो होते रहते हैं । जिनका उत्तर मांगा जाता है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अधिकतर व्यक्तियों की इस प्रकार की भावना है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम अपना औपचारिक कार्य जारी रखेंगे।

श्री वीरास्वामी : निवेदन है कि.....

अध्यक्ष महोदय : कार्य समाप्त होने पर ही माननीय सदस्य निवेदन कर सकते हैं ?

प्रश्नों के लिखित उत्तर

इस्पात

*४४३. **श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बन्दरगाहों पर और भारत के उत्तरी प्रदेशों में प्रचलित इस्पात के भावों में इतना अन्तर क्यों है;

(ख) क्या कारण है कि पश्चिमी प्रदेशों के व्यापारियों को इस्पात उन सस्ती दरों पर नहीं मिलता है, जो बन्दरगाहों के समीपवर्त्ती प्रदेशों में प्रचलित हैं ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान उस संकल्प की ओर आकर्षित किया गया है जो ढलाई केन्द्रों और इंजीनियरी उद्योगों के संघों ने अपनी उस बैठक में पारित किया था जो कि मई १९५४ में बटाला (पंजाब) में हुई थी;

(घ) क्या इस्पात के वितरण के सम्बन्ध में अमृतसर नगर को भी वे सुविधायें देने के सुझाव पर सरकार ने विचार किया है जो कि बन्दरगाहों पर दी जाती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) किसी स्थान पर जो मूल्य, होगा वह उस स्थान की समीपस्थ बन्दरगाह से दूरी पर निर्भर होगा।

(ख) मल्य-नियंत्रण लागू होने से पहले भारत में उत्पादित इस्पात के मूल्य, आयात किए गए इस्पात के तटागत मूल्य पर निर्भर रहते थे। मुख्य मुख्य बन्दरगाहों पर एक-सा तटागत मूल्य होने के कारण भीतरी स्थानों के उपभोक्ताओं को सदा बन्दरगाह तथा उसके समीप के स्थानों के उपभोक्ताओं की अपेक्षा इस्पात का अधिक मूल्य देना पड़ता था। अतः सरकार ने मूल्य नियंत्रण लागू करने के पश्चात् भी मूल्य में यह उलट-फेर रखी, जिससे इस प्रकार का यह नियंत्रण हटा दिये जाने पर भी इस उद्योग पर अधिक प्रभाव न पड़े।

(ग) तथा (घ) जी हां।

(ङ) ऐसा विचार है कि अभी लागू की गई इस योजना के कार्य की कुछ समय तक जांच की जाय, जिसके अन्तर्गत समीपवर्ती बन्दरगाह से भाड़े के रूप में अधिकतम अतिरिक्त मूल्य ६० रुपये प्रति टन तक रखा गया है; और इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है कि पूरा वस्तु भाड़ा कितना देना पड़ा है।

श्रीलंका में भारतीय बच्चे

*४४४. **श्री एस० एन० दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रीलंका सरकार ने भारतीय उद्गम के लोगों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा के उस अधिकार से वंचित कर दिया है जिसका वह अभी तक लंकावासियों के बच्चों के साथ उपभोग कर रहे थे ;

(ख) इसके कारण सबसे बुरी तरह प्रभावित बच्चों की संख्या कितनी है; तथा

(ग) सरकार द्वारा इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है।

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नदी घाटी परियोजनाओं की प्रगति

*४५७. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि नदी घाटी परियोजनाओं की प्रगति के सम्बन्ध में बनाई गई समिति ने अपना प्रतिवेदन दिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

तम्बाकू (निर्यात)

*४५९. **श्री विभूति मिश्र** :
श्री के० सुब्रह्मण्य :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे ;

(क) क्या यह सच है कि सन् १९५२-५३ की तुलना में सन् १९५३-५४ में तम्बाकू का निर्यात घट गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; तथा

(ग) सन् १९५४–५५ में (अप्रैल से जुलाई तक) तम्बाकू की निर्यात-स्थिति क्या है, और पिछले वर्ष की तत्सम्बन्धी अवधि की तुलना में इसकी क्या स्थिति है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) तम्बाकू-निर्यात में कमी होने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं :

(१) निम्न श्रेणी के तम्बाकू का इकट्ठा होना;

(२) जापान, चीन और पाकिस्तान से इस प्रकार के निम्न श्रेणी के तम्बाकू की पर्याप्त मांग का अभाव; क्योंकि उन्होंने इसे पहले काफी मात्रा में खरीदा था।

(३) रोडेशिया तथा अमरीका द्वारा प्रतिस्पर्धा।

(ग) सन् १९५४-५५ में अप्रैल से जुलाई तक तथा सन् १९५३-५४ में तत्सम्बन्धी अवधि में निर्यात किए गए तम्बाकू का परिमाण तथा मूल्य इस प्रकार है :—

सन् (अप्रैल-जुलाई)	परिमाण	मूल्य
१९५४–५५	२७,९१७,०००	पौण्ड ५२,९७२,०००
सन् (अप्रैल-जुलाई)	परिमाण	मूल्य
१९५३–५४	३३,६२७,०००	पौण्ड ५०,४५,०००

मधुपुर (त्रिपुरा) में भूमि अधिग्रहण

*४६७. **श्री दशरथ देव** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा के मधुपुर क्षेत्र में भूमि–अधिग्रहण से आदिम जातियों के लोग काफी संख्या में प्रभावित हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में इन आदिम जाति के कृषकों से अभी तक कितनी भूमि ली गई है ;

(ग) उस क्षेत्र में भूमि स्वामित्व के सम्बन्ध में क्या त्रिपुरा वासियों तथा विस्थापितों में कोई झगड़ा हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भौंसले) (क) और (ख). इसान चन्द्र नगर तहसील में मधुपुर में ३७·४० एकड़ भूमि के अधिग्रहण से आदिम जातियों के लोगों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। कमला सागर तहसील में मधुपुर नामक एक और स्थान पर ४९·२५ एकड़ भूमि अधिग्रहीत हुई है। इस क्षेत्र में ३·०६ एकड़ भूमि भी सम्मिलित है जो आदिम जाति के तीन परिवारों से ली गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

टेबल (मेज के) पंखे

*४६९. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) टेबल (मेज़ के) पंखों की कुल वार्षिक मांग कितनी है और प्रति वर्ष कितने आयात किये जाते हैं ; तथा

(ख) सम्पूर्ण आवश्यकता पूर्ति के लिये देश में इनके निर्माण के सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) टेबल पंखों की वर्तमान मांग की सही जानकारी प्राप्य नहीं है। प्रशुल्क बोर्ड ने अपने सन् १९५१ के प्रतिवेदन में अनुमान लगाया है कि मांग प्रतिवर्ष ५०,००० से लेकर ६०,००० तक है और इसमें प्रतिवर्ष १० प्रतिशत वृद्धि हो जाती है।

टेबल पंखों के आयात के आंकड़े प्राप्य नहीं हैं। क्योंकि 'विदेशी व्यापार (समुद्र, वायु और भूमि) तथा भारतीय नौवहन सम्बन्धी लेखें, में, इस विषय की पृथक् सूचना नहीं रखी जाती। सन् १९५३-५४ में सब प्रकार के बिजली के पंखों के आयात का मल्य लगभग ७ लाख रुपये था।

(ख) केवल कुछ विशेष प्रकार के पंखों को छोड़ कर, टेबल पंखों सहित बिजली के समस्त पंखों की आन्तरिक मांग पूरी करने के लिये, देश का उत्पादन लगभग पर्याप्त समझा जाता है।

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्ति

*४७२. **श्री बीरेन दत्त**: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा में विस्थापितों को आवास ऋण देने के कितने मामले विचाराधीन हैं ?

(ख) कितने विस्थापित ऐसे हैं जो वहां अभी तक कैम्प में रह रहे हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) ४५४।

(ख) त्रिपुरा में विस्थापितों के लिये अदला-बदली या सहायता के कैम्प नहीं हैं। अरुन्धतीपुर (त्रिपुरा) में केवल एक स्थायी दायित्व कैम्प है जिसमें ५४५ विस्थापित रहते हैं।

श्रीलंका में चाय-व्यापार

*४७४. **श्री बोगावत**: क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या श्रीलंका-सरकार ने श्रीलंका स्थित भारतीयों को चाय-व्यापार की अनुज्ञप्तियां देना बन्द कर दिया है ?

(ख) यदि हां तो इससे भारतीय कहां तक प्रभावित होंगे ?

(ग) इस विषय में सरकार क्या कदम उठाना चाहती है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : (क) चाय-नियंत्रक ने श्रीलंका के चाय चोरी निरोध अधिनियम (१९५३ का संख्या ४५) की धारा २ (२) के अधीन भारतीय चाय व्यापारियों को

अनुज्ञप्तियां देना बन्द कर दिया है। उन्होंने श्रीलंका सरकार के पास अपना अभ्यावेदन भेजा था और वहां से यह पता लगा है कि उन्हें वर्ष के अन्त तक अस्थाई अनुज्ञप्तियां दिलाने का आश्वासन दिया गया है।

(ख) यदि अनुज्ञप्तियां नहीं दी जातीं तो लगभग २०० से ३०० भारतीय व्यापारियों तथा फर्मों का व्यापार बन्द हो जायगा।

(ग) सरकार उचित समय पर आवश्यक तथा उचित कार्यवाही करेगी।

विस्थापितों के दावे

*४७६. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में आए हुए विस्थापितों के जांचे गए दावों का कुल मूल्य कितना है; और

(ख) जिनके दावों की जांच कर ली गई है उन विस्थापितों को अधिकतम धन देने का निश्चय किस आधार पर किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) जांचे गए दावों का कुल मूल्य उस समय ज्ञात होगा जबकि जांच और पुनरीक्षण का काम पूरा हो जायगा और जब पूर्ण सांख्यकीय विश्लेषण किया जायगा।

(ख) वितरणीय सम्पत्ति में बहुशः निष्क्रान्त तथा सरकारी दोनों सम्पत्तियां हैं। जल्दी बेची जाने योग्य सम्पत्तियों की संख्या और किस्म देख कर उनका अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है। वितरण के लिये नकद रुपया प्राप्त करने के साधनों को भी ध्यान में रखा गया है।

अपहृत महिलायें

*४८३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल १९५४ से जुलाई १९५४ के काल में कितनी अपहृत महिलाएं पाकिस्तान वापस भेजी गईं और ऐसी कितनी महिलाएं पाकिस्तान द्वारा भारत को सौंपी गईं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : क्रमशः ३९६ और ४२।

तम्बाकू प्रतिनिधि मंडल

*४८४. **श्री एस० एन० दास।**
श्री नानादास :
श्री सी० आर० चौधरी :
श्री राघवैया :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार द्वारा भेजे गए उस प्रतिनिधि-मंडल ने कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है जो यह देखने के लिये दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का भ्रमण करने गया था कि भारतीय तम्बाकू का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस प्रतिनिधि-मंडल ने कौन से देश देखे और तम्बाकू-निर्यात को बढ़ाने के लिये क्या सुझाव और सिफारिशें की हैं; और

(घ) इस प्रतिनिधि-मंडल पर कुल कितना व्यय हुआ ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग), विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५२]**

(घ) लगभग ४०,००० रुपये।

बेरोजगारी सर्वेक्षण

*४८५. **श्री डाभी** : क्या **योजना** मंत्री ८ मार्च, १९५४ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न

संख्या १४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या नमूने के रूप में २३ नगरों में किये गए बेरोज़गारी सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्रकाशित हो गया है;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन द्वारा बतलाई गई बेरोजगारी की क्या स्थिति है; और

(ग) यह सर्वेक्षण किन नगरों में किया गया था ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नगरों की सूची पटल पर रखी जाती है **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५३]**

औद्योगिक मशीनरी

*४८६. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वस्त्र-उद्योग के लिये आवश्यक भिन्न भिन्न मशीनरी के निर्माण के सम्बन्ध में आजकल क्या स्थिति है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : सूती वस्त्र बनाने वाली भारत निर्मित विविध प्रकार की मशीनरी का विवरण पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५४]**

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

*४८७. **श्री के० पी० सिन्हा ! श्री शिवनजप्पा** :

क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री ३० मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४०६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या राष्ट्रीय भवन-निर्माण संगठन की स्थापना कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). हां, श्रीमान् । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन की स्थापना सम्बन्धी संकल्प संख्या एच—४ (८) ५४, दिनांक ९ जुलाई, १९५४, की एक प्रति पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५५]**

मलाया में आप्रवास

४८८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रधान मंत्री** मलाया और सिंगापुर में अगस्त, १९५३ में नवीन आप्रवास विनियमों के पुरःस्थापन के पश्चात् वहां जाने वाले भारतीयों की कुल संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खान) : जून, १९५४ के अन्त तक १९,९०५ ।

इस्पात

*४८९. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक** : क्या **पुनर्वास** मंत्री उन राज्यों के नाम बताने की कृपा करेंगे जिन्हें विस्थापित व्यक्तियों के गृह-निर्माण के लिये इस्पात का बंटन किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : पटल पर विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५६]**

कल्याणी में रेडियो का कारखाना

*४९०. **श्री एम० एल० द्विवेदी : श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के कल्याणी नामक स्थान पर रेडियो

बनाने का एक आधुनिक ढंग का कारखाना खोला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में किसी विदेशी फर्म के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ग) यदि हां, तो यह फर्म किस देश की है;

(घ) यह कारखाना कब तक बन जायेगा;

(ङ) इस कारखाने में रेडियो के कौन से पुर्जे आदि बनाये जायेंगे; और

(च) इस कारखाने की अनुमानित लागत क्या होगी और भारत सरकार इसके लिये कितनी राशि देने का विचार कर रही है?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) :(क) उद्योग अधिनियम के अधीन कल्याणी में रेडियो रिसीवर्स के उत्पादन के लिये एक अनुज्ञप्ति दी गई है।

(ख) नहीं, श्रीमान्।

(ग) उत्पन्न नहीं होता।

(घ) सरकार के पास जानकारी नहीं है।

(ङ) रेडियो रिसीविंग सेट और रेडियो बैटरी।

(च) फैक्टरी की इमारत की अनुमानित लागत के विषय में सरकार को कोई जानकारी नहीं है। इसकी स्थापना के लिये केन्द्रीय सरकार की ओर से किसी प्रकार की निधि की सहायता नहीं दी गई है।

महात्मा गांधी की समाधि

*४९१. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि महात्मा गांधी की समाधि के नमूनों पर कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या समाधि के निर्माण में किसी विशेष रंग के पत्थरों को काम में लाने की सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो सिफारिश का पूर्ण विवरण क्या है ?

निर्माण आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) ३,५०० रुपये।

(ख) हां, श्रीमान्।

(ग) अपेक्षित जानकारी बताने वाला विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५७]**

आयात नीति

*४९२. **श्री जेठालाल जोशी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या सरकार ने अपनी आयात नीति हाल ही में उदार कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो मिठाई, बिस्कुट, मुरब्बा और केक्स जैसी आयात की वस्तुओं के अभ्यंश में जुलाई से दिसम्बर १९५४ तक की अवधि के लिये कितनी वृद्धि कर दी है?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) मिठाई के लिये निर्धारित अभ्यंश में वृद्धि नहीं की गई है। दूसरी वस्तुओं के अभ्यंश में पांच प्रति शत की वृद्धि कर दी दी गई है।

कपड़े पर शुल्क

*४९३. **श्री राधा रमण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि मोटे कपड़े के निर्यात पर मूल्य के अनुसार शुल्क लगाया जाता है और मध्यम दर्जे के कपड़े के निर्यात पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता; जिसका

परिणाम यह होता है कि मध्यम कपड़े के नाम पर भारी मात्रा में मोटे कपड़े का निर्यात हो रहा है; और

(ख) क्या सरकार इस विषय में कोई कार्यवाही कर रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) मोटे कपड़े पर इसके मूल्य के अनुसार १० प्रतिशत का निर्यात शुल्क है । मध्यम, महीन और बहुत महीन कपड़े पर शुल्क नहीं है । इस तरह की शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि मध्यम सूत के ताने और मोटे सूत के बाने का कपड़ा, जिसे नकली मध्यम कपड़ा कहते हैं, निर्यात किया जा रहा है ।

(ख) सरकार स्थिति को देख रही है ।

जम्मू और काश्मीर राज्य में निष्क्रान्त सम्पत्ति

*४९४. **श्री गिडवानी** : क्या **पुनर्वास** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर राज्य में कोई निष्क्रांत सम्पत्ति है; और

(ख) यदि हां, तो क्या राज्य के पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों को उक्त सम्पत्ति दे दी गई है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उचित समय में पटल पर रखी जायगी ।

आसाम के लिये नदी आयोग

*४९५. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि आसाम के लिये नदी आयोग की रचना का सुझाव सरकार के समक्ष रखा गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है ;

(ग) आयोग के कार्य का क्षेत्र क्या है; और

(घ) आयोग अपना कार्य कब आरम्भ करेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ) तक । एक उच्च शक्ति युक्त बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का विचार है जिसमें आसाम के लिये एक विशेष टेकनीकल समिति सहायक स्वरूप रहेगी । विस्तृत बातों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

अपहृत महिलायें

*४९६. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ऐसी हिन्दू अपहृत महिलाओं की कोई विस्तृत सूची प्रकाशित की गई है, जो अभी तक पाकिस्तान में हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या शीघ्र ही ऐसी महिलाओं की कोई विस्तृत सूची प्रकाशित की जायेगी, जैसा कि पाकिस्तान में किया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) नहीं, श्रीमान् पाकिस्तान में कथित अपहृत गैर मुस्लिम महिलाओं की एक सूची शासकीय उपयोग के लिये संकलित की गई है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का पुनर्संगठन

*४९७ **श्री एस० एन० दास** :
श्री झूलन सिन्हा :

क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री २० फरवरी, १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न

संख्या २१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण के पुनर्संगठन की जांच के लिये नियक्त की गई समिति की सिफारिशों की कार्यान्विति में कोई प्रगति हुई है और यदि हां, तो क्या प्रगति हुई है; और

(ख) क्या ठेकेदारों के साथ करार सम्बन्धी झगड़े सुलझाने के लिये अधीक्षक इंजीनियरों को मध्यस्थ नियुक्त करने की सिफारिश के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) सरकार ने उसके बाद राष्ट्रीय भवन निर्मण संगठन स्थापित कर दिया है ।

(ख) अभी नहीं ।

खादी का प्रमाणीकरण

*४९८. **श्री डाभी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २५ मार्च, १९५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की की कृपा करेंगे :

(क) क्या केवल अनुज्ञप्ति के आधार पर खादी की बिक्री के सम्बन्ध में प्रारूप विधेयक पर राज्य सरकारों के विचार केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उनके क्या विचार हैं; और

(ग) क्या किसी राज्य सरकार ने अभी तक प्रारूप विधेयक की रूप रेखा पर कोई विधान बनाया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) बम्बई, ट्रावनकोर-कोचीन, उत्तर प्रदेश, पेप्सू, आसाम, हैदराबाद और सौराष्ट्र की राज्य सरकारों ने अपने विचार भेज दिये हैं । दूसरी राज्य सरकारें अभी मामले पर विचार कर रही हैं ।

(ख) बम्बई, ट्रावनकोर-कोचीन, उत्तर प्रदेश, पेप्सू, आसाम, हैदराबाद, सौराष्ट्र ने प्रारूप विधेयक की रूप रेखा पर विधि विधान बनाने के लिये इच्छा प्रकट कर दी है । मैसूर सरकार का मत है कि प्रस्तावित विधान बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ग) नहीं, श्रीमान् ।

शीरा

*४९९. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५३–५४ में शीरे के निर्यात पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध लगाया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या अब भी वह प्रतिबन्ध चल रहा है;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक हो, तो चालू वर्ष में शीरे के निर्यात का लक्ष्य कितना है; और

(घ) किस या किन पत्तनों से निर्यात की आज्ञा दी गई है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) से (घ). शीरा तीन प्रकार का होता है, अर्थात् (१) खंडसारी, (२) चिटा और (३) मिल ।

खुली सामान्य अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत खंडसारी शीरे के निर्यात की आज्ञा दी गई है ।

कलकता पत्तन से पश्चिमी बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश के शीरे की पूर्वी

पाकिस्तान को निर्बाध रूप से निर्यात करने की आज्ञा दी गई थी । ३० मार्च, १९५४ से पश्चिमी बंगाल के चिटा शीरे के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ।

मद्रास सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से छोड़े जाने की सुविधा दिये जाने के अनुसार मिल के शीरे की छोटी मात्राओं में मद्रास पत्तन से निर्यात करने की आज्ञा दी गई थी । २७ अप्रैल, १९५४ से मद्रास पत्तन से निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाया गया है । बम्बई पत्तन से मिल के शीरे निर्यात की जो २७ अप्रैल, १९५४ से पहले प्रतिबन्धित था, अब १·७५ लाख मन की सीमा तक आज्ञा दी गई है । केवल बिहार की भूमि के शीरे के २ लाख मन अभ्यंश के प्रति कलकत्ता पत्तन से मिल के शीरे के निर्यात की आज्ञा दी गई है । यह अभ्यंश १५ दिसम्बर, १९५३ को छोड़ा गया था, और १९५४ के अन्त तक इस मात्रा को जहाज़ों द्वारा उठाया जा सकता है ।

कोयला

***५००. श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) फरवरी, मार्च और अप्रैल १९५४ में देश में कोयले और कोक का कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) वर्ष १९५३ के तत्सम्बन्धी महीनों में हुए उत्पादन के आंकड़ों के मुकाबले में इन आंकड़ों की किस प्रकार तुलना की जा सकती है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी): (क) तथा (ख). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है, पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ५८]**

फिल्मी संगीत

***५०१. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या फिल्मी संगीत के प्रसारण के सम्बन्ध में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो वह परिवर्तन किस प्रकार का है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) तथा (ख). फिल्मी संगीत के प्रसारण के सम्बन्ध में सरकार की नीति में परिवर्तन होने का कोई भी प्रश्न नहीं । सभा में यह बात पहले ही स्पष्ट शब्दों में बताई गई है । यों तो इसके स्पष्टीकरण के लिए यहां यह दोहराया जा सकता है कि आल इण्डिया रेडियो में फिल्मी संगीत पर कोई भी प्रतिबन्ध नहीं है । रेडियो जनता को विविध प्रकार का संगीत देने की नीति का अनुसरण करता है, अतः वह फिल्मी संगीत को भी किसी अंश तक सीमित अनुपात में देने को तैयार है । बहुत से निर्माताओं ने विगत वर्ष आल इण्डिया रेडियो के साथ यह कह कर ठेके समाप्त किये कि फिल्मी संगीत के साधारण स्तर पर कोई भिन्न मत प्रकट किया गया था जिससे वे सहमत नहीं थे । कई महत्वपूर्ण निर्माताओं ने इस बात का आग्रह किया था कि उनकी फिल्मों से लिये गये गानों को प्रसारित करते समय उनके और उस फिल्म के नाम का भी विज्ञापन किया जाय । किसी समय तक यही स्थिति रही है यों तो अभी हाल में कुछ एक निर्माताओं ने। इस विषय में सरकार के साथ फिर से लिखा-पढ़ी शुरू की है । यदि इस लिखा-पढ़ी का कोई सफल परिणाम निकला और निर्माताओं ने फिर से ठेके लिये, तो उपरोक्त साधारण नीति

के अनुसार उनके निर्मित गानों को भी आल इण्डिया रेडियो के कार्यक्रम में स्थान मिलेगा।

प्रधान मंत्री का चीन का दौरा

*५०२. **श्री डी० सी० शर्मा :**
श्री बुचीकोटैय्या :
श्री वोडयार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष उनका चीन जाने का विचार है; तथा

(ख) यदि हां तो उनका चीन जाने का प्रयोजन क्या है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) (क) हां।

(ख) चीन सरकार ने प्रधान मंत्री को आमंत्रित किया और उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। यह एक पड़ोसी देश का मैत्रीपूर्ण भ्रमण होगा।

उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में बुनयादी शिक्षा प्राणाली

***५०३. श्री नवल प्रभाकर :** क्या **प्रधान मंत्री** १५ दिसम्बर १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुनियादी शिक्षा की इस योजना को जिसे उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण में लागू करने का विचार है अन्तिम रूप दे दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे कितने आदिम-जाति के व्यक्तियों को लाभ होगा ?

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अलि खान) । (क) हां।

(ख) लगभग ८ लाख व्यक्तियों को।

मूंगफली का तेल (निर्यात)

*५०४. **श्री जेठालाल जोशी :**
श्री एन० राचय्या :
श्री आर० एन० सिंह :
श्री गाडिलिंगन गौड :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का शीघ्र ही मूंगफली के तेल के निर्यात की आज्ञा देने का विचार है;

(ख) यदि हां तो निर्यात के लिये उपलब्ध मात्रा कितनी है; तथा

(ग) देश में इस वस्तु का आधिक्य लगभग कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). २९ जुलाई १९५४ को, पुरानी जहाज़ी कम्पनियों को दिये जाने वाले पुराने निर्यात के १५ प्रतिशत क्या अभ्यंश निर्धारित किया गया था तथा यह भी निर्धारित किया गया था कि निर्यात की अधिकतम मात्रा ४०० टन होगी। इस आधार पर कितना निर्यात होगा यह ठीक ठीक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है परन्तु आशा है कि यह मात्रा १० और १२ हज़ार टन के बीच में होगी।

(ग) यह स्पष्ट है कि खपत बढ़ रही है। पिछली फ़सल का कोई अंश शेष भी नहीं रहा है इसलिये निर्यात किये जा सकने वाले आधिक्य का ठीक ठीक प्राक्कलन निकालना कठिन है।

भारतीय भेषजीय उद्योग

२२०. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जितनी दवाइयां उत्पन्न करने वाली वस्तुओं की भारतीय भेषजीय उद्योग को

प्रति वर्ष आवश्यकता होती है उसकी मात्रा तथा मूल्य कितना है;

(ख) इन वस्तुओं की मांग का कौन सा भाग देशी रासायनिक उद्योगों के उत्पाद से पूरा होता है;

(ग) क्या यह सच है कि देशी उफान उठाने वाली वस्तुओं को खपाने में इस उद्योग को मद्य निषेध विधियों के प्रतिबन्धों के कारण बहुत बड़ी अड़चन होती है जबकि आयात किये हुए मद्यसार वाले उत्पादों को, एक बार प्रवेश के बन्दरगाह पर शुल्क का भुगतान करने के बाद, सारे देश में कहीं भी भेजने की स्वतन्त्रता है; तथा

(घ) सरकार ने भेषजीय उद्योग में काम आने वाले मद्यसार तत्व के इन उत्पादों के आने जाने के एक रूप नियम लागू करने के कौन से उपाय किये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भेषजीय उद्योग के तीन मुख्य उफ़ान उत्पन्न करने वाले उत्पादों की वार्षिक आवश्यकताओं का प्राक्कलन नीचे दिया जाता है :—

पद	मात्रा
एथिल अल्कोहल	३,००,००० गैलन
साइट्रिक एसिड	२०० टन
कैल्सियम लैक्टेट	६० टन

माल्ट एक्सट्रेक्ट भी भेषजीय उद्योग में काम आने वाला एक मुख्य उत्पाद है परन्तु इसकी कुल आवश्यकता का कोई प्राक्कलन उपलब्ध नहीं है।

(ख) एथिल अल्कोहल तथा कैल्शियम लैक्टेट की सारी आवश्यकता देशी वस्तुओं से ही पूरी हो जाती है। साइट्रिक एसिड देश में तय्यार नहीं किया जाता है। माल्ट ऐक्सट्रेक्ट का देशी उत्पादन नहीं के बराबर है।

(ग) हां, कुछ हद तक।

(घ) इस प्रश्न पर विचार करने के लिये भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एक विशेषज्ञ समिति (उत्पादन शुल्क) की सिफ़ारिशों पर विचार किया जा रहा है।

कांच उद्योग

२२१. श्री वी० पी० नायर : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आजकल भारतीय कांच उद्योग के लिये जितने सोडा ऐश की प्रतिवर्ष आवश्यकता होती है उसका प्राक्कलित मूल्य तथा मात्रा कितनी है;

(ख) क्या कांच उद्योग में होने वाली देशी सोडा ऐश की खपत में १९५० से वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो कहां तक; तथा

(घ) सरकार ने इसके लिये कौन से उपाय किये हैं कि भारतीय कांच उद्योग देशी सोडा ऐश पर ही पूर्णतया आश्रित हो ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) भारतीय कांच उद्योग को प्रतिवर्ष लगभग ३०,००० टन सोडा ऐश की आवश्यकता पड़ती है जिसका मूल्य एक करोड़ दस लाख रुपया होता है।

(ख) तथा (ग). १९५३ में कांच उद्योग को लगभग १,००० टन सोडा ऐश का संभरण किया गया था जबकि १९५२ का संभरण केवल ६७७ टन था। १९५१ में जबकि देश में 'मगादी सोडा ऐश' का अभाव था, कांच उद्योग को लगभग २८८५ टन देशी सोडा ऐश का संभरण किया गया था। १९५० के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) कांच उद्योग में प्रधान रूप से भारी किस्म के सोडा ऐश का प्रयोग किया जाता है जो अभी तक देश में तय्यार नहीं होता

है। हाल ही में ६,००० टन भारी सोडा ऐश देश में तय्यार करने की एक योजना मंज़ूर की गई है।

मोटर गाडियों के कलपुरजे

२२२. **श्री नानादास** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५२ तथा १९५३ में विदेशों से आयात किये गये मोटर गाड़ियों के कल पुर्ज़ों तथा अतिरिक्त पुर्ज़ों का मूल्य कितना था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : "भारत के विदेशी व्यापार (सामुद्रिक, विमान द्वारा तथा भूमि के द्वारा) तथा नौपरिवहन सम्बन्धी खाते" में मोटर गाड़ियों के अतिरिक्त पुर्ज़ों के आयात अलग से दर्ज नहीं किये जाते हैं। १९५२ तथा १९५३ में, "विमानों के अतिरिक्त हर प्रकार की यंत्रचालित गाड़ियों के भागों तथा कल पुर्ज़ों के (रबड़ टायरों को छोड़ कर)" आयात के मूल्य नीचे दिये जाते हैं :

१९५२	१९५३
१०,८८,००,००० करोड़ रुपये।	५,५६,००,००० करोड़ रुपये।

नेपा मिल

२२३. **डा० सत्यवादी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा मिल में क्या प्रगति हुई है;

(ख) ३१ मार्च १९५४ तक नेपा मिल पर कितना धन व्यय किया गया; और

(ग) १९५४–५५ में उसके व्यय के लिये कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है **[देखिये परिशिष्ट, ३, अनुबन्ध संख्या ५९]**

(ख) ४,१३,३५,००० रुपये।

(ग) १९५४–५५ के राज्य आय व्ययक में नेपा मिल को अग्रेतर ऋण देन के लिये ८२,७०,००० लाख रुपय का उपबन्ध किया गया है।

निर्यात तथा आयात सम्बन्धी मंत्रणा परिषदें

२२४. **श्री कर्णी सिंह जी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निर्यात तथा आयात मंत्रणा परिषदों के राजस्थान के वर्तमान सदस्यों के नाम क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : निर्यात तथा आयात मंत्रणा परिषदों में दो राजस्थानी सदस्य हैं। यह परिषदें प्रादेशिक प्रतिनिधित्व के आधार पर नहीं संगठित की गई हैं।

राजस्थान में बेकारी

२२५. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या **योजना** मंत्री ४ मार्च १९५४ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने भारत सरकार के पास इस राज्य की बेकारी का विवरण अब भेज दिया है; तथा

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा जायेगा ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) नहीं।

(ख) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

अमरीका में भारतीय नागरिक

२२६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय अमरीका में निवास करने वाले भारतीय नागरिकों की संख्या कितनी है; तथा

(ख) उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो अन्तिम रूप से अमरीका के निवासी हो गये हैं तथा उनकी संख्या क्या है जो अभी तक भारतीय नागरिक हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख). १ जुलाई १९५४ को अमरीका में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों की संख्या का प्राक्कलन ५,२३२ है । ३१ दिसम्बर १९५३ तक इनमें २५३ व्यक्तियों ने अमरीका की नागरिकता अर्जित कर ली है । नवीनतम आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । अग्रेतर विवरण देने वाला एक पत्रक संलग्न किया जाता है **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६०]**

हिंदेशिया से व्यापार

२२७. श्री डी० सी० शर्मा : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतवर्ष आजकल हिन्देशिया से कुछ वाणिज्यिक वस्तुओं का आयात कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो वे वस्तुएं क्या हैं;

(ग) क्या भारतवर्ष तथा हिन्देशिया के बीच कोई व्यापार-करार हैं; तथा

(घ) क्या हिन्देशिया सरकार द्वारा व्यापार-आयुक्त का कोई कार्यालय खोला गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां।

(ख) हिन्देशिया से आयात की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएं, ताड़ का तेल, कुछ अत्यावश्यक तेल, खनिज तेल, कुछ औषधियां तथा औषधें चीनी और कच्ची खालें तथा चमड़ा है ।

(ग) नहीं । हिन्देशिया से किया गया व्यापार-करार जिसकी अवधि ३१-१२-१९५३ को समाप्त हो गई है उसको फिर से नवीनीकृत करने के लिये बातचीत आजकल चल रही है ।

(घ) नई दिल्ली स्थित हिन्देशिया दूतावास में एक वाणिज्यिक विभाग है ।

सामुदायिक संगठन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञ

२२८. { **श्री एस० एन० दास** :
सरदार ए० एस० सहगल :

क्या **योजना** मंत्री ८ मई १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामुदायिक संगठन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने योजना आयोग के साथ हुई बैठक में जिन सुझावों को प्रस्तुत किया था उनको कहां तक राज्य सरकारों ने क्रियान्वित किया है; तथा

(ख) समाज की जन तथा धन शक्ति को पूरा पूरा जुटाने के लिए यदि कोई उपाय किये गये हैं तो वे क्या हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६१]**

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

२२९. डा० राम सुभग सिंह : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर राज्य में उन परिवारों की कुल संख्या कितनी है जिनका अभी पुनर्वास नहीं हो सका है;

(ख) विभिन्न श्रेणियों के पंजीबद्ध विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या जिन्हें कि जम्मू

तथा काश्मीर राज्य में अब तक पुनर्वासित किया गया है, कितनी है;

(ग) उनको पुनर्वासित करने में भारत सरकार ने अब तक कुल कितना धन व्यय किया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) लगभग ८,६०० परिवार।

(ख) लगभग १३,७०० परिवार।

(ग) लगभग १·५ करोड़ रुपये।

भारतीय पत्रिकाएं

२३०. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **प्रधान मंत्री** उन भारतीय पत्रिकाओं के नाम बताने की कृपा करेंगे जिनकी प्रविष्टि पर निम्न प्रदेशों में प्रतिबन्ध लगा दिया गया है :—

(१) पूर्वी बंगाल ;

(२) पश्चिमी पाकिस्तान;

(३) गोआ ; तथा

(४) पांडिचेरी ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : पूर्वी बंगाल में प्रतिबन्धित भारतीय पत्रों की सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

पश्चिमी पाकिस्तान में 'हिन्दुस्तान टाइम्स' तथा 'फिल्म इंडिया' पर प्रतिबन्ध है। कुछ भारतीय पत्रों के विशिष्ट अंकों पर भी कभी कभी प्रतिबन्ध लगाया गया था। सूची सभा पटल पर रखी जाती है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६२]**

गोआ में आजकल सभी भारतीय पत्रों पर प्रतिबन्ध हैं।

पांडिचेरी में भारतीय पत्रों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

विदेशों में प्रशिक्षा

२३१. **श्री राम जी वर्मा :**
चौ० रघुवीर सिंह :

क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के उन पदाधिकारियों के नाम तथा पदवियां क्या हैं जिन्हें चार सूत्रीय कार्यक्रम तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षण योजना के लिये इंग्लैण्ड सरकार के फेलोशिप के अधीन प्रशिक्षा लेने के लिए बाहर भेजा गया था; तथा

(ख) उनकी प्रशिक्षा पर कितना व्यय हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) तथा (ख). वांछित जानकारी संलग्न विवरण में निहित है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ६३]**

चमड़ा कमाने के कारखाने

२३२. **ठाकुर लक्ष्मण सिंह चरक**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क). चमड़ा तैयार करने के कारखाने आजकल भारतवर्ष में कितने तथा कहां कहां हैं; तथा

(ख) उनका कुल उत्पादन कितना है, तथा क्या इसका निर्यात भी किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उद्योग विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन अब तक चमड़ा तैयार करने वाले ३५ कारखाने पंजीबद्ध हुए हैं। वे निम्नलिखित स्थानों पर स्थित हैं :—

आंध्र	२
बम्बई	३
मद्रास	१२
उत्तर प्रदेश	१२
पश्चिमी बंगाल	३

बिहार, मैसूर, पेप्सू, सौराष्ट्र } प्रत्येक में १

इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में चमड़ा तैयार करने के लगभग ७०० छोटे छोटे कारखाने हैं। जिनमें से लगभग ७० प्रतिशत मद्रास राज्य, १२ प्रतिशत अन्य दक्षिणी क्षेत्रों में (जैसे मैसूर, हैदराबाद, तथा बेलगांव) और शेष पश्चिमी बंगाल, बम्बई, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, तथा पेप्सू में हैं।

(ख) लगभग २ करोड़ कच्ची खाल के टुकड़ों और लगभग २ करोड़ ६० लाख भेड़ बकरियों की कच्ची खाल के टुकड़ों से प्रति वर्ष चमडा कमाया जाता है। चमड़े का काफ़ी निर्यात किया जाता है।

रबड़ की चादरें तथा क्रेप रबड़

२३४. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन द्वारा क्रेप रबड़ की अधिक मांग होने के कारण श्रीलंका ने रबड़ की चादरों की अपेक्षा क्रेप रबड़ बनाने का जो निश्चय किया है उससे भारतवर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तथा

(ख) भारतवर्ष में रबड़ की चादरों और क्रेप रबड़ के उत्पादन तथा खपत के आजकल के आंकड़े क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) कुछ भी नहीं।

(ख)—

उत्पादन (टनों में)		खपत (टनों में)	
रबड़ की चादरें	क्रेप रबड़	रबड़ की चादरें	क्रेप रबड़
१९५३ १४,५९१	३,०१२	१५,१७६	५,२२०
१९५४ जून तक ५,९५१	१,२८५	९,००५	२,९१९

सीमाओं पर होने वाली घटनाएँ

२३५. **श्री राधा रमण :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष तथा पाकिस्तान की सीमा पर जून १९५४ से हुई घटनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(ख) ये घटनाएं किस प्रकार की हैं;

(ग) इन घटनाओं में जन तथा धन की कितनी क्षति हुई है; तथा

(घ) क्या भारत सरकार ने इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई प्रभावशाली कार्यवाही की है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) से (ग) सम्बन्धित राज्य सरकारों से जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) भारतवर्ष तथा पाकिस्तान की इतनी लम्बी सीमा पर इस प्रकार की घटनाओं को पूर्णतः रोकना सम्भव नहीं है। किन्तु फिर भी उनको रोकने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जा रही है।

कागज की मिलें

२३६. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतवर्ष में कितनी कागज की मिलें हैं;

(ख) उनमें से कितनी मिलें पट्ठा बनाती हैं;

(ग) देश की कुल मांग की कितनी प्रतिशत पूर्ति स्वदेशी उत्पादन से होती है;

(घ) क्या कागज़ बनाने के लिये सबाई घास तथा बांस के अतिरिक्त अन्य कोई कच्चा सामान भी आजकल काम में लाया जाता है;

(ङ) यदि हां तो वे क्या हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) २० ।

(ख) इनमें ५ मिलें कागज़ तथा पट्ठा भी बनाती हैं ।

(ग) १९५३–५४ में कुल मांग की लगभग ७० प्रतिशत पूर्ति (अखबारी कागज़ के अतिरिक्त), तथा पट्ठे की कुल मांग की लगभग ८५ प्रतिशत पूर्ति स्थानीय उत्पादन से हुई थी ।

(घ) जी हां ।

(ङ) चीनी की सीठी, रद्दी कागज़, कपड़ों के चिथड़े, कच्चा पटुआ तथा पटुआ की रस्सी के पुराने टुकड़े ।

रुई

२३७. **श्री केलप्पन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली व्यापार मंडल ने यह शिकायत की है कि सरकार की निर्यात नीति के कारण कपड़ा मिलों को भारतीय रूई उतनी नहीं मिलती जितनी कि उन्हें चाहिए;

(ख) देश में कुल कितनी रूई पैदा होती है;

(ग) देश में कितनी छोटे रेशे की रूई की खपत होती है; और

(घ) कुल कितनी रूई निर्यात की जाती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) दिल्ली व्यापार मंडल में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई ।

(ख) (४०० पौंड की) ४२ लाख गांठें ।

(ग) (४०० पौंड की) ५ लाख गांठें ।

(घ) १९५३–५४ में अनुमानतया (४०० पौंड की) भारतीय रूई की १,५०,००० गांठें निर्यात की गईं ।

विदेशों में भारतीय राजदूतावास

२३८. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय राजदूतावासों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) भारत में विदेशी राजदूतावासों की कुल संख्या कितनी है; और

(ग) विदेशों में राजदूतावास स्थापित करने के सामान्य नियम क्या हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य एवं रक्षा मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) ३३ । इनमें वाणिज्य दौत्य और विदेशों में स्थित चौकियां सम्मिलित नहीं । बेलग्रेड और मैक्सिको सिटी में दो राजदूतावास शीघ्र खोले जाने हैं ।

(ख) ४३ । इनमें वाणिज्य दौत्य और अन्य चौकियां सम्मिलित नहीं हैं ।

(ग) जब सम्बन्धित देश राजनयिक दूतावास खोलना पारस्परिक हित में व्यवहार्य और वांछनीय समझते हैं, तो परस्पर सहमति से ये खोले जाते हैं ।

कोरिया में भारतीय सेना

२३९. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष कोरियाई युद्ध विराम संधि के सम्बन्ध में भारतीय सेनाओं के कोरिया जाने और उनके वहां से आने पर कितना व्यय

(जो कि अन्तिम रूप से लेखे में सम्मिलित किया गया) हुआ :

(ख) क्या वह व्यय भारत सरकार को करना पड़ा था या उसका भुगतान राष्ट्र संघ ने किया था; और

(ग) यदि वह राष्ट्र संघ द्वारा दिया गया था, तो भारत को कितनी राशि प्राप्त हुई ?

वैदेशिक कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कोरियाई विराम संधि के सम्बन्ध में भारतीय सेनाओं के कोरिया जाने और उनके वहां से आने पर ५५,५४,००० रुपये खर्च हुए थे। इसके अतिरिक्त, भारतीय सेनाओं आदि को विमान द्वारा ले जाने पर संयुक्त राष्ट्र कमान ने कुछ खर्च किया था, जिसका ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारत सरकार को पहले ३०,१४,००० रुपये का व्यय करना पड़ा था। २५,४०,००० रुपये की शेष राशि ब्रिटिश सरकार को उसके जहाज़ चार्टर करने के व्यय के रूप में देनी है।

(ग) भारत ने जो राशि आरम्भ में व्यय की थी, उसे सम्बन्धित पक्षों से वसूल करने के लिए और साथ ही ब्रिटिश सरकार द्वारा किये गये व्यय के सम्बन्ध में पक्षों द्वारा समन्वय के लिए कार्यवाही की गई है।

रबड़ की पट्टियां बनाने के कारखाने

२४०. श्री आर० एस० तिवारी : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में किन किन स्थानों पर रबर की पटियां बनाने के कारखाने हैं;

(ख) देश में रबर की पटियों का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) क्या रबर की पटियों के सम्बन्ध में भारत आत्म-निर्भर है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत रबर की पटियां बनाने वाली १३ फर्मों को पंजीबद्ध किया गया है। ये कलकत्ता बम्बई, नई दिल्ली, अकोला, मेरठ और आलप्पी में हैं। इनके अतिरिक्त, बहुधा पंजाब दिल्ली और बम्बई के राज्यों में १५ अन्य अपंजीबद्ध निर्माता हैं, जो छोटे स्तर पर रबर की पटियां बनाते हैं।

(ख) १९५३—५१९ टन
१९५४ (जनवरी—जुलाई)
५४७ टन अनुमानित।

(ग) वर्तमान उत्पादन सामर्थ्य देश की मांगें पूरी करने के लिए पर्याप्त समझा जाता है।

राज्य औद्योगिक उपक्रम

२४१. श्री एस० एन० दास : क्या **उत्पादन मंत्री** १३ मई १९५३ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १४६०-ग के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध के लिए एक केन्द्रीय प्राधिकार बनाने के सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय क्या है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) तथा (ख). केन्द्रीय प्राधिकार के कुछ अस्थायी प्रस्तावों के सम्बन्ध में विभिन्न औद्योगिक उपक्रमों के संचालक मंडलों से परामर्श किया गया है और प्राप्त आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए इस मामले पर अग्रेतर विचार हो रहा है। अभी कोई निर्णय नहीं किया गया।

लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
३ सितम्बर, १९५४

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
1-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

खण्ड ६, १९५४

(२३ अगस्त से ११ सितम्बर, १९५४)

सप्तम सत्र

१९५४

विषय-सूची

खण्ड ६—२३ अगस्त, से ११ सितम्बर, १९५४

	स्तम्भ
मवार २३ अगस्त, १९५४	
। सुरेशचन्द्र मजूमदार का देहान्त	१
टल पर रखे गये पत्र—	
छठे सत्र में पारित विधेयक	२—३
नारियल जटा उद्योग नियम	३
केन्द्रीय रेशम कृमिपालन गवेषणा केन्द्र, बहरमपुर, सम्बन्धी प्रतिवेदन	४
बाईक्रोमेट उद्योग के संरक्षण सम्बन्धी प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और सरकारी संकल्प	४
केन्द्रीय रेशम बोर्ड सम्बन्धी प्रतिवेदन	५
उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन विकास परिषदों के वार्षिक प्रतिवेदन	५
फोर्ड प्रतिष्ठान के अन्तर्राष्ट्रीय योजना दल द्वारा छोटे उद्योगों सम्बन्धी प्रतिवेदन तथा सरकारी संकल्प	६
छठे सत्र के पश्चात् प्रख्यापित अध्यादेश	७
भारत तथा चीन के प्रधान मंत्रियों का संयुक्त वक्तव्य	८—१०
समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०
चलचित्र अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें	१०-११
अनुदानों की मांगों (रेलवे), १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर	११
प्रेस आयोग का प्रतिवेदन, भाग १, १९५४	११
दोनों सदनों की विशेषाधिकार समितियां—संयुक्त बैठक के प्रतिवेदन का उपस्थापन	१२
सदन का कार्य	१२-१३
अध्यादेशों का प्रख्यापन	१४
स्थगन प्रस्ताव—	
पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	१४-१५
भारतीय राष्ट्रजनों के पुर्तगाल क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबन्ध	१५
गोआ की विशेष सांस्कृतिक स्थिति बनाये रखने का आश्वासन	१५
पुर्तगाली फौजों द्वारा नृशंस हत्या	१५
बिहार, आसाम, पश्चिमी बंगाल और उत्तर प्रदेश में बाढ़	१५-१८
भारत के पुर्तगाली राज्य क्षेत्रों में सत्याग्रहियों का निरोध	१८-१९
गोआ में सत्याग्रहियों के प्रवेश पर लगाई गई रोक	१९-२०
मथुरा में दंगे	२०
गोआ मुक्ति के सत्याग्रही	२०
निजामाबाद में पाकिस्तानी झंडे का फहराया जाना	२०
सभापति तालिका	२१

स्तम्भ

सदस्य द्वारा पदत्याग २१
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव—असमाप्त . . . . २२—९६

मंगलवार, २४ अगस्त, १९५४

आसाम, उत्तर बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में बाढ़ के सम्बन्ध में वक्तव्य । . . . . ९७—१०४
पटल पर रखे गये पत्र—
अनुदानों की मांगों, (रेलवे) १९५४-५५ सम्बन्धी ज्ञापनों के उत्तर . . १०४
हिन्द चीन में काम स्वीकार करने के सम्बन्ध में घोषणा . . . १०४
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाली सरकार से पत्र व्यवहार . १०४
समवाय विधेयक—संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय में वृद्धि १०४-१०५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . १०५—१८८

बुधवार, २५ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—
संसद् के पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५३ के अधीन अधिसूचना १८९
संसद् के पदाधिकारी (मोटर कारों के लिये पेशगी) नियम, १९५३ १८९-१९०
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में संशोधन . १९०
परिसीमन आयोग के अन्तिम आदेश १९०-१९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) (शास्त्री न्यायाधिकरण) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के बारे में आदेश १९१
अखिल भारतीय औद्योगिक न्यायाधिकरण (बैंक विवाद) के पंचाट के विरुद्ध अपील पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने के कारणों का विवरण १९१-१९२
भारत में पुर्तगाली बस्तियों के सम्बन्ध में पुर्तगाल सरकार से अग्रेतर पत्र व्यवहार १९२
सम्पत्ति शुल्क नियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचनायें . . . १९२
प्राप्त याचिकायें—निम्नलिखित विषयों के बारे में :
विस्थापित व्यक्तियों को रहने के लिये दुबारा मकानों का दिया जाना . १९२
वर्ग पहेली योजनाओं पर निर्बन्धन १९२
सरायकेला खरसवान का उड़ीसा के साथ विलयन . . . १९२
"कर अपवंचक ऋण" का जारी किया जाना १९३-१९४
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . १९३-२०७
तारांकित प्रश्न संख्या ६३२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . २०७-२०८
खाद्य अपमिश्रण विधेयक—खण्डों पर विचार—असमाप्त . . . २०८-२६०

बृहस्पतिवार, २६ अगस्त, १९५४

	स्तम्भ
स्थगन प्रस्ताव--	
बैंक विवादों सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में सरकार द्वारा रूपभेद	२६१-२६२
पटल पर रखे गये पत्र--	
टेलीग्राफ तारों का अवैध कब्जा रोकने के लिये नियम	२६२
टेलीग्राफ तार (क्रय विक्रय की अनुज्ञा) नियम	२६३
भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ के अधीन अधिसूचनायें	२६३-२६४
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण	२६३-२६४
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--दशम प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६३
रबड़ उत्पादन तथा वियणन (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६४
काफ़ी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक--प्रवर समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन	२६५
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के समय में वृद्धि	२६५
खाद्य अपमिश्रण विधेयक--संशोधित रूप में पारित	२६५--३२३
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा और प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा--असमाप्त	३२३--३३८

शुक्रवार, २७ अगस्त, १९५४

राज्य सभा से संदेश	३३९--३४१
काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक १९५४--उपस्थापित याचिका	३४१
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--नहर पानी विवाद	३४१--३४५
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पनर्वास) विधेयक--संयुक्त समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित	३४५
पटल पर रखे गये पत्र--	
लालटेन उद्योग को संरक्षण जारी रखने के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक संकल्प	३४६-३४७
अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक--संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव--चर्चा असमाप्त	३४७--३६५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के दसवें प्रतिवेदन के सम्बन्ध में प्रस्ताव--स्वीकृत	३६५
हथ-करघा उद्योग के लिये सभी साड़ियों और धोतियों के उत्पादन के रक्षण के सम्बन्ध में संकल्प--अस्वीकृत	३६५--४०७
कपड़ा तथा पटसन उद्योगों में आयोजित वैज्ञानिकन की योजनाओं के सम्बन्ध में संकल्प--चर्चा असमाप्त	४०८--४२०

सोमवार, ३० अगस्त, १९५४ स्तम्भ

स्थगन प्रस्ताव—

त्रावनकोर कोचीन में परिवहन सेवाओं के बारे में स्थिति ४२१

पटल पर रखा गया पत्र—

भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर रायें ४२१-४२२

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषयों की ओर ध्यान दिलाना—

कानपुर के काठी तथा साज कारखाने में हड़ताल . . . ४२२—४२६

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक, १९५३—वापस लिया गया ४२६-४२७

सरकारी भू-गृहादि (निष्कासन) संशोधन विधेयक—पुरःस्थापित . ४२७

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क तथा लवण (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित . . ४२७

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव तथा प्रवर समिति को सौंपने के तथा परिचालन के संशोधनों पर चर्चा—असमाप्त . ४२७—४५९

बैंक विवाद सम्बन्धी श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण के विनिश्चय में रूप भेद करने वाला सरकारी आदेश . . . . . ४५९—५१३

मंगलवार, ३१ अगस्त, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र—

बीमा अधिनियम, १९३८ के अधीन अधिसूचनायें . ५१३-५१४

राज्य-सभा के सन्देश . . . ५१४

अस्पृश्यता (अपराध) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपा गया . . . ५१४—५९८

बुधवार, १ सितम्बर, १९५४

स्थगन- स्ताव ५९९-६००

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—बीमा समवायों में औद्योगिक विवादों पर न्याय निर्णय करने के लिये न्यायाधिकरण . ६००-६०१

मध्य भारत आय पर कर (मान्यीकरण) विधेयक—पुरःस्थापित . . ६०१-६०२

कराधान विधियां (जम्मू और काश्मीर में विस्तार) विधेयक—पुरःस्थापित . ६०२

विशेष विवाह विधेयक—विचार करने का प्रस्ताव—स्वीकृत ६०२-६८६

बृहस्पतिवार, २ सितम्बर, १९५४

तारांकित प्रश्न संख्या ४०६ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६८७

पटल पर रखा गया पत्र —

परिसीमन आयोग का अन्तिम आदेश संख्या १४ . . ६८७-६८८

राज्य-सभा से संदेश ६८८

राज्य-सभा द्वारा पारित विधेयक--पटल पर रखे गये पत्र-- स्तम्भ

औषधि (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . . ६८८
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४ . . . . ६८८
दन्त चिकित्सक (संशोधन) विधेयक, १९५४ . . ६८९
विशेष विवाह विधेयक--
खंडवार विचार--असमाप्त . .६८९--७५८
सदस्य द्वारा पदत्याग . ७५८

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र--
भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनायें . ७५९
खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४. . . . . ७६०
भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही का संक्षिप्त वृतान्त . ७६०
आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण . . ७६१

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५० में संशोधन . . ७६२
विशेष विवाह विधेयक-याचिका का उपस्थापन . ७६२
देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य .७६२--७६९
हिन्दी में नाम पट्ट ७६९-७७०
भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७७०
दंड-प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक--
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन . . ७७०

विशेष विवाह विधेयक-खंडवार विचार--असमाप्त . . .७७१--७८९
भाग ग राज्य शासन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . ७८९
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--पुरःस्थापित . ७९०
अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९०
विद्युत संभरण (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . ७९१
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्मेबाजी विधेयक--पुरःस्थापित ७९१
अन्त्येष्ठि क्रिया सुधार विधेयक--पुरःस्थापित . ७९२
सेवा निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित . . . ७९२
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ५७क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
सेना (संशोधन) विधेयक (नई धारा ६१क का रखा जाना)--पुरःस्थापित . ७९३
विधुर पुनर्विवाह विधेयक--पुरःस्थापित ७९४
संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक-पुरःस्थापित . . ७९४
महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--वाद-विवाद स्थगित . . .७९५--८५०
सभा का कार्य ८५०-८५१

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां संशोधन) विधेयक—— स्तम्भ
विचार करने का प्रस्ताव——असमाप्त . . . ८५१—८८।

सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४

स्थगन प्रस्ताव——
ब्राजील और स्पेन से गोग्रा में स्वयं सेवकों का आना .
श्रीलंका निवासी भारतीयों का परिपीडन .
पटल पर रखे गये पत्र——
चलचित्र (विवाचन) नियम, १९५१ में संशोधन . . .
भारत का रक्षित बैंक अधिनियम की धारा २१ के उपनियम (४) के अधीन निष्पादित करार . . . .
१९-४-५४ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १८७४ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर की शुद्धि . . . . . .
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक——पुरःस्थापित . .
चावल, धान, और चावल के आटे पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के बारे में संकल्प——स्वीकृत . ८५९——
मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के बारे में संकल्प——स्वीकृत . . . ८९१
विशेष विवाह, विधेयक——
खंडवार विचार——असमाप्त ९२१-९३

मंगलवार, ७ सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र ——
परिसीमन आयोग, भारत का अन्तिम आदेश संख्या १५, दिनांक २४ अगस्त, १९५४ . ९
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . ९३९-१०

बुधवार, ८ सितम्बर, १९५४

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन . १००१
समिति के लिये निर्वाचन——
नारियल जटा बोर्ड . . . १००१-१००
सभा का कार्य——बैठकों के समय में परिवर्तन . . . १००२——१००५
विशेष विवाह विधेयक——खंडवार विचार——असमाप्त . . . १००६——१०६८

शुक्रवार, १० सितम्बर, १९५४

पटल पर रखे गये पत्र——
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०—५१ और लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ (भाग २) १०६९-१०७०
विनियोग लेखे (असैनिक) १९५०-५१ का वाणिज्यिक परिशिष्ट और लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, १९५२ . . . . . १०६९-१०७०

	स्तम्भ
ीय प्रशासन सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
ीय पुलिस सेवा (भर्ती) नियम, १९५४	१०७०
ीय प्रशासन सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
िय पुलिस सेवा (प्रोवेशन) नियम, १९५४	१०७०
िय प्रशासन सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७०
िय पुलिस सेवा (पदालि) नियम, १९५४	१०७१
ीय प्रशासन सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
ीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठता-विनियमन) नियम, १९५४	१०७१
भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४	१०७१
के राजस्व न्यायालयों में सामान्य कार्य संचालन तथा प्रक्रिया के नियम	१०७१
नयतन सम्बन्धी प्रस्ताव—स्वीकृत	१०७१—१०७८
न (तृतीय संशोधन) विधेयक से युक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	१०७९—१११८
ारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन बारे में प्रस्ताव—स्वीकृत	१११८
तथा पटसन उद्योगों का वैज्ञानिकन करने की योजनाओं सम्बन्धी संकल्प—संशोधित रूप में स्वीकृत	१११८—११६६
िकर बाढ़ के कारण हुई क्षति को सुधारने के लिये आसाम को वित्तीय सहायता सम्बन्धी संकल्प—असमाप्त	११६६—११६८

वार ११ सितम्बर, १९५४

न पर रखे गये पत्र—	
ंत्रियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम, १९५२ के अधीन अधिसूचनायें	११६९
ा सदस्य की दोष-सिद्धि	११६९—११७०
धान (तृतीय संशोधन) विधेयक—	
संयुक्त समिति को सौंपने के प्रस्ताव पर चर्चा—असमाप्त	११७०—१२०२
रतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक के बारे में वक्तव्य	१२०२—१२०५
तीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	१२०६
त में बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव—चर्चा असमाप्त	१२०६—१२९२

PD—HS—363 LSD—2-2-55—000

लोक-सभा

शुक्रवार, ३ सितम्बर, १९५४

लोक-सभा सवा आठ बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुये]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

९-२० म० पू०

पटल पर रखे गये पत्र

भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

संचार मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं भारतीय विमान अधिनियम, १९३४ की धारा ५ की उपधारा (३) के अधीन, इन अधिसूचनाओं में से प्रत्येक की एक प्रति व्याख्यात्मक टिप्पणी के साथ सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) संचार मंत्रालय अधिसूचना, संख्या १०-क/८-५३, दिनांक २८ सितम्बर, १९५३ ;

(२) संचार मंत्रालय अधिसूचना, संख्या १० का २९-५३, दिनांक १३ नवम्बर, १९५३;

(३) संचार मंत्रालय, अधिसूचना संख्या १०-क/२२-५३, दिनांक ४ जनवरी, १९५४ ;

(४) संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या १०-क/६३-५३, दिनांक १ जून, १९५४ ; तथा

(५) संचार मंत्रालय अधिसूचना संख्या १०-क/२७-५२, दिनांक १९ जुलाई, १९५४ ।

[**पुस्तकालय में रखी गईं। देखिय संख्या एस---२७६/५४**]

खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अलि) : मैं, खान अधिनियम, १९५२ की धारा ५९ की उपधारा (७) के अधीन, श्रम मंत्रालय की अधिसूचना सख्या एस०-आर०-ओ० २४०३, दिनांक, १२ जुलाई, १९५४ के अन्तर्गत प्रकाशित खान (सारांश प्रदर्शन) नियम, १९५४, की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हू ।

[**पुस्तकालय में रखी गई । दखिय संख्या एस---२७७/५४**]

भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अलि) : मैं जनवरी, १९५४ में मैसूर में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के तेरहवें सत्र की कार्यवाही

के संक्षिप्त वृत्तान्त की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस--२७८/५४]

आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिन्हा) : मैं विभिन्न सत्रों में मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं पर, सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरणों को सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या ३ लोक-सभा का षष्ठ सत्र, १९५४, **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या १]**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ८, लोक-सभा का पंचम सत्र, १९५३, **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या २]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या १३, लोक-सभा का चतुर्थ सत्र, १९५३, **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ३]**

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १८, लोक-सभा का तृतीय सत्र, १९५३, **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ४]**

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १८, लोक-सभा का द्वितीय सत्र, १९५२, **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ५]**

(६) अनुपूरक विवरण संख्या १९, लोक-सभा का प्रथम सत्र, १९५२, **[देखिये परिशिष्ट ५ अनुबन्ध संख्या ६]**

निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियम, १९५०

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : मैं निष्क्रान्त सम्पत्ति व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा ५६ की उपधारा (४) के अधीन, निष्क्रान्त सम्पत्ति (केन्द्रीय) प्रशासन नियमों, १९५०, में कतिपय संशोधन करने वाली पुनर्वास मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १६७३, दिनांक २१ मई, १९५४ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एस--२८५/५४]

विशेष विवाह विधेयक याचिका का उपस्थापन

डा० रामाराव (काकिनाडा) : मैं विशेष विवाह विधेयक, १९५४ के सम्बन्ध में १३,३०३ व्यक्तियों के हस्ताक्षरों से युक्त एक याचिका को प्रस्तुत करता हूं ।

देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य

योजना व सिंचाई तथा विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा) : देश में बाढ़ सम्बन्धी वक्तव्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गई । देखिय संख्या एस--२८६/५४]

क्योंकि वक्तव्य लम्बा है, इसलिये मैं आपकी अनुमति से सभा को इस वक्तव्य का संक्षिप्त वृत्तान्त सुनाना चाहता हूं । वक्तव्य में दिये गये आंकड़े इसमें संकलित किये गये हैं, इसलिये कुछ अधिक जानकारी आ गई है ।

मैं देश में बाढ़ समस्या और सम्बद्ध विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों तथा प्राविधिक

विशेषज्ञों के साथ हुई चर्चाओं के आधार पर वर्तमान स्थिति, तथा इस विषय में उपलब्ध सामग्री और बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की स्थिति के निजी सर्वेक्षण का संक्षिप्त ब्यौरा दूंगा । मैं यह भी बताऊंगा कि इन परि-स्थितियों में किस प्रकार की उपचारिक कार्यवाहियां की जा सकती हैं, और साथ ही मैं कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करूंगा जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बाढ़ से पर्याप्त संरक्षण करने के लिये बनाया गया है । भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश में इस वर्ष बाढ़ द्वारा उत्पन्न हुई स्थिति का कुछ शब्दों और आंकड़ों में संक्षिप्त विवरण दिया जा सकता है । २५,६५० वर्ग मील क्षेत्र और लगभग ९५ लाख व्यक्तियों पर इसका प्रभाव पड़ा है । बाढ़ों से २४७ व्यक्तियों के प्राण गये हैं और ७,७०० से अधिक पशु नष्ट हो गये हैं । लगभग १३७ लाख एकड़ भूमि में फसलों की हानि हुई है, जिसके मूल्य का अनुमान लगभग ४० करोड़ रुपये है, बहुत अधिक घर नष्ट हो गये हैं। बाढ़ द्वारा भूमि के काटे जाने और रेत जमा हो जाने के कारण पर्याप्त मात्रा में मूल्यवान भूमि नष्ट हो गई । सड़कों, रेलों, और पुलों को अत्यधिक क्षति पहुंची है और इस कारण यातायात बन्द हो गया है ।

शीघ्र ही सहायता तथा सुविधा पहुंचाने के सुचारु प्रबन्ध किये गये हैं । लगभग ५७५ लाख रुपये पहले दिये जा चुके हैं, जिसमें से निश्शुल्क सहायता और कृषि सम्बन्धी ऋण के रूप में क्रमशः १९६ लाख और ३२९ लाख रुपये दिये गये हैं । इस कार्य के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को जितना खर्च करना पड़ेगा, उसमें हाथ बंटाने का केन्द्रीय सरकार ने वचन दिया है ।

पहले भी समय-समय पर देश के विभिन्न भागों में बाढ़ें आती रही हैं । किन्तु विस्तार तथा प्रभाव को देखते हुये इस वर्ष की बाढ़ें सब से अधिक भयानक रही हैं ।

मैं ने आसाम, बिहार, पश्चिमी बंगाल तथा उत्तर प्रदेश राज्यों को पिछल पांच वर्षों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के आंकड़े और मृत्य तथा सम्पत्ति नाश आदि के आंकड़े देने के लिये कहा है । यह बात आसाम से मिली जानकारी से उत्पन्न होती है। पिछले पांच वर्षों में वहां चार भारी बाढ़ें आई हैं—दो विस्तृत क्षेत्रों में आई हैं और अन्य दो बाढ़ें विस्तार की दृष्टि से कुछ सीमित थीं—परन्तु १९५३ की बाढ़ कुछ हल्की थी । बिहार में पिछले पांच वर्षों में दो भारी बाढ़ें आई थीं, दो हल्की बाढ़ें आईं और १९५१ सामान्य वर्ष रहा । उत्तर प्रदेश में पिछले पांच वर्षों में तीन भारी, और एक हल्की बाढ़ आई थी । १९५१ सामान्य वर्ष था, जबकि उत्तर प्रदेश में कोई बाढ़ नहीं आई । पश्चिम बंगाल में तीन भारी बाढ़ें आई थीं, जिन में दो का विस्तार सीमित था और इस वर्ष की एक बाढ़, प्रभाव तथा विस्तार दोनों की दृष्टि से असाधारण थी । इसके अतिरिक्त १९५३ और १९५१ में हल्की बाढ़ें भी आई थीं । पिछले वर्ष दक्षिण में गोदावरी म भारी बाढ़ आई थी, जबकि धौलेश्वरम् बांध के ऊपर से २८ लाख क्यूसक पानी बह निकला था । जुलाई, १९४८ तथा सितम्बर, १९५१ में काश्मीर घाटी में भी बाढ़ें आई थीं । इस से स्पष्ट है कि हम यहां एक भीषण समस्या का सामना कर रहे हैं जिसे हल करने में हमें तनिक विलम्ब भी नहीं करना चाहिये ।

दूसरी ओर, इस बात पर भी ध्यान दिया जाये कि पिछले वर्षों में इस समस्या को हल करने के निमित्त सम्यक आधार पर किसी नियमानुकूल तथा गम्भीर प्रयत्न की कमी रही है । विशेषतया जल सम्बन्धी तथा अन्य आंकड़े एकत्रित नहीं किये गये

[श्री नन्दा]

हैं, जिन के बिना प्रामाणिक ढंग से कोई उपाय नहीं किया जा सकता था । इस कमी को पूरा करने के लिये हाल ही में कुछ कार्य-वाही की गई है । अभी बहुत कुछ करना शेष है । यह निर्णय किया गया है कि इन आधारभूत आंकड़ों को प्राप्त करने के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। तनिक भी विलम्ब न करते हुये आवश्यक सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान कार्य करने का हमारा मुख्य प्रयास होगा । इसके लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों एवं अभि-करणों के बीच घनिष्ट सहयोग की आवश्यकता होगी ।

इस देश की बाढ़ समस्या के अनुरूप ही हमें इसे हल करने की योजना बनानी होगी । जहांतक हिमालय से निकलने वाली नदियों का सम्बन्ध है, थोड़े समय में तथा अत्यधिक विस्तृत क्षेत्र में होने वाली भारी वर्षा ही इस स्थिति का मुख्य कारण है । मैदानों में उतरते समय नदियों की तेज़ ढलान, और सरलता के साथ बहने की कोई सुविधा न होने के कारण बाढ़ों का ज़ोर बढ़ जाता है । ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के नष्ट किये जाने के कारण भी बाढ़ें तेज़ी से आती हैं और इस कारण नदी का जल भूमि को काटता रहता है और नदियों के घाटों से मिट्टी बहा ले जाता है, जिसके परिणामस्वरूप नदियां अपना मार्ग बदल लेती हैं । इस विशिष्ट पहलू पर और अधिक ध्यान दिया जाना चाहिये ।

जहां भी सम्भव हो वहां पानी जमा करने के कुण्ड और विकर्षण नाले बनाना, निस्सन्देह बाढ़ को रोकने के अत्यधिक सफल उपायों में से हैं । देश की तीन अत्यधिक नाशकारक नदियों---दामोदर, महानदी और कोसी नदियों पर अब जो परियोजनायें चाल हैं उनके समाप्त होने के पश्चात्, इन नदियों के बहुप्रयोजनीय विकास के द्वारा, उन क्षेत्रों में, जहां य नदियां अब तक अपना विनाशकारी कार्य करती रही हैं, बाढ़ों से बहुत अधिक बचाव हो सकेगा । सतलज का भाखड़ा बांध, बेतवा का माताटीला बांध, सोन नदी की एक शाख रिहन्द का बांध, चम्बल का गांधी सागर बांध, योजना के अनुसार बहुप्रयोजनीय हैं, और यद्यपि बाढ़ नियंत्रण इन के निर्माण का प्रमख हेतु नहीं है, तो भी जिन क्षेत्रों से होकर यह नदियां बहती हैं वे क्षेत्र बाढ़ से पर्याप्त मात्रा में बचे रहेंगे । कृष्णा, नर्मदा और ताप्ती नदियों पर बांध बनाने का प्रश्न भी विचाराधीन है । काश्मीर घाटी में बाढ़ों के नियंत्रण की एक योजना हाल में केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग की सहायता से बनाई गई है ।

उन सब क्षेत्रों में जहां बाढ़ आने की सम्भावना होती है, पानी जमा करने के कुण्ड बनाने के कार्यक्रम को मुख्यतया देश के दीर्घकालीन विकास के एक भाग के रूप में समझा जायगा ।

बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों में लोगों के संरक्षण की इतनी शीघ्र आवश्यकता है कि हमें इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिये ऐसे उपायों को चुनना चाहिय जो शीघ्रता से किये जा सकें।

इन बातों पर आधारित एक कार्यक्रम बनाया जा रहा है, जिसे अपनाया जायेगा इसे तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है :

अविलम्बनीय---प्रथम भाग दो वर्ष तक चलेगा । इस अवधि में गहन जांच की जायगी और आंकड़े एकत्रित किये जायेंगे । व्यापक योजनायें भी बनाई जायेंगी और बाढ़ संरक्षण के अल्पकालीन उपायों के लिये खाके तथा प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे ।

कुछ उपायों को जैसे पलस्तर की हुई दीवारें, भूमि से ऊपर उठे हुये टीले और बांध बनाने के कार्यों को चुने हुये स्थानों पर तुरन्त किया जा सकता है ।

अल्पकालीन—द्वितीय विभाग में, जिसे दूसरे वर्ष से आरम्भ किया जायेगा और जो छठे या सातवें वर्ष तक चलेगा, बांध बनाना और नालों की उन्नति करना, जैसे बाढ़ को रोकने वाले उपायों को प्रारम्भ किया जायेगा। इस प्रकार का सुरक्षण कार्य उन क्षेत्रों के अधिकांश भागों में किया जायेगा जहां अब भी बाढ़ें बहुत आती हैं ।

दीर्घकालीन—तृतीय भाग चुने हुये दीर्घकालीन उपायों, जैसे कतिपय नदियों की शाखाओं पर पानी जमा करने के कुण्ड बनाना और जहां अनिवार्य हो वहां अतिरिक्त बांधों के बनाने से सम्बन्धित होगा । इस पर तीन से पांच वर्ष और लगेंगे ।

बाढ़ समस्या का सम्पूर्ण हल किसी अकेले उपाय द्वारा नहीं हो सकता है । यदि इस समस्या का उचित हल निकालना है तो प्रत्येक मामले के गुणदोषों पर विचार करना होगा और तब उपाय या उपायों का समन्वय करना होगा ।

ऊपर दिये गये उपायों की कार्यान्विति को देखने के लिये, जिन राज्यों में बाढ़ें अधिक आती रहती हैं, उन की सहमति से वहां राज्य बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड स्थापित करने का विचार किया गया है । सर्वप्रथम बोर्ड उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा आसाम में स्थापित किये जायेंगे । आन्ध्र तथा दूसरे राज्यों से भी, जहां बाढ़ें आती रहती हैं, इसी मार्ग को अपनाने का निवेदन किया जायेगा । इन बोर्डों का कर्तव्य अपने क्षेत्रों में बाढ़ सम्बन्धी समस्याओं का अनमान लगाना और आंकड़े एकत्रित करना, राज्य के लिये व्यापक बाढ नियंत्रण योजना बनाना, प्राथमिकता का संकेत करना तथा स्वीकृत योजनाओं की कार्यान्विति की देखभाल करना होगा । जब कभी भी आवश्यक होगा आंकड़े एकत्रित करने तथा योजना बनाने के लिये, प्रविधिक समितियां इन बोर्डों को सहायता देंगी ।

एक केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण बोर्ड भी बनाया जायेगा जिसमें केन्द्रीय सिंचाई तथा विद्युत मंत्रालय तथा राज्य बोर्डों को भी प्रतिनिधित्व मिलेगा । केन्द्रीय बोर्ड, राज्य बोर्डों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर विचार करेगा तथा उपलब्ध वित्त तथा प्रविधिक व्यक्तियों की उपलब्धता का ध्यान रख कर एक राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण योजना की रूपरेखा बनायेगा । केन्द्रीय बोर्ड को एक शक्तिशाली प्रविधिक समिति जिसमें इंजीनियरिंग, भूमि संरक्षण तथा कृषि विशेषज्ञ होंगे, सहायता देगी । आवश्यकता पड़ने पर दूसरे देशों के तथा 'इकेफे' के विशेषज्ञों को भी इस समिति की सहायता के लिये निमंत्रित किया जायेगा । केन्द्रीय टैकनिकल (प्रविधिक) समिति को केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग से सहायता मिलेगी ।

भारत के सभी राज्यों में बाढ़ से रक्षा के लिये किये गये उपायों पर हुये व्यय का अनुमान लगाना कठिन है । इस स्थिति पर मोटा अनुमान लगाना सम्भव है । अपूर्ण आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश, उत्तरी बिहार, पश्चिमी बंगाल और आसाम में अनुमानित व्यय लगभग १७५ करोड़ रुपये होगा—१०० करोड़ 'अविलम्बनीय तथा 'अल्पकालीन' उपायों पर तथा ७५ करोड़ दीर्घकालीन उपायों पर, जिसमें उत्तरी बिहार व आसाम में सहायक नदियों पर जलाशय बनाने का कार्य भी शामिल है ।

इन राज्यों में 'अल्पकालीन' योजना ६ से ७ वर्षों में पूरी हो जायगी । ज्यों-ज्यों

[श्री नन्दा]

अनुसन्धान होते जायेंगे तथा नक़शे बनते जायेंगे त्यों-त्यों योजना स्पष्ट होती जायेगी तथा चित्र उभरता जायगा। बाढ़ की समस्या के सम्बन्ध में दूसरे राज्यों में ऐसे ही उपायों में अपेक्षाकृत कम धनराशि लगेगी। विभिन्न तरीक़ों से जनता का सहयोग प्राप्त करके कार्य पर होने वाले व्यय में पर्याप्त कमी हो सकती है। स्वेच्छा श्रम के महत्वपूर्ण अशदान के रूप में जनता सहायता दे सकती है तथा जहां राज्य सरकार की लागत पर रक्षात्मक कार्य किये जा रहे हैं वहां श्रेणी अनुसार सरक्षण कर का लगाया जाना बिल्कुल उचित है।

अन्त में मैं अपनी यह धारणा भी अभिव्यक्त कर दूं कि इस देश में बाढ़ों का नियंत्रण तथा व्यवस्था की जा सकती है तथा इस समस्या को हल किया जा सकता है। किन्तु यह भी स्पष्ट है कि बाढ़ नियंत्रण की योजना जिस बड़े पैमाने पर प्रस्तुत की जा रही है वह इतनी कम अवधि में तब तक पूर्ण नहीं हो सकती है जब तक कि राष्ट्र की जनशक्ति तथा संसाधन एक बड़े पैमाने पर उस ओर न लगाये जायें। जनता तथा प्रशासन दोनों को ही इस दायित्व को उठाना पड़ेगा तथा बाढ़ों से देश की रक्षा करने के महान् कार्य को हाथ में लेना होगा।

हिन्दी में नाम पट्ट

श्री वीरास्वामी (मयूरम—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : सचिवों, उपसचिवों मंत्रियों तथा आप के नाम भी हिन्दी में लिखे नाम पट्ट कार्यालय के द्वारों पर लगाये गये हैं.....

अध्यक्ष महोदय : मैं उनका आशय समझ गया हूं। माननीय सदस्य यह भी ध्यान रखेंगे कि अब भी एक स्थान पर एक ऐसी नाम पट्टिका है जिसमें सब स्थानों तथा कमरों की संख्यायें अंग्रेज़ी भाषा में लिखी हैं। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्य इन बातों से पिछले दो वर्षों से परिचित हैं और फिर भी यदि वे चाहें तो मुझ से मेरे कमरे में मिल सकते हैं।

भारतीय आयकर (संशोधन) विधेयक

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ में अग्रेतर संशोधन करने के हेतु एक विधेयक को जिसमें उन व्यक्तियों के जिन्होंने एक विशेष अवधि में कर अपवंचन किया है निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण करने तथा उससे सम्बन्धित मामलों का उपबन्ध है पुरःस्थापित करने की अनुमति चाहता हूं।

प्रस्ताव अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा स्वीकृत हुआ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं विधेयक को *पुरःस्थापित करता हूं।

दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति के प्रतिवदन का उपस्थापन

श्री गाडगील (पूना—मध्य) : मैं दंड प्रक्रिया संहिता, १८९८ में और ज्यादा संशोधन करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा के सामने उपस्थित करता हूं।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

विशेष विवाह विधेयक—जारी

अध्यक्ष महोदय। अब सभा विशेष विवाह विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगी।

खंड ४—विशेष विवाह सम्पन्न होने की शर्तें

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मने खंड ४ के लिये एक संशोधन भेजा है। जब हिन्दू कोड विधेयक अन्तर्कालीन संसद् के समक्ष आया था तो उसमें वैध विवाह के लिये वर व वधु की आय १८ व १५ वर्ष रखी गई थी और यह भी प्रावधान था कि यदि वर या वधु में से कोई भी २१ वर्ष से कम आयु का हो तो उसके लिये अभिभावक की सहमति प्राप्त करना आवश्यक था।

परन्तु विधवा के लिये यह शर्त नहीं थी। अब हमने इस खंड को बदल कर १५ के स्थान पर २१ कर दिया है।

[**श्री पाटस्कर** पीठासीन हुये]

उस समय अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की कुछ सदस्यायें विधि मंत्री से मिली थीं तथा उनसे प्रार्थना की कि इस आयु सीमा को अधिक न बढ़ाया जाय क्योंकि इससे बहुत सी स्त्रियां इस विधेयक का लाभ उठाने से वंचित रह जायेंगी। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगी कि इसे अठारह वर्ष रखें। मैं इस संशोधन का समर्थन करती हूं। तथा श्री वी० जी० देशपांडे के संशोधन का विरोध करती हूं।

श्री फ्रैंक एंथनी (नामनिर्देशित—आंग्ल-भारतीय) : मेरे संशोधन का आशय इस प्रकार है कि दोनों पक्षों ने इक्कीस वर्ष की आयु पूरी कर ली हो, अथवा लड़के के मामले में जिसने १८ वर्ष समाप्त कर लिये हों लेकिन २१ वर्ष समाप्त न किये हों, तथा लड़की के मामले में जिसने पन्द्रह वर्ष समाप्त कर लिये हों तथा इक्कीस वर्ष समाप्त न किये हों, पिता यदि वह जीवित हो तो, और यदि पिता की मृत्यु हो चुकी हो तो, उस का अभिभावक, यदि कोई ऐसा व्यक्ति न हो तो उस लड़के या लड़की की मां की सहमति विवाह के लिये दी गई हो।

मैं इस विषय पर पूर्ववर्ती न्यायिक तथा तार्किक दोनों ही दृष्टिकोणों से विचार किया है तथा मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैं अब तक यह पता लगाने में असमर्थ रहा हूं कि किस तक अथवा दृष्टिकोण के आधार पर हमने एकमत होकर इक्कीस वर्ष की आयु मानी ह। यह कदाचित् इसलिय ह कि ब्रिटन में वयस्कता प्राप्त करने की आयु २१ वष है। किन्तु मैं ने पूर्ण रूप से सोचने समझने के बाद ही लड़के की आयु अठारह तथा लड़की की आयु पन्द्रह वष रखी है। माननीय गृह मंत्री ने यह दावा किया है कि यह एक प्रगतिशील विधान ह ...

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : क्या मैं यह संकेत कर सक़ता हूं कि विधेयक में जैसा कि उसे पुरःस्थापित किया गया है, इक्कीस वष की आयु नहीं है। राज्य सभा ने इसको इक्कीस वर्ष किया है न कि विधि मंत्री ने।

श्री फ्रैंक एन्थनी : सामान्य विधि के अन्तर्गत हम ऐसे विवाहों की अनुमति प्रदान कर देते हैं जहां लड़के ने अठारह वर्ष तथा लड़की न पन्द्रह वर्ष समाप्त कर लिये हों। मैं अनुभव करता हूं कि इस विधेयक के लिये भी, जिसे हम प्रगतिशील तथा उदार बनाना चाहते हैं, हमें अपने देश की सामान्य विधि से कम अप्रयुक्त तथा कम उदार नहीं बनाना चाहिये।

भारतीय ईसाई विवाह विधेयक के अन्तर्गत भी यदि लड़की ने पन्द्रह वर्ष समाप्त कर लिये हों किन्तु १८ वर्ष समाप्त न किये हों तथा एक लड़के न १८ वर्ष समाप्त कर लिये हों किन्तु इक्कीस बर्ष समाप्त न किये

हों तो यदि पिता जीवित है तो उसकी सहमति, पिता के जीवित न होने पर अभिभावक की सहमति और यदि अभिभावक भी न हो तो मां की सहमति प्राप्त करनी होती है ।

इसलये मैं तो यह कहूंगा कि यदि आप अठारह वर्ष की आयु रखेंगे तो भी यह एक प्रतिक्रियावादी दृष्टिकोण होगा तथा यह इस देश का सामान्य विधि से भी अनुदार हो जायगा । यह भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम से भी अनुदार हो जायेगा। ब्रिटेन में भी पहले लड़के व लड़की की आयु बारह व चौदह वर्ष की नियत की गई थी ।

मेरे विचार में सन् १९२९ में सम्मति वयः अधिनियम के द्वारा आयु को १६ वर्ष कर दिया गया था । इंगलैंड में भी, जहां पर लोग भारत के मुक़ाबले में देरी से वयस्कता प्राप्त करते हैं १६ वर्ष पूरे होने पर विवाह किया जा सकता है । इसलिये जब हमने पहले के कई अधिनियमों में लड़की की आयु को १५ वर्ष रखा हुआ है और रिवाज़ों के अनुसार भी १५ वर्ष की लड़कियां विवाह कर सकती हैं, तो यहां पर इस प्रकार का तानाशाही उपबन्ध क्यों किया जा रहा है ? मैं तो यही कहूंगा कि यह विधि प्रगतिशील नहीं है परन्तु एक प्रतिक्रियात्मक विधि है । मुझे विवाह-विच्छेद का पर्याप्त व्यवसायिक अनुभव है अतः मैं माननीय गृह मंत्री को इस बात को स्मरण रखने के लिये भी कहता हूं ।

मैं यहां कहना चाहता हूं कि इस विधि का आधार माननीय प्रयोजन है, इस प्रकार के काय से आप सुधारक नहीं समझे जायेंगे बल्कि आप को सुधारक का अभिनय करने वाला समझा जायगा । दिन प्रतिदिन शिक्षा केन्द्रों में लड़के और लड़कियां इकट्ठे पढ़ने जाते हैं अतः आप स्थिति को समझें । इंगलैंड में इस प्रकार के अधिनियम की नींव मानवता के आधार पर रखी गई है । वहां पर जन्म लेने वाले शिशु के कल्याण का विचार मुख्य रूप से रखा गया है और इस देश में भी हम इस ओर से अपनी आंख नहीं मूंद सकते हैं । दिन प्रतिदिन सहशिक्षा का प्रचार होता जा रहा है । पाठशालाओं में लड़के तथा लड़कियों की पारस्परिक मैत्री हो जाने की सम्भावनायें होती हैं । अन्य अधिनियमों के अधीन एक हिन्दू युवक एक हिन्दू युवती से प्रेम विवाह कर सकता है, परन्तु इस विधि के अधीन एक हिन्दू युवक एक अहिन्दू युवती से कदापि विवाह नहीं कर सकेगा यदि एक हिन्दू लड़का किसी ईसाई लड़की से प्रेम करता है और वह गर्भवती हो जाती है तो उनकी शादी नहीं हो सकेगी चाहे उनके माता पिता सहमत ही क्यों न हों । इस विधि को आप अन्य विधियों के अनुरूप भी तो नहीं बना रहे हैं । इस पर ही क्या आप यह कहते हैं कि आप अन्तर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं ?

इस देश में लड़कियां शीघ्र रजस्वला हो जाती है । बाल विवाह निरोध अधिनियम में भी लड़की की आयु १५ वर्ष रखी गई है । परन्तु आप हैं कि लड़की की आयु १८ वर्ष निश्चित कर रहे हैं । मैं यह भी नहीं चाहता हूं कि इस आयु में लड़के तथा लड़कियां शारीरिक प्रेरणा अथवा भावुकता के वश हो कर ही विवाह कर लें, परन्तु इसके लिये माता पिता की सहमति आवश्यक होगी । अतः माननीय विधि मंत्री को मेरे सुझाव पर अधिक ध्यान देना चाहिये ।

सामान्यतः लोग अपनी लड़कियों का विवाह १८ वर्ष से पहले ही करना चाहते हैं, परन्तु आप आयु को १८ वर्ष वैसे ही निर्धारित कर रहे हैं । मैं तो यही कहता हूं

जब तक उनकी आयु २१ वर्ष की न हो जाये, तब तक माता पिता की सहमति विवाह की एक पूर्व निश्चित शर्त होनी चाहिये । मैं मानता हूं कि विवाह एक गम्भीर तथा महत्वपूर्ण कार्य है परन्तु मैं यह भी कहता हूं कि जितनी आयु रखने का मैं सुझाव दे रहा हूं, उस आयु में कोई भी व्यक्ति अपनी हानि तथा हित को भली भांति समझ सकता है । परन्तु यदि यह मान लिया जाय कि इस आयु में उनके मस्तिष्क का पूर्ण विकास नहीं होता है तो इसे ध्यान में रखते हुये ही मैं ने यह भी कहा है कि माता पिता की पूर्व सहमति अत्यावश्यक है ।

इस के अतिरिक्त हमारी अपनी विधियों में अवयस्क आयु का कोई निश्चय नहीं किया गया है । इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये हम कह सकते हैं कि २१ वर्ष तक लड़की अवयस्क रहेगी । भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम के अन्तर्गत भी अवयस्कता आयु २१ वर्ष रखी गई है । परन्तु भारतीय विवाह-विच्छेद अधिनियम के अधीन अवयस्कता की आयु लड़की के लिये १३ वर्ष तथा लड़के के लिये १६ वर्ष रखी गई है। इसलिये हमें चाहिये कि बाल विवाह निषेध अधिनियम के अनुसार ही अर्थात् लड़की के लिये १५ वर्ष और लड़के के लिये १८ वर्ष की आयु रखें । परन्तु इस के दुरुपयोग को रोकने का उपाय करने के लिये यह होना चाहिये कि लड़की १५ वर्ष से १८ वर्ष तक तथा लड़का १८ वर्ष से २१ वर्ष तक उस समय तक विवाह नहीं कर सकता है, जब तक उनके माता पिता अपनी सहमति न दे दें । ऐसा उपबन्ध भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम में भी किया हुआ है ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं श्री फ्रैंक एंथनी के संशोधन से सहमत नहीं हूं । मेरे विचार में इस बार राज्य सभा ने बड़े विचार से काम लिया है । मुझे ऐसा लगता है कि श्री फ्रैंक एंथनी ने संयुक्त समिति के प्रतिष्ठित सदस्यों की विमति टिप्पणियां नहीं पढ़ी हैं । उन्होंने इस विषय को वैधानिक रूप में लिया है, परन्तु मैं भी प्रायः सारी आयु भर न्याय की देवी का ही पुजारी रहा हूं । यदि आप लड़की की आयु और भी कम रखेंगे, तो इससे कोई भी सुधार नहीं होगा । श्री विजयलक्ष्मी ने ठीक ही कहा था कि इस विशेष विवाह अधिनियम का प्रभाव देश की तथाकथित प्रगतिशील जनता तथा केवल शिक्षित वर्ग पर ही पड़ेगा । यदि ये लोग पुरानी धार्मिक रीति के विवाहों को तिलांजलि देना चाहते हैं तो क्या यह ठीक होगा कि वह आयु निर्धारण करने के प्रश्न पर भी केवल वैधानिक दृष्टि से ही विचार करें ?

एक अन्य महिला श्रीमती सीता परमानन्द न भी कहा है कि लड़कों की आयु कम से कम २१ वर्ष कर दी जाय क्योंकि सामान्यतः रूढ़िवादियों के विवाह छोटी ही आयु में होते हैं ।

श्री फ्रैंक एंथनी जी ने माता पिता की सहमति प्राप्त करने का सुझाव दिया है, परन्तु यह केवल एक व्यर्थ का सुरक्षण है । माता पिता को सहमति देनी ही पड़ती है । उक्त महिला ने आगे चल कर यह भी कहा है कि १८ वर्ष की आयु में लड़का विवाह तथा उसके उत्तरदायित्वों को समझने में असमर्थ रहता है । आचार्य कृपालानी ने १८ वर्षीय लड़के को पाठशाला का विद्यार्थी ही कहा है । तो क्या आप एक दसवीं श्रेणी के लड़के को इस प्रकार की स्वतन्त्रता देना चाहते हैं ?

इस पर निश्चय करने से पूर्व हमें कई बातों का ध्यान करना चाहिये । मैं केवल यही

[श्री एन० सी० चटर्जी]

कह रहा हूं कि लड़के की न्यूनतम आयु को २५ वर्ष रखा जाय ।

आयु सम्बन्धी अन्य संशोधनों को मानने से परिवार का अनुशासन भंग हो जायगा । इससे बहुत सी अन्य अवांछनीय बातें भी होंगी, जिन्हें कम करना आवश्यक है । अतः इस सभा को वयस्कता की अल्हड़ अवस्था में होने वाली कुछ नादानियों के लिये अवश्य ही उपबन्ध करना चाहिये ।

श्री बिस्वास: क्या २५ वर्ष की आयु कर देने से यह बात बन्द हो जायगी ?

श्री एन० सी० चटर्जी: मेरे विचार में २५ वर्ष की आयु उचित ही है । मैं श्रीमती सीता परमानन्द जैसी प्रगतिशील स्त्रियों के विचारों का समर्थन करता हूं । उन्होंने आयु के २४ वर्ष तक रखे जाने का सुझाव दिया है । यदि २४ वर्ष भी निश्चित किया जा सके, तो मुझे स्वीकार है ।

श्री बिस्वास: स्त्रियों की राय अस्थिर होती है ।

श्री एन० सी० चटर्जी: यह ठीक है कि स्त्रियों की राय अस्थिर होती है, परन्तु हमें ठीक चुनाव करना है, और मेरे विचार में, इस मामले में उनकी राय अधिक प्रगतिशील है । **(अन्तर्बाधा)** वास्तव में आप यह विधि इसलिये बना रहे हैं कि पुरानी धार्मिक रीति से विवाह न हों और विवाह का आधार केवल परस्पर किया गया क़रार हो । इसीलिये आप प्रेम विवाहों की बात सोच रहे हैं । क्या आप १८ वर्ष की आयु में किये गये प्रेम विवाह को पसन्द करेंगे ?

श्री बिस्वास: माननीय सदस्य इसका उपदेश अपने घर में दें ।

श्री एन० सी० चटर्जी: जहां तक मैं समझता हूं आपके महाराष्ट्र तथा हमारे बंगाल में मध्यम श्रेणी के शिक्षित परिवारों में आजकल अधिकतर विवाह ठीक आयु में ही होते हैं, अर्थात् लड़के की आयु २५ वर्ष तथा लड़की की आयु २१ वर्ष होती है आप तो हमें पीछे ले जा रहे हैं । इसलिये मैं यह कह रहा हूं कि केवल विधि सम्बन्धी पहलू को ही प्राथमिकता न दी जाय ।

श्री बिस्वास: आप केवल न्यूनतम आयु निर्धारित कर रहे हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी: इसे न्यूनतम बना दीजिये । मैं निवेदन कर रहा हूं कि न्यूनतम आयु निर्धारित की जाय । परन्तु अब प्रश्न यह है कि ठीक आयु कितनी होनी चाहिये । जहां लोग धार्मिक संस्कारों के अधीन विवाह करते हैं वहां भी साधारणतः लड़कों का विवाह २५ अथवा २६ वर्ष और लड़कियों का २० या २१ वर्ष की आयु में किया जाता है ।

श्री नानादास (ओंगोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां): जो लोग गांव में रहते हैं, उनके सम्बन्ध में क्या होगा ?

श्री एन० सी० चटर्जी: वह लोग इस अधिनियम के अधीन विवाह नहीं करेंगे ।

साथ ही कई सदस्यों ने अपनी विपत्ति टिप्पणियों में देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की ओर निर्देश किया है । यह इस विषय का एक गम्भीर पहलू है । हमें इस सम्बन्ध में आर्थिक तथा सामाजिक पहलुओं को भी ध्यान में रखना है । २१ वर्ष की आयु में किसी लड़की के विवाह से यह समस्या इतनी भयंकर न रहेगी । इसका प्रभाव समस्त राष्ट्र पर पड़ेगा । विवाह करने से पूर्व विवाह के उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझना आवश्यक है । मेरे विचार में राज्य सभा ने जो कुछ किया है

ठीक किया है। मैं तो यह कहूंगा कि लोक-सभा को चाहिये कि लड़के की आयु २४ या २५ वर्ष कर दे और लड़की की आय २१ वर्ष होनी चाहिये।

श्री डाभी (उत्तर कैरा) : मैं पण्डित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मेरे विचार में लड़के की न्यूनतम आयु २१ वर्ष होनी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि अपने आपको प्रगतिशील तथा शिक्षित कहने वाले लोग, यह कैसे कह रहे हैं कि लड़के की न्यूनतम आयु १८ वर्ष रखी जाय। क्या वह यह चाहते हैं कि १८ वर्ष के लड़के जो विद्यार्थी ही हों बचपन में विवाह कर लें और उनके परिवार का भार भी उनके माता पिता पर पड़े ?

क्या उन की यह इच्छा है कि १८ वर्ष की आयु में एक लड़का बच्चों का बाप बन जाये ? क्या उस की सन्तति स्वस्थ होगी ? बचपन के विवाहों के कारण ही आजकल के बच्चे निर्बल होते हैं।

प्राचीन हिन्दू धर्म के अनुसार भी न्यूनतम् आयु २५ वर्ष तक रखी गई है। प्रसिद्ध चिकित्सक सुश्रुत ने कहा है कि २५ वर्ष से कम आयु वाले पिता के बच्चे 'दुर्बलेंद्रीय' होंगे। परन्तु यह प्रगतिशील लोग चाहते हैं कि विवाह १८ वर्ष की आयु में ही कर दिया जाये।

विवाह योग्य आयु को कम करने से एक और भी खतरा है, और वह है जनसंख्या के बढ़ जाने का। प्रतिवर्ष ४० लाख बच्चे जन्म लेते हैं और ऐसा अनुमान है कि १९८१ तक हमारी जनसंख्या ५२ करोड़ हो जायेगी। इसे रोकने के लिये प्रगतिशील लोग गर्भ निरोध औषधियां आदि प्रयोग करने के लिये कहते हैं, जिन से स्त्रियों का स्वास्थ्य संकट में पड़ जाता है। एक ओर तो यह लोग जनसंख्या के बढ़ने से घबराये जा रहे हैं और दूसरी ओर यही लोग ऐसी विधियां बनाने के चक्कर में हैं, जिन से जनसंख्या स्वमेव बढ़े। कुछ समय पहले स्वास्थ्य मंत्री ने एक रेडियो वार्ता में बताया था कि यदि लड़के लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ा दी जाये, तो निश्चित रूप से बच्चे कम पैदा होंगे, क्योंकि वह पहला प्रजनन काल जिस में बच्चे पैदा करने की शक्ति अधिक रहती है, निकल जायगा। इसी प्रकार जनगणना आयुक्त ने भी कुछ अनुसन्धानों के अनुसार यह सिद्ध किया है कि जितनी अधिक आयु में एक लड़की का विवाह होगा, उतने ही उस के कम बच्चे पैदा होंगे। अतः प्रत्येक प्रयोजन के लिये लड़के की न्यूनतम आयु २१ वर्ष रखी जानी चाहिये।

श्रीमान्, यह भी कहा गया है कि उस अवस्था में माता पिता की सहमति होनी आवश्यक होगी। परन्तु मैं चाहता हूं कि हमें इसे राष्ट्रीय तथा सामाजिक दृष्टिकोण से देखना है। यहां पर सहमति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। ऐसा कहने वाले क्या यह स्वीकार कर सकेंगे कि माता पिता की सहमति होने पर क्या वर्जित सम्बन्धों में विवाह होना चाहिये ? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। यह राष्ट्रीयता, सामाजिकता, तथा विधि के विरुद्ध है। हमें अपनी निश्चित नीति के विरुद्ध नहीं चलना चाहिये। अतः मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह पंडित ठाकुर दास भार्गव के संशोधन का समर्थन करे।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसीरहाट) : मैं श्री चटर्जी की कुछ आलोचनाओं का उत्तर देना चाहती हूं। आयु-सीमा को २५ वर्ष तक बढ़ा देने के संशोधन का वास्तविक कारण विधेयक के क्षेत्र को यथासंभव संकुचित करना है। मेरा निवेदन यह है कि विशेष विवाह विधेयक संविधि पुस्तक पर १८७३

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

से है और उस में आयु १८ वर्ष निर्धारित है। इतनी न्यूनतम आयु-सीमा होने पर भी विवाह-विच्छेद के मामलों की संख्या अधिक नहीं रही है। अतः इस सीमा को मान लेने से कोई हानि नहीं होगी।

श्री फ्रैंक एन्थनी के इस तर्क में काफी बल है कि न्यूनतम आयु-सीमा को देश की सामान्य विधि के अनुसार ही रखा जाना चाहिये। हमारी इच्छा है कि इस विधेयक के क्षेत्र का विस्तार हो। हम विशेष विवाह विधेयक को धीरे-धीरे समूचे देश में लागू करना चाहते हैं। मैं श्री फ्रैंक एन्थनी के संशोधन का जिस में निम्नतम् आयु के १५ वर्ष रखे जाने का सुझाव था समर्थन करना चाहती थी परन्तु इस विचार से कि अभिभावक के प्रश्न को ले कर और भी उलझनें बढ़ जायेंगी मैं ने उस का समर्थन नहीं किया। हम जटिलताओं को कम करना चाहते हैं। सरकारी संशोधनों में भी अभिवाहक की व्यवस्था की गई है।

हम ने देश में १८ वर्ष की आयु वयस्कता के लिये स्वीकार की है। इस आयु पर पुरुषों को सम्पत्ति पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और यह समझा जाता है कि अब वह परिपक्व बुद्धि से अपनी समस्याओं को सुलझाने में समर्थ हो जाते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि क्या वह 'अपने हृदय सम्बन्धी उलझनों को सुलझानें में' भी समर्थ हो जाते हैं या नहीं। यही वाद विषय है। पंडित ठाकुर दास भार्गव का संशोधन था कि विवाह की आयु को वयस्कता प्राप्ति की आयु के समान रखा जाये। मेरे विचार से स्त्री के लिये १८ वर्ष की आयु पर्याप्त है क्योंकि उस का विकास अधिक शीघ्रता से होता है, परन्तु कहा जाता है कि इस आयु में पुरुष का मानसिक विकास इस स्तर का नहीं होता है कि जिस से वह कोई ठीक निर्णय कर सके। (**अन्तर्बाधायें**) उसे यह परिपक्वता २१ वर्ष की आयु में प्राप्त होती है। मेरा निवेदन यह है कि हिन्दू विवाह के लिये हम ने पुरुष के लिये १८ वर्ष की आयु रखी और इस आयु में विवाह का निश्चय अभिभावक की सहमति से या उस के बिना भी किया जा सकता है। इस आयु को निश्चित करने में सरकार के पास ठोस कारण थे। मेरा आग्रह यह है कि स्त्री और पुरुष के लिये समान आयु रखी जाये। १८ वर्ष की आयु दोनों के लिये हो। हम सुखी विवाहित जीवन के विरुद्ध नहीं हैं और इसलिये अन्तर्प्रान्तीय तथा अन्तर्जातीय विवाह हमारे लिये सिर दर्द का विषय नहीं हैं। हमारे समक्ष केवल यह प्रश्न है कि क्या अन्तर्जातीय, अन्तर्धर्म अथवा अन्तर्प्रान्तीय विवाह ऐसी उलझनें हैं जिन के सम्बन्ध में १८ वर्ष की स्त्री या पुरुष कोई निर्णय नहीं कर सकते हैं। अतः मेरा अनुरोध है कि आयु-सीमा १८ रखी जाये और उस में अनुमति प्राप्त करने का कोई बन्धन न हो।

अब प्रश्न है माता पिता की अनुमति का। उन का धर्म परामर्श देना है परन्तु उसे मानना या न मानना उन की सन्तान का काम है। परामर्श तो सभी आयु में दिया जा सकता है चाहे वह १८ हो या २१, अतः मैं इस बात को स्वीकार नहीं करती हूं कि वह सन्तान पर कानूनी रूप से बाध्य हो।

अब आता है अभिभावक सम्बन्धी कठिनाई का प्रश्न। श्री चटर्जी ने कहा है कि इस सम्बन्ध में अनेकों कठिनाइयां उत्पन्न हो चुकी हैं। विधि सम्बन्धी ज्ञान न होने के कारण मैं उन से अनभिज्ञ हूं। श्री वेंकटरामन ने यह स्वीकार किया कि अभिभावक व्यक्ति का होना चाहिये, परन्तु श्री चटर्जी ने पंजाब उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों

के उद्धरण दे कर बताया कि उन मामलों में यह विनिर्देश दिया गया था कि अभिभावक होने की दशा में अभिभाविकता विवाह के मामले पर लागू नहीं होगी । यह तो मैं जानती नहीं कि यह कहां तक ठीक है और विधि मंत्री के इस के सम्बन्ध में क्या विचार हैं । परन्तु एक कठिनाई पहले ही उत्पन्न हो गई है । तब यह प्रश्न उठेगा कि उन के मामले में क्या होगा, जिन के माता पिता जीवित हैं, और वहां भी पहली पसन्द न्यायालय द्वारा नियुक्त अभिभावकों को दी गई है, और भी अनेक उलझनें पैदा हो जायेंगी । मैं सदन के समक्ष निवेदन करना चाहती हूं कि हमें इसे इस दृष्टिकोण से लेना चाहिये, कि क्या हमारे बच्चे १८ वर्ष की आयु में अपना निर्णय करने में समर्थ होते हैं ? यदि वे जीवन के उन मामलों के विषय में अपना निर्णय कर सकते हैं, जिन के लिये उन का निर्णय परिपक्व समझा जाता है, तो उन को विवाह के लिये अपनी स्वतन्त्र पसन्द रखने का अधिकार दिया जाना चाहिये, और मैं नहीं समझती कि अन्तर्जातीय या अन्तर्धार्मिक या अन्तर्प्रान्तीय विवाह इतने उलझनदार या गलत विवाह हैं कि वे अपना निर्णय नहीं कर सकते हैं, और ठीक ढंग से इस को नहीं अपना सकते हैं ।

श्री भागवत झा आजाद : आयु के बारे में प्रगतिशील विचार व्यक्त करने के विषय पर मैं अपने मित्रों के साथ वाद-विवाद करने को तैयार नहीं हूं । किन्तु जब ऐसे मित्र अपने पचास या अधिक वर्ष के अनुभव की दलील देते हैं, और श्री मोरे आदि मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में बोलने के योग्य नहीं समझते हैं, तो मुझे भी इच्छा होती है कि मैं अपने विचारों को व्यक्त करूं ।

मैं चाहता हूं कि विवाह के लिये आयु अठारह वर्ष होनी चाहिये । २१ वर्ष के पक्ष में श्री कृपालानी जी ने कहा है बुद्धिमत्ता २१ वर्ष से पहले नहीं आती है और तब तक लड़के और लडकियां स्कलों और कालिजों में अपनी शिक्षा समाप्त नहीं कर पाते हैं इसलिये उन्हें विवाह करने की अनुमति न दी जाये । कुछ दूसरे मित्रों का तर्क है कि उस आयु से पहले वे धनोपार्जन के योग्य नहीं होते हैं, अतः उन्हें विवाह की अनुमति नहीं मिलनी चाहिये । यदि बुद्धिमत्ता का सम्बन्ध है, तो आप इसी सभा में देख लीजिये कि २१ वर्ष से अधिक आयु वाले प्रौढ़ व्यक्तियों में भी परस्पर मतभेद है, कुछ २१ वर्ष के पक्ष में हैं, कुछ १५ के पक्ष में हैं और कुछ ३५ वर्ष के पक्ष में हैं । बुद्धिमत्ता आयु के साथ नहीं आती है, बल्कि कई बार अठारह वर्ष से पहले भी आ जाती है । अतः यह तर्क सर्वथा अर्थहीन है । यह कहना भी व्यर्थ है कि वे २१ वर्ष से पहले शिक्षा समाप्त नहीं कर पाते हैं । संभवतः इन व्यक्तियों ने कालिजों के साथ सम्पर्क छोड़ रखा है । मैं अभी दो वर्ष पहले विश्व-विद्यालय से निकला हूं और अनुभव करता हूं कि इन प्रौढ़ व्यक्तियों की अपेक्षा मैं नवयुवकों के विषय में अधिक जानता हूं, इसलिये मेरा यह मत है कि विवाह की आयु अठारह वर्ष होनी चाहिये । कई लड़के और लड़कियां अठारह वर्ष तक अपनी शिक्षा समाप्त कर लेते हैं । यदि आप कहते हैं कि बुद्धिमत्ता अठारह वर्ष की आयु तक नहीं आती है, तो मैं एक कहावत का उल्लेख करूंगा जो लगभग सारे देश में प्रचलित है कि साठ वर्ष से पहले बुद्धि नहीं आती है । क्या इसका तात्पर्य यह है कि पुरुषों को साठ वर्ष की आयु से पूर्व विवाह करना ही नहीं चाहिये दूसरे यदि बुद्धिमान तथा धन पैदा करने की क्षमता को ही ध्यान में रखा जाता है तो इस के लिये उपबन्ध बनाने की आवश्यकता है । फिर तो २१, २५ या ३५ वर्ष की आयु हो

[श्री भागवत झा आजाद]

जाने का प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होना चाहिये। बस बुद्धिमानी तथा क्षमता का प्रमाणपत्र ही विवाह के लिये पर्याप्त होगा। मेरा अपना विचार तो यह है कि हमारी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए २१ वर्ष की सीमा बांध देना उचित नहीं है। हम तो देश के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अतः विवाह एक ऐसा संस्कार है जो हमारे धार्मिक ग्रन्थों में वर्णित प्रकार से होना अनिवार्य नहीं है इस में समयानुसार परिवर्तन होते रहने चाहियें। इसीलिये विवाह योग्य आयु में भी परिवर्तन होना चाहिये। शिक्षा, बुद्धि तथा धन पैदा करने की क्षमता आदि के जो सुझाव मेरे मित्रों ने दिये हैं, उचित नहीं हैं।

एक माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृतकौर का उद्धरण देते हुए कहा कि जनसंख्या में वृद्धि हो जायेगी। मेरे विचार से ऐसी धारणा का कोई आधार नहीं है। मैं इस बात से सहमत हूं कि आयु निर्धारित कर दी जानी चाहिये चाहे वह अठारह वर्ष हो अथवा इक्कीस किन्तु मैं इस विचार के घोर विरोध में हूं कि लड़की १८ वर्ष की आयु में बुद्धिमती हो जाती है जब कि लड़का नहीं हो पाता।

श्रीमती उमा नेहरू (जिला सीतापुर व जिला खेरी—पश्चिम): कलसे आज तक इस बात पर बहुत बहस हो रही है कि लड़कों और लड़कियों की उम्र क्या होनी चाहिये। मैं सब भाषण बराबर सुन रही हूं, और जब मैं ने एन्थनी साहब का भाषण सुना मैं समझती हूं कि वह कानूनन ठीक कहते हैं। क्योंकि सारे मुल्क में जब एक कानून है तो वह इस को भी उन्हीं में लाना चाहते हैं।

साथ ही साथ जो इस वक्त औरतों के विचार हैं वह यह है कि हम समझते हैं कि हम ने कन्यादान छोड़ दिया, हम लोगों ने ८ और ९ वर्ष में शादी करना छोड़ दिया, सप्तपदी को छोड़ा क्योंकि सप्तपदी तो कन्यादान के साथ ही होती है। आज दिन भी जब हम लड़की को ब्याहने चलते हैं तो हमें एक दम से कोई वर नहीं मिलता है। देहातों में दूसरा ख्याल है, देहातों में १४ वर्ष में शादी कर देते हैं। लेकिन जब १४ वर्ष में शादी होती है तो उस में भी कन्यादान नहीं होता है। तो यह चीजें हमारे समाज से निकलती जाती हैं। हम ने जो लड़की के लिये १८ वर्ष की उम्र रखी है यह इसलिये रखी है कि हम समझते हैं कि इस उम्र में लड़की काफी समझदार हो जाती है और हिन्दुस्तान की आबोहवा के खयाल से वह उस उम्र में जवान भी हो जाती है। और वह उस उम्र में माता भी बन सकती है। इसलिये हम ने लड़कियों के लिये १८ साल की उम्र रखी है। मेरी राय में लड़की की उम्र १८ से २१ करना ठीक नहीं है। आज लोगों का यह ख्याल है कि शादी के वक्त लड़के की उम्र लड़की से कम से कम पांच वर्ष ज्यादा होनी चाहिये। इसलिये मैं समझती हूं कि लड़के के लिये १८ वर्ष रखना बहुत कम होगा। मैं समझती हूं कि ऐसे अज्ञानी बहुत ही कम मां बाप होंगे जो अपने १८ वर्ष के लड़के को १८ वर्ष की लड़की से शादी करने की सलाह दें। मैं इस में ज्यादा बहस नहीं करना चाहती। इस में बहुत सारी बातें देखने को हैं। औरत और मर्द में फिज़ीकली और मेंटली बहुत फर्क होता है। औरत जल्द जवान हो जाती है और उस में समझ भी जल्द आती है, मर्द को नहीं आती। १८ वर्ष का लड़का बिल्कुल लड़का रहता है। मुझे इस उम्र में लड़के की शादी करने में ऐतराज नहीं है लेकिन मैं समझती हूं कि ऐसा करने से उस को फिजीकली भी नुकसान होगा। आज दिन हमारे यहां जो

शादियां होती हैं उन में अगर सात आठ बरस का उम्र में फर्क हो तो अच्छा समझा जाता है, नहीं तो कम से कम पांच साल का फर्क तो जरूर होना चाहिये । क्योंकि अगर मर्द और औरत दोनों तीस तीस साल के हों तो उस उम्र में मर्द तो जवान दिखाई देता है, पर औरत बुढ़िया दिखने लगती है । इस का कारण है, उस के बच्चे होने लगते हैं ।

अब सवाल आता है कि फैमिली प्लानिंग हो या न हो । जो शादी होती हैं उस में पहला विचार यह आता है कि एक औलाद पैदा हो । एक हो या दो हों यह बजट करना आप के हाथ में है । लेकिन अगर शादी इस ख्याल से होती है कि हम को औलाद न हो तो मेरी राय में ऐसी शादी करना पाप है ।

मैं ने चटर्जी साहब को सुना । मैं समझती हूं कि जो वह वह रहे थे वह ठीक है । लेकिन मेरे ऊपर कुछ ऐसा असर पड़ा कि श्री देशपांडे, श्री चटर्जी वगैरह को यह डर है कि अगर हम ने १८ बरस की उम्र कर दी तो कहीं सारे लोग लुढ़क कर इस में न आ जायें । यह स्पेशल मैरिज बिल असल में उन लोगों के वास्ते है जो उन के ख्याल में बहुत प्रोग्रेसिव हैं । इसलिये वह ऐसी उम्र रखना चाहते हैं कि कहीं यह छूत सब को न लग जाये । उन को डर है कि अगर हम १८ बरस रखेंगे तो कहीं ऐसा न हो सारे विवाह इस स्पेशल मैरिज के मातहत होने लगें । इसलिये वे डर के मारे यह कहते हैं कि १८ बरस नहीं होना चाहिये । लेकिन मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं है । और अगर यह चीज इतनी ताकत रखती है और समाज के लिये मुफीद है तो कोई वजह नहीं है कि हम सब के सब लुढ़क कर इस के अन्दर क्यों न आ जायें । हम को आगे जाना है और समाज को बदलना है । हम को इस तरह से समाज को नहीं देखना चाहिये । मैं उन को औरतों की तरफ से बताती हूं कि हम हमेशा आप से ज्यादा ओर्थोडोक्स ख्यालात की रही हैं । औरतों ने ही भारत के धर्म को कायम रखा है वर्ना यहां के आदमियों ने तो जो हुकूमत आई उस के साथ अपनी वजह बदली । हम ने नहीं बदली । हम ने अपने धर्म को कायम रखा । आज क्या आप समझते हैं कि हम नहीं समझतीं कि कितनी मुश्किल से यह विवाह का रिवाज दुनिया में आया है कि एक मर्द और एक औरत विवाह करे । इतिहास से मालूम होता है कि यह रिवाज कितनी मुश्किल से दुनिया में आया है । हम इसे तोड़ना नहीं चाहतीं । हम तो इसे और भी मजबूत बनाना चाहती हैं । हम चाहती हैं कि ज्यादा तन्दुरुस्त और खुबसूरत बच्चे पैदा हों । इसलिये मैं चटर्जी साहब से और दूसरों से कहूंगी कि वे डरें न कि यह बिल पास होने से और इस में १८ वर्ष की उम्र रखने से वे सब लोग जो सप्तपदी करते हैं इस में आ जायेंगे। हम ने यह बिल इसलिये रखा है कि जो नौजवान अपनी बिरादरी से बाहर शादी करना चाहते हैं, और हमारे मना करने पर भी करते हैं, उन बच्चों को भी हम अपने गले से लगा सकें और उन को अपने में मिला सकें । यही हमारा धर्म है । इसलिये मैं हाउस से कहूंगी कि इस बात को ख्याल कर के लड़की के लियें १८ बरस मंजूर कर लें । लड़के के लिये २१ बरस रखा जाये मुझे ऐतराज नहीं है । मैं इस बिल को सपोर्ट करती हूं ।

डा० जयसूर्य : गर्म देशों में लड़की १६ वर्ष की आयु में विवाह के योग्य हो जाती है किन्तु मां बनने की अवस्था १८ वर्ष से ले कर २३ वर्ष में आती है । इस कारण हमें केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ही नहीं जीवशास्त्र की दृष्टि से भी इस पर विचार करना है । अतः मेरे विचार से १८ वर्ष की आयु विवाह के लिये पूर्णतया उपयुक्त है ।

[डा० जयसूर्य]

दूसरा तथ्य यह है कि १८ वर्ष की आयु में लड़का पूर्ण युवा हो जाता है किन्तु समाज उस समय उसे विवाह की अनुमति नहीं दे सकता क्योंकि बहुत ही कम लड़के इस आयु में आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो पाते हैं। इस कारण इस आयु में बहुत थोड़े लड़कों का विवाह हो सकेगा ।

अब यदि लड़की के लिये १८ वर्ष की निम्नतम आयु निर्धारित करते हैं तो लड़के की अवस्था १८ वर्ष से दो तीन वर्ष अधिक ही होनी चाहिये । अतः लड़कों की अवस्था सरलता से २१ वर्ष रखी जा सकती है क्योंकि १८ वर्ष की अवस्था में बहुत ही थोड़े लड़कों का विवाह हो सकेगा । वास्तव में कहा यह जा सकता है और जो हम चाहते भी हैं कि विवाह के समय लड़के की अवस्था २१ वर्ष से कुछ अधिक और लडकी की १८ वर्ष के अधिक होनी चाहिये ।

सभापति महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के पुरःस्थापित किये जाने वाले विधेयकों को लेंगे ।

भाग 'ग' राज्य शासन (संशोधन) विधेयक

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भाग "ग" राज्य शासन अधिनियम, १९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भाग "ग" राज्य शासन अधिनियम, ९५१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री वी० पी० नायर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि महिलाओं तथा बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के विनियमन तथा अनुज्ञापन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"महिलाओं तथा बालकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के विनियमन तथा अनुज्ञापन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती जयश्री : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि स्त्रियों के अनैतिक पण्य और वेश्यागृहों के दमन सम्बन्धी विधि का उपबन्ध तथा समेकन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"स्त्रियों के अनैतिक पण्य और वेश्यागृहों के दमन सम्बन्धी विधि का उपबन्ध तथा समेकन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती जयश्री : मैं विधेयक को पुरः स्थापित करती हूं ।

विद्युत (संभरण) संशोधन विधेयक

श्री साधन गुप्त (कलकत्ता--दक्षिण-पूर्व): मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत (संभरण) अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विद्युत (संभरण) अधिनियम में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री साधन गुप्त : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकद्दमेबाजी विधेयक

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पेंशन, उपदान और सेना के विनियमों तथा प्रथा के अन्तर्गत देय अन्य सब उपलब्धियों सम्बन्धी मुकद्दमेबाजी तथा क्षेत्राधिकार के न होने पर तथा क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर के या सेना विधि में विहित मात्रा से अधिक दंड दिये जाने का उपचार तथा विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भूतपूर्व सैनिक कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, उपदान और सेना के विनियमों तथा प्रथा के अन्तर्गत देय अन्य सब उपलब्धियों सम्बन्धी मुकद्दमेबाजी तथा क्षेत्राधिकार के न होने पर क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण कर के या सेना विधि में विहित मात्रा से अधिक दंड दिये जाने का उपचार तथा विनियमन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधेयक

श्री तेलकीकर : (नान्देड) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत में अन्त्येष्टि क्रिया पद्धति में सुधार करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत में अन्त्येष्टि क्रिया पद्धति में सुधार करने वाले एक विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री तेलकीकर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

सेना-निवृत्ति वेतन (संशोधन) विधेयक

श्री एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सेवा-निवृत्ति वेतन अधिनियम, १८७१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"सेवा-निवृत्ति वेतन अधिनियम, १८७१ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० एन० बी० खरे : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सेना (संशोधन) विधेयक

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि सेना अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन (नई धारा ५७-क का रखा जाना) करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"सेना अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन (नई धारा ५७-क का रखा जाना) करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० एन० बी० खरे : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

सेना (संशोधन) विधेयक

डा० एन० बी० खरे (ग्वालियर) : म प्रस्ताव करता हूं कि सेना अधिनियम, १९५० में अग्रेतर संशोधन करने (नई धारा ६१-क का रखा जाना) वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"सेना अधिनियम १९५० में अग्रेतर संशोधन करने (नई धारा ६१-क का रखा जाना) वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

डा० एन० बी० खरे : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

विधुर पुनर्विवाह विधेयक

श्री के० सी० सोधिया (सागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधुरों के पुनर्विवाह का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर: स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधुरों के पुनर्विवाह का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री के० सी० सोधिया : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

संविधान (षष्ठ अनुसूची का संशोधन) विधेयक

श्रीमती खोंगमेन (स्वायत्त जिले–रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि भारत के संविधान की षष्ठ अनुसूची का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाय ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"भारत के संविधान की षष्ठ अनुसूची का संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्रीमती खोंगमेन : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करती हूं ।

महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक--जारी

सभापति महोदय : अब सभा, २३ अप्रैल, १९५४ को श्रीमती मनीबेन पटेल द्वारा रखे गये निम्न प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी :--

"महिलाओं तथा बालिकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के विनियमन तथा अनुज्ञापन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

श्री डी० सी० शर्मा : इस विधेयक पर पिछली बार कितने सदस्य बोल चुके हैं

सभापति महोदय : लगभग आठ सदस्य पहले इस पर बोल चुके हैं ।

श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा--उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं--पूर्व) : मैं इस विधेयक का पूर्णतया समर्थन करता हूं क्योंकि यह उन महिलाओं तथा बालिकों की देखभाल करने वाली संस्थाओं के सम्बन्ध में है, जो अनाथ एवं असहाय होते हैं । वास्तव में देश में ऐसी बहुत सी संस्थायें हैं जो इन अनाथ महिलाओं तथा बालिकों के साथ दुर्व्यवहार करती हैं ।

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने इस सम्बन्ध में १९४८ में एक समिति बनाई थी जिस का मैं भी एक सदस्य था । हम लोग उत्तर प्रदेश में विभिन्न भागों का दौरा कर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि अधिकतर संस्थायें ऐसी हैं जिन्हों ने इस कार्य को धन कमाने तथा धोखा देने का अड्डा बना रखा है । अनाथ महिलाओं तथा बालकों के कष्टों को कम करने के लिये प्रबन्ध समितियां कुछ भी कार्य नहीं करतीं। बहुत सी संख्या में संस्थाओं ने अच्छी तथा बुरी सभी प्रकार की स्त्रियों को रख छोड़ा है जिन्हें वे अधिकाधिक मूल्य पर विवाह का नाम दे कर चरित्रहीन व्यक्तियों के हाथ बेच देते हैं । अनेक संस्थाओं ने हिसाब में गोलमाल किया है । बहुत सी संस्थायें जाली व्यक्तियों के नाम से जनता को ठगने के लिये चलाई जा रही हैं । उत्तर प्रदेश के कुछ प्रमुख नगरों में ऐसी संस्थाओं की संख्या अधिक है जबकि थोड़ी संस्थायें जिन की ठीक व्यवस्था की जाये तो अधिक अच्छा कार्य कर सकती हैं । और सब से बड़ी बात तो यह है कि ये संस्थायें अधिकांशत: ऐसे पुरुषों द्वारा चलाई जा रही हैं कि जो न चरित्रवान ही हैं और न विश्वासपात्र ही । इस क्षेत्र में शिक्षित स्त्रियों की, जो इस कार्य की व्यवस्था कर सकें, बहुत कमी है ।

उत्तर प्रदेशीय सरकार ने हमारे निर्णयों को स्वीकार कर लिया है और इन की दशा सुधारने के लिये एक बोर्ड की स्थापना कर दी है ।

पिछली बार श्री एम० एल० द्विवेदी द्वारा भी इसी प्रकार का विधेयक सभा में रखा गया था किन्तु सम्भवत: माननीय विधि मंत्री के आश्वासन दिलाने पर वह वापस ले लिया गया था । अब मैं समझता हूं कि यही विधेयक राज्य सभा द्वारा पारित हो चुका है ।

मैं समझता हूं कि केवल बाल विधेयक से काम नहीं चलेगा क्योंकि वह केवल भाग ग के राज्यों में ही सीमित है दूसरे देश में फैली हुई विधान संस्थाओं के सम्बन्ध में भी वह नहीं है । अत: श्रीमती मनीबेन पटेल का यह प्रस्ताव बड़ा महत्वपूर्ण है । पंचवर्षीय योजना में भी इस सम्बन्ध में उल्लेख किया गया है । अनाथ तथा अपंगु बच्चों के कल्याण के लिये यह कहा गया था कि इसी प्रकार के अनाथालय तथा अन्य इसी प्रकार की संस्थाओं का पंजीकरण तथा निरीक्षण किया जाना चाहिये ऐसा उपबन्ध योजना के प्रारूप

[श्री रघुवीर सहाय]

बनाते समय तीन चार वर्ष पूर्व किया गया था किन्तु योजना की प्रगति जनवरी १९५४ में तैयार की गई पुस्तक में इस सम्बन्ध में कुछ भी प्रकाश नहीं डाला गया। इस ओर इतनी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये थी ।

यह विधेयक केवल इस बात की मांग करता है कि ऐसी संस्थाओं पर जो इस देश में गड़बड़ी उत्पन्न किये हुए हैं, नियंत्रण लगाया जाना चाहिये तथा उन की देखरेख की जानी चाहिये । उत्तरप्रदेशीय सरकार की भांति ही अन्य सभी राज्यों में कार्यवाही की जानी चाहिये तथा इस के लिये एक अखिल भारतीय किस्म के विधेयक का बनना अत्यन्त आवश्यक है ।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि केवल खाद्यों के उत्पादन में वृद्धि उद्योगों का विकास, सामुदायिक परियोजनाओं की उन्नति तथा राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशालाओं को खोलने से ही देश की पूर्णोन्नति नहीं हो सकती जब तक कि निराश्रित महिलाओं व बच्चों की दशा में उन्नति नहीं की जायेगी। अतः इस विधेयक पर इस पहलू से भी विचार करना चाहिये ।

और अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में सन्तोषजनक प्रगति करने के लिये एक अलग मंत्रालय की स्थापना की जानी चाहिये। और जब तक ऐसा नहीं किया जायेगा तब तक यह कार्य अधूरा ही समझा जायगा ।

श्रीमती जयश्री (बम्बई—उपनगर) : मैं अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देती हूं कि उन्हों ने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान किया। इन दोनों विधेयकों के प्रारूप जोकि हम में से कुछ सदस्यों द्वारा पुरःस्थापित किये गये हैं, अर्थात् महिला तथा बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक तथा अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह दमन विधेयक, भारत की नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य संथा द्वारा तैयार किये गये थे। यह प्रारूप दो या तीन वर्ष पूर्व गृह मंत्रालय को भेजे गये थे परन्तु मुझे खेद है कि माननीय मंत्री के आश्वासनों के होते हुए भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है । नैतिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य संस्था की संभानेत्री श्रीमती रामेश्वरी नेहरू ने हम सब को बुलाया और उन को गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के रूप में प्रस्तुत करने को कहा। हम में से कुछों ने इन विधेयकों को संसद् के समक्ष प्रस्तुत किया है ।

मुझे प्रसन्नता है कि काफी समय प्रतीक्षा करने के बाद इस विधेयक पर चर्चा करने का अवकाश प्राप्त हुआ है, और मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य इस विधेयक का समर्थन करेंगे । यह विधेयक अत्यन्त महत्वपूर्ण है क्योंकि आजकल महिलाओं और बच्चों के शोषण के लिये अनेक झूठी संस्थायें खुल गई हैं ।

हम वर्तमान समाज की दशा से अवगत हैं कि हमारे समाज में बाल विवाह और दहेज सम्बन्धी कितनी बुरी प्रथायें प्रचलित हैं और स्त्रियों की कैसी हीन अवस्था है। यह संस्थायें जो प्रति दिन खुलती जाती हैं और जो महिलाओं की देखभाल करने का दावा करती हैं वस्तुतः बदनामी के घर हैं ।

अपने संविधान में हम ने यह नीति निर्धारित की है कि प्रत्येक राज्य इस बात का ध्यान रखेगा कि बच्चों और युवकों का शोषण न हो । मुझे खेद है कि अभी तक इस विषय में कुछ भी नहीं किया गया है और हम को महिलाओं और बालिकों की रक्षा के लिये विधान अभी पारित करना है।

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करता हूं कि काफी कोशिश के बाद हम सप्ताह में एक दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निश्चित करवा पाये हैं। परन्तु जब स्थिति ऐसी होती है कि गणपूर्ति नहीं हो जाती तो बड़ी दुविधा पैदा हो जाती है। मेरे विचार में माननीय सदस्यों की यह बात वांछनीय नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह (शाहाबाद–दक्षिण) : जो यहां उपस्थित हैं उन को ही अवसर दिया जाये तो प्रत्येक सदस्य बड़ी आसानी से उपस्थित हो सकता है। विभिन्न दल अपने नाम प्रस्तुत करते हैं। वे ही उपस्थित रहते हैं जिन को कुछ रुचि है।

सभापति महोदय : आज एक का विधेक हो सकता है, कल दूसरे का। परन्तु गैर-सरकारी सदस्यों का कर्त्तव्य है कि वे सभा में उपस्थित रहें। मैं इस सम्बन्ध में अपना निर्णय नहीं देता परन्तु प्रत्येक सदस्य से यह बात मैं प्रार्थनास्वरूप कहता हूं।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, यह नियम बना लेना अधिक उत्तम होता कि बोलने का अवसर केवल उन को दिया जायेगा जो सावधान हैं और अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय (जिला प्रतापगढ़—पूर्व) : मेरे विचार में प्रतीक्षा करनी चाहिये ताकि माननीय सदस्य आ सकें। अभी गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : यही तो मैं कहता था। शायद ही कभी गणपूर्ति हो पाती है। और हम हमेशा दुविधा में रहते हैं।

डा० राम सुभग सिंह : दूसरी कठिनाई यह है कि गैर-सरकारी सदस्यों को इस आशय से अवसर प्रदान करना चाहिये कि उनके लिये अपने विधेयक अथवा संकल्प पारित करवाना संभव हो सके। तब वे बिना किसी कठिनाई के उपस्थित रहेंगे।

सभापति महोदय : मैं यह नहीं समझ पाता कि कठिनाई क्या है। मेरे लिये सरकारी तथा गैर-सरकारी विधेयकों में कोई अन्तर नहीं है। आज का समय गैर-सरकारी कार्य के लिये निश्चित है। आज भी बहुत से विधेयक पुरःस्थापित किये गये हैं अतः सदस्यों को उपस्थित होना चाहिये।

श्री गाडगील (पूना—मध्य) : इन सब चीजों के मुद्रण में काफी कागज, पैसा व समय लगता है और कर देने वाली जनता के प्रति न्याय नहीं होता है।

सभापति महोदय : यह बात गैर-सरकारी सदस्यों के विचार करने की है। आज का समय गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये निश्चित हुआ है। नियमों के अन्तर्गत मैं किसी सदस्य को उपस्थित होने के लिये तो बाध्य नहीं कर सकता परन्तु केवल निवेदन करता हूं कि वे इस को अपना पवित्र कर्त्तव्य समझ कर उपस्थित रहें।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : औचित्य प्रश्न के हेतु, श्रीमान् मैं कहता हूं कि घंटी बजाई जा सकती है। इस समय गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : सामान्यतः यह दृष्टिकोण रहता है। मैं नहीं जानता कि हम इस के अधिकारी हैं कि यह सब घंटे गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के लिये नियत किये जायें।

श्री एन० एम० लिंगम (कोयम्बटूर) : यह विचार किया जाता है कि सरकार गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य की ओर विशेष ध्यान नहीं देती।

सभापति महोदय : इस में सरकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

विधि तथा अल्पसंख्य-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : सरकार की ओर से मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं । यह विधेयक की प्रकृति पर निर्भर है । मान लिया जाय कि यह एक ऐसा मामला है जिस पर सरकार स्वयं कार्यवाही कर रही है तो तेजी के साथ विधेयक को पारित करवाने में कोई अर्थ नहीं है । स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व कुछ गैर सरकारी सदस्य थे और उन में से प्रत्येक सदैव यह कहा करता था कि भारत की रक्षा उसी के हाथों से होगी । गैर-सरकारी सदस्यों का यह दृष्टिकोण होता है । यदि गैर-सरकारी सदस्य कोई विधेयक प्रस्तुत करते हैं तो उन का उद्देश्य केवल यह होता है कि किसी प्रकार वह विधेयक पारित हो जाये । उन के सामने इस का कोई महत्व नहीं कि उस उद्देश्य की पूर्ति किसी मेम्बर द्वारा हुई है अथवा सरकार द्वारा । मान लिया जाये कि सरकार उसी विषय के सम्बन्ध में एक विधान निर्मित करना चाहती है और एक विधेयक भी तैयार है उदाहरणतः दहेज विधेयक ही है, मैं उस पर विचार कर रहा हूं और उस के खण्डों को बदल रहा हूं अतः मैं निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को समाप्त कर दिया जाये ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : श्रीमान्, मैं एक शब्द कहना चाहता हूं ।

श्री बिस्वास : मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं । यह कहा गया था कि सरकार कोई रुची नहीं लेती । मैं उस आरोप का विरोध कर रहा हूं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जो कुछ माननीय विधि मंत्री ने कहा है उस के उत्तर में मैं कहता हूं कि इस सभा में यह प्रथा रही है कि जैसे ही सरकार कहती है कि उस के पास एक विधेयक तैयार है अथवा वह उस विषय पर विचार करने वाली है, तो माननीय सदस्यों नें सदैव अपने प्रस्ताव वापिस ले लिये हैं । सदस्यों का कदापि यह दृष्टिकोण नहीं रहा कि उन के द्वारा ही विधेयक प्रस्तुत किया जाय ।

श्री बिस्वास : मैं ने इस आरोप का विरोध किया था कि सरकार कोई रुचि नहीं लेती ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : वस्तुतः गैर-सरकारी विधेयकों के प्रस्तुत होने पर सामान्यतः एक ही मंत्री उपस्थित होता है ।

सभापति महोदय : मेरे कहने का आशय केवल यह है कि जब गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक प्रस्तुत हों तो सदस्यों को अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होना चाहिये । अब हम कार्यवाही प्रारम्भ करेंगे ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : गणपूर्ति है ।

श्रीमती जयश्री : श्रीमान्, मैं कह रही थी कि राज्य सभा ने बाल विधेयक पारित कर दिया है ।

इस विधेयक का क्षेत्र सीमित है । इस विधेयक का यह उद्देश्य नहीं है कि स्वेच्छा से काम करने वाले संघटन बन्द कर दिये जायें जिन में से कुछ उदाहरणतः बम्बई में श्रद्धानन्द आश्रम तथा बाल सहायता संस्था कई वर्षों से महिलाओं और बच्चों की बड़ी सेवा करते आ रहे हैं । अपितु इस के पुरःस्थापन का यह उद्देश्य है कि सरकार उन सब संस्थाओं का पंजीयन करे जो महिलाओं और बच्चों को शरण देने के लिये खोले गये हैं और समय-समय पर उन का निरीक्षण करती रहे ताकि बेकार की संस्थाओं

द्वारा जो शोषण होता है वह बन्द हो जाये और उन का प्रबन्ध भी ठीक हो जाये । इसी उद्देश्य से इस विधेयक में उचित प्रबन्ध समिति की स्थापना का भी प्रबन्ध रखा गया है जो कि उन संस्थाओं के आयव्यय की भी जांच करेगी ।

मैं आशा करती हूं कि इस विधेयक के समर्थन में कोई विशेष कठिनाई नहीं होगी । सरकार का अधिक व्यय भी नहीं होगा । निरीक्षक ही हैं जो कि राज्यों द्वारा खोली गई संस्थाओं का निरीक्षण करेंगे । सब स्वेच्छा से चलने वाली संस्थाओं का पंजीयन होना चाहिये और उन का निरीक्षण होना चाहिये । यही विधेयक का उद्देश्य है और मुझे आशा है कि इस विधान को पारित करने में अधिक कठिनाई नहीं होगी ।

पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय : सभापति महोदय, इस विषय पर इस से पहले भी बहुत से हमारे मित्र अपने विचार प्रकट कर चुके हैं और जब से यह बिल इस सदन के सामने आया बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये । इस सम्बन्ध में जो कुछ मुझे विशेषकर खटकता है वह यह है कि सारे देश में जो संस्थायें बनी हैं, प्रायः उन का बनाने का उद्देश्य ही पवित्र नहीं रहा है । जहां कहीं ऐसी संस्थायें बनाई गई हैं अगर उन के प्रबन्धकर्त्ताओं पर आप ध्यान दें या उन की जो मैनेजिंग कमेटीज कहलाती हैं, उन पर ध्यान दें, या जो विशेषकर उन के फाउन्डर मैनेजर प्रायः हैं उन पर आप ध्यान दें तो आप यह पायेंगे कि उन का उद्देश्य प्रायः, मैं यह नहीं कहता कि सभी इस तरह की हैं, यह हर संस्था खराब है, हो सकता है कि थोड़ी संस्थायें ऐसी हों जो मुस्तसना हो सकें, नहीं तो प्रायः जितनी संस्थायें बनी हैं, जो उन के फाउन्डर मैनेजर थे, उन का उद्देश्य यही रहा है कि उन के जरिये से पैसे कमायें । नम्बर अव्वल तो यह है, लेकिन मैं यहां तक जाऊंगा कि बहुत सी ऐसी रही हैं जिन का उद्देश्य यह भी रहा है कि पैसे के अलावा वह वहां पर कुछ व्यभिचार का भी प्रबन्ध करें । जहां संस्थाओं के स्थापित करने का उद्देश्य ही ऐसा हो, वहां यह उम्मीद करना कि वहां रहने वाली स्त्रियों और वहां रहने वाले बच्चे किसी प्रकार अच्छी तरह से चलाये जा सकते हैं या अच्छे रास्ते पर चलाये जा सकते हैं, उन का चरित्र पवित्र हो सकता है, वह एक देश के अच्छे नागरिक बन सकते हैं, सरासर गलती होगी । विशेषकर इन संस्थाओं के सम्बन्ध में जो मेरे दिमाग पर असर है वह यह है, और मैं ने जहां तक देखा है, सम्भव है एक, दो या तीन मुसलमान हों, प्रायः जो फाउन्डर मैनेजर रहे हैं, जिन्हों ने उन की बुनियाद डाली है, जिन के दिमाग में यह बात आई कि ऐसी संस्थायें कायम करें, उन सब का उद्देश्य पवित्र कभी नहीं रहा है । एक दफा जब श्री एम० एल० द्विवेदी ने एक विधेयक पेश किया था उस वक्त भी यह मसला हमारे सामने आया था और हम समझते थे कि हमारी सरकार इस वक्त इस बात पर बहुत गम्भीरता से विचार कर रही है और जल्दी ही कोई कार्यवाही करने वाली है और शायद ऐसा एक विधेयक आ रहा है कि इन विधेयकों की आवश्यकता ही न रह जाय । लेकिन अब तक तो कुछ नजर नहीं आया, पता नहीं इस पर क्या विचार हो रहा है और क्या होने जा रहा है । हम यह सोचते रहे कि ऐसी संस्थायें बना कर के और जांच कमेटी कायम कर के उस पर रिपोर्ट ले कर के, कुछ संशोधन कर के, कुछ सुधार कर के अगर हम कुछ दशा सुधार सकते हैं तब तो थोड़ा सन्तोष होगा, अभी हमारे एक मित्र ने हमारे प्रदेश में जो एक कमेटी कायम हुई थी उस का जिक्र किया और

[पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय]

उन्हों ने यह भी बताया कि उस की बहुत सी सिफारिशें हुईं । इस में कोई सन्देह नहीं है कि उन सिफारिशों पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया और अमल भी किया । लेकिन बावजूद इस अमल के आज हालत क्या है ? हां, यह हो सकता है कि जितनी बोगस संस्थायें थीं, जो इसी उद्देश्य से अर्थात् व्यभिचार करने के लिये या पैसा कमाने के लिये कायम की गई हैं, उन में कुछ सुधार हो गया है, उन में कुछ कमी हो गई हो, लेकिन यह तो जरूर है कि इस कमेटी को कायम करने में हमारा अच्छा उद्देश्य था, जो हम चाहते थे कि हमारे प्रदेश की संस्थाओं की ऐसी शक्ल हो, वह उद्देश्य हमारा पूरा नहीं हो सका ।

मैं ध्यान दिलाऊंगा कि यह बिल भी आज सदन के सामने है, अगर यह पास भी हो जाये और लागू भी हो जाये तब भी अगर आप चाहें कि ऐसी संस्थाओं का सुधार करके, आसानी से उन को रास्ते पर लावें, तो यह वैसे ही कठिन है जैसे कि अभी हमारे सामने दो विधेयक थे । एक में फूड ऐडल्ट्रेशन की बात थी और दूसरे में अनटचेबिलिटी की बात थी जिन में हमें यह दिखाई दिया है कि जब तक हम विशेष रूप से इस पर ध्यान देते हुए कोई प्रबन्ध नहीं करते तब तक हम इन संस्थाओं में सुधार नहीं ला सकते हैं । और न इन संस्थाओं की शक्ल बदल सकते हैं, न जिन उद्देश्यों से इन बड़े बड़े फाउन्डर मैनेजरों ने उन को कायम किया है और आज जो उन की दशा है तथा जिस तरह से उन को वह लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, उस में कोई कमी कर सकते हैं । इस में सन्देह नहीं है कि हमारी बहिन ने जो बिल पेश किया उस के पीछे एक बड़ी पवित्र विचार धारा है, एक बड़ी योजना है, लेकिन यह भी है कि ऐसी योजनायें जब तक हमारी सरकार गम्भीरतापूर्वक नहीं उठाती है तब तक इस में हम कुछ नहीं कर सकते हैं ।

अभी हमारे मित्र श्री रघुवीर सहाय जी ने हवाला दिया हमारे प्लैनिंग कमीशन का कि उस में इस का जिक्र है । प्लैनिंग कमीशन रिपोर्ट में दुनिया के जितने तरीके सुधार के हो सकते हैं सारे के सारे लिखे गये हैं, लिख तो सब दिये गये हैं, लेकिन पता नहीं उन पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है और क्या नहीं हुई है । रिपोर्ट में कुछ थोड़ी सी बात जरूर आई है, लेकिन अगर आप उस रिपोर्ट को भी देखें तो यह नहीं जान पड़ता है कि एक काम भी इस तरह का है जो कि हमारे देश को इस तरफ ले चले । ऐसी स्थिति में यह नहीं सोचना चाहिये कि हम आसानी से इस में कुछ कर लेंगे और सरकार की ओर से कोई बिल न आये, प्राइवेट प्रस्ताव ही या बिल आये और वह बिल किसी भी शक्ल में पास हो, और जैसा कि हमारे मित्रों ने कहा कि प्राइवेट प्रस्ताव या बिल जो पास होते हैं उन के सम्बन्ध में हमारी सरकार का क्या विचार होता है, उससे मैं किसी हद तक सहमत हूं कि इस को वह बायें हाथ से लेती है, या उस पर कितना ध्यान दिया जाता है यह हम सबों को मालूम है । ऐसी हालत में ऐसे विधेयक या ऐसे सुधार के काम जिन से कि हम अच्छे नागरिक बनाने चले हैं, और वह भी तब जबकि हमारी स्टेट एक वैलफेयर स्टेट कहलाती है, हमें उचित नहीं जान पड़ते हैं । यह भी बहुत मुनासिब नहीं जान पड़ता है कि हमारी सरकार उन पर इतने हल्के तौर पर विचार करे ।

एक आध संस्था जो आज कल चल रही है, हमारे सोशल वैलफेयर सेन्टर्स चल रहे हैं जिन की चेअरमैन श्रीमती दुर्गा बाई जी हैं, उन में संशोधन ऐसे जरूर हुए हैं, लेकिन ऐसी संस्थायें बहुत बड़ी तादाद में नहीं हैं जिन का काम और जिन का इन्तजाम ठीक ढंग से चल रहा है और जो पवित्र संस्थायें हैं । प्राय: संस्थायें अच्छी प्रकार की नहीं हैं । जैसा उद्देश्य इस विधेयक का है वैसी संस्थायें बहुत नहीं हैं । बावजूद इस के कि बड़ी लम्बी फैहरिस्त नियमों की दी हुई होती है जिन को पढ़ कर जान पड़ता है कि वह ऐसी संस्थायें हैं जैसा कि उद्देश्य इस विधेयक का है, लेकिन उन का पता लगाने से जहां तक इल्म मुझे हो सकता था, जान पड़ा कि नाम कुछ और है और काम कुछ और है । गो यह जरूर है कि वहां पैसे के इन्तजाम में कोई गड़बड़ नहीं मालूम होती है और उन के उद्देश्य भी खराब नहीं हैं, कोई व्यभिचार की बात नहीं है, कोई पैसे कमाने की बात नहीं है, यह सब कुछ नहीं है, लेकिन शक्ल तो उन की बता दी गई कि आर्फेनेज के लिये काम कर रहे हैं, ऐसी लड़की लड़कों के लिये, विधवा औरतों के लिये कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इस के कि वह संस्थायें यह काम कर रही हैं, उन में और भी बहुत से काम हुए हैं और ऐसी संस्थायें चल रही हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इन संस्थाओं की बुनियाद ऐसी है और जब तक उस को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाता, जब तक बराबर ध्यान देते हुए, तत्पर हो कर सरकार कोई प्रबन्ध नहीं करेगी तब तक कोई सुधार जल्दी नहीं हो सकता है । सरकार के तत्पर हो जाने पर भी यह काफी समय ले लेगा । इस तरह के बहुत से प्राइवेट मेम्बरोंके बिल आते हैं और उन के लिये कह दिया जाता है कि इसी तरह की एक चीज गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है आप इस को हटा लीजिये । इस तरह से न जाने कितने बिल हट जाते हैं । और उस विषय पर सरकार की ओर से कार्य-वाही होने में वर्षों लग जाते हैं । इस पर एक बिल तो यह आया और दूसरा पेश होने को है । और इस से पहले भी ऐसा बिल आ चुका है । इस सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान इस पर विशेष रूप से जा रहा है । मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में जो कुछ प्रबन्ध करना चाहती है करे क्योंकि इस तरह से जो संस्थायें हमारे देश में भ्रष्टाचार और व्यभिचार को प्रोत्साहन दे रही हैं वह हमारे लिये शर्म की बात है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : जनाब चेअरमैन साहब, मैं अपनी बहिन मणिबेन पटेल को मुबारकबाद देता हूं कि उन्हों ने इस बड़े जरूरी सवाल पर यह बिल ला कर सरकार की तवज्जह इस तरफ दिलाई है ।

असलियत यह है कि किसी मुल्क की गवर्नमेंट जो अपने आप को वैलफेयर स्टेट कहती है वह एक एक बच्चे की तरबियत और उस की वैलफेयर के लिये जिम्मेवार है । अभी हमें स्वराज्य हासिल हुए थोड़ा अर्सा हुआ है । अब तक जो गवर्नमेंट ने काम किये वह बहुत जरूरी थे और उन पर गवर्नमेंट की तवज्जह रही और अभी तक गवर्नमेंट उन मुश्किलों पर अबूर हासिल नहीं कर सकी है जो कि उस के रास्ते में हायल थीं । गवर्नमेंट ने जो अब तक काम किया है वह बिला शक ऐसा है जिस पर कि हर शख्स नाज़ कर सकता है जो काम गवर्नमेंट ने फाइव इयर प्लान में किया है वह निहायत सराहनीय है । लेकिन किसी गवर्नमेंट के फरायज उस वक्त तक पूरे नहीं हो सकते जब तक कि उस की तवज्जह एक एक औरत और एक एक बच्चे की तरफ न जाय । इस में अर्सा लगेगा यह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

मैं मानता हूं। मैं गवर्नमेंट को इस का जिम्मेवार करार नहीं देता। जिस वक्त गवर्नमेंट ने यहां की हुकूमत का चार्ज लिया उस वक्त की हालत इतनी डरावनी थी और उस वक्त गवर्नमेंट के सामने ऐसी मुश्किलात थीं कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वह सुपरनेचुरल भी हो, उन को इतने कम अर्से में हल नहीं कर सकती थी। गवर्नमेंट ने जो अब तक किया है उस से मुझे कोई शिकायत नहीं है क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या-क्या किया है। वह काफी काम है जो कि अब तक हुआ है। लेकिन ताहम भी कोई शख्स ख्वाह वह गवर्नमेंट का अफसर हो या वह बाहर का हो इस बात की तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह दिलाये बगैर नहीं रह सकता कि वह अभी तक हर एक उस बच्चे और औरत की तरफ तवज्जह नहीं दे सकी है जो कि तकलीफ में है। डेस्टीट्यूट चिल्डरन ही क्या जो बच्चे कि मां बाप वाले हैं उन की ही हालत क्या अच्छी है। उन की तरफ भी कहां तवज्जह होती है। मैं अर्ज करूंगा कि अगर उन की तरफ ज्यादा तवज्जह न हो तो ज्यादा शिकायत नहीं क्योंकि उन को देखने वाले मौजूद हैं, उन का भी कुछ कुसुर है अगर वह उन की तरफ तवज्जह नहीं करते। लेकिन ऐसे बच्चे और औरतें जिन का इस बिल में जिक्र है वे तो गवर्नमेंट की तवज्जह के खास तौर पर मुस्तहक हैं। अभी मेरे दोस्त ने आप की तवज्जह इस तरफ दिलाई कि इस देश के अन्दर बहुत से ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो यह काम कर रहे हैं। मैं सारे इन्स्टीट्यूशन्स को रनडाउन नहीं करना चाहता। मेरे इल्म में ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स हैं जो कि इस बारे में निहायत अच्छा काम कर रहे हैं और जो बच्चों और औरतों की पूरी तरह से केअर करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उन की तादाद बहुत कम है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में इन बातों की तरफ बहुत कम तवज्जह होती थी। अब उस के मुकाबले में बहुत ज्यादा तवज्जह होती है। उस वक्त जो लोग काम करना शुरू करते थे और जिन्हों ने सोशल रिफार्म का काम किया उन्हों ने उस जमाने में निहायत अच्छा काम किया। कितने ही ऐसे इन्स्टीट्यूशन्स खुले जिन के अन्दर निहायत अच्छा काम होता था। कुछ जमाने की रफ्तार है कि ज्यों-ज्यों यह काम ज्यादा होता जाता है कि त्यों-त्यों लोगों की नीयत रुपया कमाने की तरफ जाती है और बच्चों और औरतों को ला कर एक्सप्लाइट किया जाता है। अभी रीसेंटली एक केस मेरे नोटिस में आया जिस में राजस्थान में एक साहब ने जो कि एक अच्छे आदमी समझे जाते थे एक ऐसा इंस्टीट्यूशन खोल रखा था। वह खुद उस के प्रैसीडेंट थे, उन की बीवी उस की सुपरिन्टेन्डेन्ट थी और उन का एक रिश्तेदार मैनेजर था। उन का काम यह था कि स्टेशनों पर जाना और बच्चों और स्त्रियों को आश्रम में ले आना और फिर उन को बेचना या और किसी तरह से इस्तेमाल करना। कितने ही ऐसे आश्रम और कितनी ही ऐसी चीजें मौजूद हैं कि जहां लड़कियों के साथ और लड़कों के साथ सिर्फ बुरा सलूक ही नहीं किया जाता बल्कि उन की आयन्दा जिन्दगी भी तबाह कर दी जाती है और उन को एक निकम्मी जगह बसाया हुआ है जहां क्राइम होते हैं। गवर्नमेंट का फर्ज सिर्फ इतना ही नहीं है कि ऐसे बहुत से इन्स्टीट्यूशन्स कायम करे। जो इन्स्टीट्यूशन्स कायम हैं उन की अच्छी तरह से देखभाल हो यह भी गवर्नमेंट का फर्ज है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह गवर्नमेंट का फर्ज है कि वह हर बच्चे की तरफ तवज्जह दे सके। लेकिन अभी वह दिन दूर है। वह दिन मुबारक दिन होगा। मैं इस बिल में एक प्रावीजन देखता हूं, अर्थात, खंड १८,

जिस में इस आशय का उपबन्ध है कि किसी संस्था का लाइसेन्स रद्द होने पर वहां के स्त्री बच्चों को किसी अन्य सुयोग्य व्यक्ति अथवा किसी अन्य संस्था के हवाले कर दिया जाये। मैं अदब से पूछता हूं कि ऐसे इंस्टीट्यूशन्स कहां है। अगर कहीं ऐसे काफी बच्चे और औरतें हों तो उन को कहां भेजा जायगा। मुझे तो कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नजर नहीं आता। अब जरूरत तो इस बात की है कि गवर्नमेंट इस चीज को दो तीन तरह से लीड दे। पहली बात जो मैं चाहता हूं वह यह है कि गवर्नमेंट कुछ न कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन कायम कर दे जिन में ऐसे बच्चों और औरतों की हिफाजत हो सके। जब मैं इस का जिक्र करता हूं तो मेरे सामने वह काम आता है जो कि हमारी मौजूदा रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने रिफ्यूजीज के लिये किया है। रिहैबिलिटेशन के सिलसिले में जो बच्चे और औरतें आती थीं उन के लिये रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री नें काफी काम किया है और उस ने अब यह जिम्मेवारी ली है कि वह उन की आखिर तक देख भाल करती रहेगी। गवर्नमेंट ने उन के वास्ते जो काम किया है वह निहायत ही अच्छा है और रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री हमारे शुक्रिये की मुस्तहक है। मैं चाहता हूं कि जो काम रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री ने इन रिफ्यूजीज के लिये किया है वही काम हमारी गवर्नमेंट सारे देश के लिये करे। यह गवर्नमेंट का फर्ज है। अगर गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो वह जिम्मेदारी जो उसने एक वैलफेयर स्टेट के नाते अपने ऊपर ली है और जिस के बारे में उस ने जोर से सारी दुनिया में कहा है कि हम एक वैलफेयर स्टेट हैं, उस जिम्मेदारी को वह पूरा नहीं करेगी। मैं इस बारे में बहुत ज्यादा जोर से इस लिये नहीं कहता क्योंकि मैं जानता हूं कि यह काम कितना मुश्किल है, इस के वास्ते कितने रुपये की जरूरत है, कितने इन्तजाम की जरूरत है। लेकिन ताहम चूंकि यह इतना जरूरी काम है इसलिये कम से कम इस की शुरुआत तो कर ही देनी चाहिये। गवर्नमेंट की और बहुत बड़ी-बड़ी स्कीम्स हैं। लेकिन जहां तक इस का ताल्लुक है मैं नहीं देखता कि इन सात सालों में गवर्नमेंट ने क्या किया है। मेरे एक दोस्त ने फरमाया कि अभी तक इस तरफ गवर्नमेंट की तवज्जह नहीं गयी। मैं तो सात बरस से गवर्नमेंट को कह रहा हूं कि एक सोशल रिफार्म मिनिस्ट्री कायम कीजिये जिस के अन्दर इस तरह की चीजों पर तवज्जह हो। लेकिन गवर्नमेंट ने यह चीज नहीं की। गवर्नमेंट ने देश के लिये बहुत जरूरी जरूरी काम किये हैं। लेकिन इस नेशन बिल्डिंग काम की तरफ तवज्जह नहीं की। कौन जानता है कि इन बच्चों में से कौन ऐसा निकलेगा जो कि हमारे देश को ऊंचा उठा दे। और सारे देश के लिये एक न्यामत साबित हो। इस देश का हर एक बच्चा हमारा सरमाया नाज़ है। देश के आदमी और बच्चों की तरफ हमारी पूरी तवज्जह होनी चाहिये। क्योंकि वही हमारा असली सरमाया है। हम उन की तरफ से बेतवज्जह नहीं हो सकते।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस बिल का बहुत थोड़ा मतलब है। इस बिल के अन्दर यह क्लेम नहीं किया गया कि गवर्नमेंट इस किस्म का कोई काम कर ले और गवर्नमेंट को जिम्मेदारी दे दी हो या गवर्नमेंट पर इस को थोप दिया हो। इस बिल का तो छोटा सा और सीधा सा मकसद है लेकिन यह मतलब हल नहीं हो सकता जब तक गवर्नमेंट खुद अपने इंस्टीट्यूशंस कायम न करे और उन इंस्टीट्यूशंस को सारी नेशन की गायिडियेंस के वास्ते ऐसी मौडेल चीजें न बनाये। मौजूदा बिल का मतलब तो बहुत थोड़ा है वह तो कहता है कि जितने इस तरह के इंस्टीट्यूशन्स हैं उन की पूरी निगरानी

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हो । सब से पहली ची जजो बिल चाहता है और जो बड़ी जरूरी है वह यह है कि कम से कम उन पर गवर्नमेंट का कंट्रोल तो हो और ये चन्दा इकट्ठा करने वाली संस्थायें देश के साथ जो एक्सप्लायेटेशन और अत्याचार करती हैं वह बंद हो जायें और इस के वास्ते बिल में सुझाव है कि एक "लाइसेंसिंग" हो । इस में किसी को एतराज नहीं हो सकता कि यह सारे इंस्टीट्यूशंस लाइसेंस्ड होने चाहियें । और जितनी इस के अन्दर रेक्वजिट कंडीशंस हैं वह एक इंस्टीट्यूशन में मौजूद हों और बाकायदा उनका हिसाब किताब रक्खा जाय और उन के अन्दर जो औरतें और बच्चे हों उन के खाने पीने, और मौरेल एजूकेशन का ठीक तरह से इंतजाम किया जाय, यह न हो कि अनाथालय से चार बच्चे बैंड बजाते बजाते हुए सड़कों पर भीख मांगते फिरें, बेगिंग इंस्टीट्यूशन न बनाया जाय ।

दूसरी चीज जो हम ने इस बिल में कही है वह "मैनेजमेंट एन्ड इंसपेक्शन" है । गवर्नमेंट को इस के वास्ते इंसपैकटर्स मुकर्रर करने चाहियें जो इन चीजों को देखें । जहां तक मैं समझता हूं "चिल्डरेंस एक्ट" कई स्टेट्स में हो गया है, बम्बई में है, पंजाब में है और कुछ दूसरी जगहों पर है , लेकिन यहां अभी तक कोई आल इंडिया चिल्ड्रेंस ऐक्ट नहीं आया है, इसलिये मैं अदब से अर्ज करूंगा कि इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में आप कोई माकूल इंतजाम करें और यहां पर ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनायें जो कि ठीक तरह से काम करें । मैं इस को पसन्द नहीं करता कि इस के अन्दर किसी किस्म का महकमा ही न बने । प्लानिंग कमीशन को देखना पड़ेगा कि इन बच्चों और औरतों के वास्ते देश में इस तरह की मुसीबत है, इस के वास्ते नई आर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगी । उस आर्गेनाइजेशन का एक कैडर जहां गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस को प्रापरली मैनेज करे, इंस्पैक्शन के वास्ते और और कामों के वास्ते एक स्टाफ मुकर्रर करे जो उन का मुआयना करे और देखे कि ठीक तरह वहां का काम चल रहा है कि नहीं, देखे कि फंड्स हैं कि नहीं । मैं समझता हूं कि हमारा एक भी ऐसे इंस्टीट्यूशन को चलाना जहां काफी फंड्स न हों, जहां अत्याचार होता हो, एक्सप्लायटेशन चलता हो, सारी खराबियों की जड़ है और इस तरह के इंस्टीट्यूशंस को हमें हरगिज चलने नहीं देना चाहिये क्यों कि वह दूसरों को इंसेंटिव देता है कि इस तरह से लोग रुपया कमायें । मैं समझता हूं कि यह जो बिल आया है, यह ऐसा बिल है जिस की तरफ गवर्नमेंट को खास तवज्जह देनी चाहिये । अगर गवर्नमेंट की तरफ से यह स्टेटमेंट भी हो कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं, तो मेरा कहना है कि गवर्नमेंट अपना काम करती रहे लेकिन इस छोटे से बिल को जो इतना अनप्रीटेंशस है गवर्नमेंट को इस को एक्सैप्ट कर लेना चाहिये । मुझे बड़ी खुशी होगी अगर गवर्नमेंट इस से कोई बेहतर चीज हाउस के सामने लाकर दिखलाये । अब तक नान आफिशियल बिल्स के बारे में यहां यह कायदा रहा है कि जब कभी गवर्नमेंट ने कहा कि हम एक अच्छा और कम्प्रैहेंसिव बिल ला रहे हैं तो आम तौर पर उन बिलों को मूव करने वाले साहबान अपने बिल को वापिस ले लेते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं और पिछले तजुर्बे की बिना पर सलाह देना चाहता हूं गवर्नमेंट के महज ऐश्योरेंस पर वह इस बिल को वापिस न लें, गवर्नमेंट जिस दिन इस से अच्छा बिल लाये, उस दिन वह अपना बिल वापिस लेने को तैयार हों, उससे पहले नहीं । हम ने देखा है कि गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि हम अपनी तरफ से

बिल लायेंगे लेकिन ६, ६ महीने गुजर जाते हैं और साल-साल भर हो जाता है और गवर्नमेंट बिल नहीं लाती और हम इंतजार करते करते तंग हो जाते हैं। हमारे ला मिनिस्टर साहब ने कहा इन के पास बिल तैयार है, मैं उन से कहूंगा कि अगर आप का बिल तैयार है तो उस को ले आइये और जिस दिन आप उस को यहां पर रख देंगे, उसी दिन यह प्राइवेट बिल विदड्रा हो जायगा। मैं गवर्नमेन्ट और नान-आफिशियल में कोई फर्क नहीं देखता लेकिन चूंकि गवर्नमेंट इस किस्म के बिल खुद नहीं लाती, हम को लाना पड़ता है। दूसरे मुल्कों में प्राइवेट मैम्बर्स बिल और गवर्नमेंट बिल में फर्क नहीं होता है। विलायत के अन्दर प्राइवेट मेम्बर्स बिल इस तरह नहीं आते हैं, गवर्नमेंट खुद उनको अंडरटेक करती है। हम बिल लायें गवर्नमेंट की तवज्जह दिलायें, अब गवर्नमेंट मेम्बर्स से अच्छा बिल लाये तो प्राईवेट मेम्बर्स अपना बिल विदड्रा कर लें यह मैं समझ सकता हूं लेकिन यह मैं नहीं समझ सकता कि एक प्राईवेट बिल लाया जाय, गवर्नमेंट बयान दे कि अपनी तरफ से बिल लायेंगे और वर्ष दो वर्ष तक उसकी कोई पर्वाह न करे और उस में यह उम्मीद करे कि मेम्बर्स कोई बिल न लायें, गवर्नमेंट का ऐसा सोचना दुरुस्त नहीं है। अगर गवर्नमेंट के पास इससे अच्छा बिल है और वह लाती है तो मैं अपनी बहिन से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने बिल को वापिस ले ले, लेकिन अगर गवर्नमेंट खाली ज़बानी जमाखर्च करती है तो मैं चाहूंगा कि इसको चलने दिया जाय और जो कुछ हमसे हो सकेगा हम इसमें मदद करेंगे कि यह यहां पर पास हो जाय। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट इस चीज़ पर तवज्जह दे और एक सही एटीच्यूड एडाप्ट करे, यह ऐसा बिल है जिसमें ज्यादा खर्चा नहीं करना है और जो राइट डाइरेक्शन का बिल है, इस वास्ते इसको कबूल करना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट): मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की इस बात का समर्थन करती हूं कि गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों को काफी महत्व देना चाहिए क्योंकि उन विधेयकों का संबंध कुछ ऐसी सामाजिक बातों से होता है जिनका सुधार होना ही चाहिए। यह ठीक है कि सरकार कुछ विवाह विधेयकों का प्रवर्तन कर रही है परन्तु पूर्णतया सामाजिक रूप के विधेयक छोड़ दिये गये हैं जिनको गैर-सरकारी सदस्य प्रस्तुत करेंगे। मेरा अगला विधेयक दहेज प्रथा की रोकथाम के संबंध में होगा क्योंकि अपेक्षाकृत वचन देने के कोई नया सरकारी विधेयक प्रस्तुत नहीं किया गया।

सभापति महोदय: इस पर बाद को विचार किया जायेगा

श्री बिस्वास: मैं माननीय सदस्या को सूचित करता हूं कि विधेयक का प्रारूप मेरे समक्ष है और मैं उसके उपबंधों का परीक्षण कर रहा हूं। कुछ खण्डों के सम्बन्ध में अग्रेतर विचार की आवश्यकता है। बहुत कुछ संभावना है कि विधेयक इसी सत्र में पुरः स्थापित कर दिया जाये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं इसको अधिक अच्छा समझती कि महिला संस्था अनुज्ञापन विधेयक और बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक पृथक-पृथक कर दिये जाते क्योंकि महिला संस्था अनुज्ञापन विधेयक में कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें समाविष्ट होनी चाहियें जिन का बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक से कोई संबंध नहीं। हम, विशेष रूप से वे व्यक्ति जो कलकत्ता नगर से सम्बद्ध हैं, यह बात जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में कितनी ही महिला संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया है। हमें इन सब बातों का ज्ञान है फिर भी हम अपराधियों को नहीं पकड़ सकते क्योंकि संस्थाओं के हित के संरक्षक पुलिस दल की

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

अपराधियों के साथ सांठ गांठ है । केवल कुछ समय पूर्व से ही अपराधियों के विरुद्ध अभियोग चलने प्रारम्भ हुए हैं, परन्तु उन का अन्तिम परिणाम क्या होगा यह हम नहीं जानते ।

अत: स्वभावत: ही हम इस विधान का स्वागत करेंगे । लेकिन मैं महिला संस्था अनुज्ञापन विधेयक को बाल संस्था अनुज्ञापन विधेयक से पृथक क्यों करना चाहती हूं इस का एक कारण है । महिला संस्थाओं के शासी निकाय का संविधान एक विशिष्ट ढंग का होना चाहिये । उस में न्यूनतम आधी संख्या में स्त्री सदस्यों का होना अत्यन्त आवश्यक है । यदि सम्पूर्ण निकाय पुरुषों से ही निर्मित होगा तो बहुत सी बुराइयां आ जायेंगी । विधेयक में जो यह सब से बड़ी कमी रह गई है उस को दूर करना आवश्यक है । मैं मानती हूं कि ऐसी संस्थाओं को चलाने के लिये सुयोग्य महिलाओं का मिलना बहुत कठिन है । हो सकता है कि बड़े बड़े नगरों में ऐसी महिलायें मिल भी जायें किन्तु छोटे स्थानों में नहीं मिल सकेंगी । बाल संस्थाओं के बारे में इस चीज का उतना महत्व नहीं है । "बालक" की परिभाषा जो दी गई है वह कुछ अधिक व्यापक है :

'"बालक" शब्द में वह लड़का अथवा लड़की सम्मिलित हैं जिन्हों ने अभी अट्ठारह वर्ष की आयु प्राप्त न की हो ।'

किसी ऐसे होस्टल इत्यादि के बारे में जहां १८, १७ अथवा १६ वर्ष की लड़कियां हों वही तर्क लागू हो सकेगा किन्तु १२ वर्ष से कम आयु के बालिकों वाली संस्था की व्यवस्थापिका समितियों में सभी प्रकार के लोग रह सकते हैं ।

इसी प्रकार निरीक्षक कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी ऐसा ही उपबन्ध होना चाहिय । महिलाओं की संस्थाओं के निरीक्षण के लिये विशिष्ट रूप से स्त्री निरीक्षकों की ही व्यवस्था होनी चाहिये ।

अनुज्ञप्तियां प्रदान करने में हमें विशेष सावधानी की आवश्यकता इसलिये है कि हम ऐसे अवांछनीय तत्वों को इस क्षेत्र से दूर रख सकेंगे जो इन संस्थाओं को अपने निजी स्वार्थ तथा लाभादि के लिये चलाते हैं । किन्तु हमें इन उपबन्धों को इतना कड़ा भी नहीं बनाना चाहिये कि जिस से ऐसे लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़े जिन्हें हम इस प्रकार के उत्तरदायित्वों को संभालने के लिये प्रोत्साहित करना चाहते हैं । उदाहरण के लिये एक धारा में प्रविष्ट हुए और जाने वाले लोगों का मासिक विवरण तैयार किये जाने की व्यवस्था है । महिला संगठनों के लिये ऐसी संस्थाओं का प्रबन्ध करना बड़ा कठिन है । इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिये कि कुछ अवांछनीय लोग व्यक्तिगत लाभ के लिये इन संस्थाओं का दुरुपयोग न करें ।

एक और बड़ा महत्वपूर्ण विषय है जो मैं यहां बताना चाहती हूं, कुछ वर्ष के पश्चात् यदि कोई कल्याणकारी संगठन अनुज्ञप्ति समाप्त करने के लिये आवेदन करे तब क्या होगा । उस संगठन के अधीन रहने वालों का क्या किया जायेगा । यहा आप सहज ही कह सकते हैं कि उन्हें किसी दूसरे अनुज्ञप्ति वाले संगठन के अधीन भेज दिया जायेगा, परन्तु हमें इस पर क्रियात्मक रूप से विचार करना चाहिये । बड़े शहरों में यह हो सकता है , परन्तु छोटे-छोटे स्थानों पर क्या किया जायेगा । अब आप खंड १८ को देखें । इस में लिखा है "किसी दूसरे योग्य व्यक्ति के सुपुर्द कर दिया गया ।" इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कौन योग्य

व्यक्ति है । इस में कई प्रकार की बुराइयां हो सकती हैं । इसीलिये मैं कहती हूं कि यह उपबन्ध बड़ा खतरनाक है । मैं अनुभव करती हूं कि किसी कल्याणकारी संगठन को अनुज्ञप्ति वापिस देने की स्वीकृति देते समय सरकार को सारा उत्तरदायित्व संभालना चाहिये और बच्चों के रहने का उचित प्रबन्ध करना चाहिये ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं और सरकार से आग्रह करती हूं कि वह उपयुक्त संशोधनों के साथ इस विधेयक का समर्थन करे ।

श्री रघुनाथ सिंह (ज़िला बनारस—मध्य) : चेअरमैन साहब, यह जो विधेयक उपस्थित हुआ है उस विधेयक का समर्थन करने के साथ ही साथ जो वास्तविक दोष है उस की तरफ हम को कुछ ध्यान देना चाहिये । मैं एक ऐसे शहर का रहने वाला हूं जो कि हिन्दुओं का बहुत बड़ा तीर्थ है ।

एक माननीय सदस्य : वह कौन सा स्थान है ?

श्री रघुनाथ सिंह : काशी । वहां आप इतने अधिक अनाथालय पायेंगे, इलाहाबाद में इतने अधिक अनाथालय पायेंगे और हरिद्वार में पायेंगे जितने कि और कहीं नहीं पायेंगे । इन अनाथालयों की आबादी मेलों के समय अधिक हो जाती है । होता क्या है कि देहात के जो उच्च वर्ग के लोग हैं वह अपनी विधवा स्त्रियों और विधवा लड़कियों को मेलों के समय में वहां पर छोड़ जाते हैं । जो उच्च कुल की स्त्रियां होती हैं और जिन का किसी से सम्बन्ध हो जाता है, या किसी तरह की और चीज़ हो गई तो उन को उन के सम्बन्धी लाते हैं और मेलों के समय में इन अनाथालयों में छोड़ कर चले जाते हैं ।

श्री डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, यह युक्ति स्पष्ट नहीं हुई ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं इसे बिल्कुल स्पष्ट किये देता हूं । इन अनाथालयों की संख्या देखेंगे और उन में जो स्त्रियां रहती हैं उन की संख्या को देखेंगे तो पायेंगे कि वहां ज्यादातर जो स्त्रियां जाती हैं वह वही होती हैं जो कि उच्च वर्ण की होती हैं । इस का कारण यह है कि जो निम्न वर्ण की स्त्रियां होती हैं उन का अगर किसी से इस तरह से सम्बन्ध हो जाता है तो भी उन की सगाई हो जाती है, लेकिन उच्च वर्ण की स्त्रियों में ऐसी प्रथा या विधवा विवाह की प्रथा नहीं है । मान लीजिये कि एक स्त्री है जिसकी उम्र १६ वर्ष की है और वह इसी अवस्था में विधवा हो गई । विधवा होने के बाद किसी तरह से उस का आचरण ठीक नहीं रह पाता है तो यह होता है कि गांव वाले, समाज वाले यह समझते हैं कि यदि हम इस कन्या को घर में रक्खेंगे तो हमारे यहां किसी की शादी नहीं हो सकती है, हम जाति में नहीं रह सकते हैं, समाज में लांछन लगेगा । इसलिये मेलों के समय, पर्वों के समय जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान हैं, वहां पर लोग स्त्रियों को ला कर डाल जाते हैं, कन्या को डाल जाते हैं, इन अनाथालयों में भी डाल जाते हैं । इसी लिये आप देखेंगे कि अनाथालयों की संख्या तीर्थ स्थानों में ज्यादा होती है ।

दूसरी बात मैं यह कहूंगा कि आप जितने अनाथालय पायेंगे वे ज्यादातर हिन्दुओं के होंगे और जहां पर कि सिर्फ हिन्दू स्त्रियां ही रहती हैं । आप ईसाइयों के अनाथालयों में भी जायेंगे तो पायेंगे कि उन में हिन्दुओं की बहुत सी स्त्रियां रहती हैं । इसी तरह से अगर आप मुसलमानों के अनाथालय देखेंगे तो उन में आप को स्त्रियों की संख्या बहुत कम मिलेगी । जैसे कि मेरा शहर है उस

[श्री रघुनाथ सिंह]

में एक ही मुस्लिम अनाथालय था और उस में शायद कभी एक ही स्त्री थी। वह अब बन्द भी हो गया है। कारण यह है कि जब लोग स्त्रियों को डाल जाते हैं तो वह मजबूर हो जाते हैं। हिन्दू समाज में इन हिन्दू स्त्रियों को स्थान देने को हम तैयार नहीं है, अपने घर में स्थान देने को तैयार नहीं हैं, तो वे आखिर करें क्या? वह भी मनुष्य हैं। उन में भी जीवन है। उन के साथ शरीर है। तो उन को कहीं न कहीं तो स्थान होना ही चाहिये। इसीलिये वह जा कर अनाथालयों में भर्ती होती हैं। आज जितने भी आप अनाथालय देखेंगे आप यह पायेंगे कि शायद ही पांच प्रतिशत ऐसे अनाथालय होंगे जो कि वास्तव में अनाथालय कहने योग्य हैं नहीं तो सारे अनाथालयों का एक मात्र कार्य यह है कि वे बाहर से लाई हुई कन्याओं और स्त्रियों को रखते हैं। उन की शादियां कराते हैं। हर शादी में वह चार सौ, पांच सौ रुपये लेते हैं। यही उन की एक मात्र आमदनी होती है जिस से कि इन अनाथालयों का काम चलता है। इस में जो शादी की जाती है मैं अपने एक्स-पीरियेन्स से कहता हूं, और सब को बतलाना चाहता हूं कि इस तरह की स्त्रियों से जो पुरुष शादी करते हैं वे अधिकतर पंजाब के होते हैं। यू० पी० और बिहार की जो स्त्रियां होती हैं वे ज्यादातर पंजाब को एक्सपोर्ट की जाती हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: मेरा इस विषय में माननीय सदस्य से मतभेद है।

श्री रघुनाथ सिंह: मैं आप को तथ्य बतलाऊंगा। होता क्या है कि एक स्त्री के लिये दो सौ, चार सौ रुपया कीमत तय हो जाती है और जब वह रुपया दे दिया जाता है तो कोर्ट में जाते हैं। स्त्री एफीडेविट देती है, पुरुष एफीडेविट देता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और हम दोनों एक साथ रहेंगे और किसी और प्रकार का बन्धन नहीं है। सिविल मैरिज के अन्दर आने की वह हिम्मत नहीं करते। कोई-कोई एक रुपये के स्टाम्प पर इकरारनामा कर देते हैं।

श्री डी० सी० शर्मा: मेरा यह निवेदन है कि माननीय सदस्य को पंजाब की स्थिति का ज्ञान नहीं है।

सभापति महोदय: जब माननीय सदस्य की बारी आये तो वे पंजाब के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।

श्री रघुनाथ सिंह: इसी वास्ते अभी तक आपकी शादी भी नहीं हुई है। तो मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि जो वास्तविक दोष है उस दोष की तरफ हम लोगों को देखना चाहिये कि यह कैसे दूर होगा। यह जो विधेयक आपके सामने उपस्थित है इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं लेकिन साथ ही साथ हम यह भी कहते हैं कि इस विधेयक में ऐसा संशोधन होना चाहिये कि जो ऐसी स्त्रियां हैं उनके विवाह का भी कोई प्रबन्ध हो सके। मैं आप को एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहां काशी अनाथालय है, जो कि एक प्रकार से अर्ध सरकारी अनाथालय है। आप देखेंगे कि उस अनाथालय में उच्च वर्ग की स्त्रियां बहुत ज्यादा रहती हैं। कभी न कभी उनमें से एक न एक स्त्री छलांग मार कर भाग जाती है। वह अनाथालय की दीवार लांघ कर भाग जाती है। उस अनाथालय में उनके लिये खाने की, पीने की, रहने की सब सुविधायें हैं, लेकिन फिर भी वह भाग जाती हैं, कारण यह है कि स्त्री

पुरुष के सम्बन्ध मधुर सम्बन्ध हैं और इसलिये जो इस प्रकार की स्त्रियां आती हैं अगर हम उनके विवाह का भी प्रबन्ध कर सकें तो हमारे अनाथालय अच्छी तरह से चल सकते हैं। इस वास्ते मैं इस विधेयक का मूलतः समर्थन करता हूं। ला मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वे एक विधेयक हमारे सामने लावेंगे। अच्छा हो यदि इन सब बातों को देखकर वह उस विधेयक को लावें। उस समय हम उसका समर्थन करेंगे।

बाबू रामनारायण सिंह (हज़ारीबाग़—पश्चिम): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का हृदय से स्वागत करता हूं। इसमें जो कुछ कहा गया है उससे प्रायः सभी लोग सहमत हैं। इस बिल में जितनी धारायें हैं उनसे भी मैं सहमत हूं, लेकिन एक बात जो रघुनाथ सिंह जी ने कही वह ज़रूरी है कि इसमें कुछ ऐसा भी हो कि जब बच्चे वहां सयाने हों उनका प्रबन्ध किया जा सके, जो नौकरी में जाना चाहें उनको नौकरी दिलायी जाये और जो विवाह करना चाहें उनका विवाह कर दिया जाय। मैं चाहता हूं कि इसमें कोई इस तरह का प्रावीज़न होना चाहिये।

हमारे विधि मंत्री श्री बिस्वास जी ने कहा था कि लोग चाहते हैं कि हमारे ही ज़रिये यह काम हो और हमारा नाम हो। इस तरह की बात वह कह रहे थे। बात तो सही है.....

सभापति महोदय: यह तो सब्जेक्ट मैटर आफ डिस्कशन नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह: उन्होंने कहा था कि हम खुद इस तरह का विधेयक लाने वाले हैं। वह बात सब ठीक है। इस सम्बन्ध में मेरे मित्र ठाकुरदास जी ने कहा है कि सरकार की तरफ से बार-बार यह कहा गया है कि आप क्यों ऐसा विधेयक लाते हैं, आप इसको वापिस ले लें, इस सम्बन्ध में सरकार का बिल आवेगा। सरकार को यह कहने में तो कोई ज्यादा संकोच नहीं होता है लेकिन एक बरस गुज़र जाता है, दो बरस गुज़र जाते हैं, लेकिन उस सम्बन्ध का बिल सामने नहीं आता। इस सम्बन्ध में मैं भाई ठाकुर दास जी से सहमत हूं कि इस बिल को आप पास होने दें। इसमें क्या बुराई होती है। अगर आप चाहें तो उसमें कोई संशोधन कर लें। या इसके बाद जो विस्तारपूर्वक विधेयक आवेगा वह पास हो जायगा, यह ठीक है। लेकिन इसमें बाधा देना तो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सभी ने कहा है कि सरकार की तरफ से इस तरह का कार्य होना चाहिये। सरकार अपने को वेलफेयर स्टेट कहती है। शायद इस बात को कुछ लोग मान भी लेते हैं, लेकिन यह स्टेट वेलफेयर स्टेट है या कौनसी स्टेट है यह तो सरकार भी जानती है और जिनके मत्थे सरकार पड़ती है वे भी जानते हैं। तो मैं कहे देता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि सरकार को यह मान लेना चाहिये, सरकार की ओर से जितने लोग काम करने वाले हैं उनको समझना चाहिये कि सरकार दुनिया के लिये एक बहुत बड़ी चीज़ है। मैं कह सकता हूं कि दुनिया में भगवान् के बाद सरकार का ही स्थान है। तो जिस वक्त किसी देश में सरकार बनती है तो यह मान लिया जाता है कि उस देश के लोगों के लिये सब चीज़ के लिये सरकार जवाबदेह है। जब सरकार कायम हो जाती है तो लोगों का जीवन सरकार के हाथ में आ जाता है, धन, सम्पत्ति, इज्ज़त सब कुछ सरकार के हाथ में आ जाता है। तो अगर सरकार ठीक न हो और अगर वह अपने कर्तव्य का पालन न करे तो न तो लोगों की इज्ज़त की रक्षा हो सकती है, न धन की रक्षा हो सकती है और न जीवन की रक्षा हो सकती है। सरकार को यह मान लेना चाहिये कि चूंकि

[बाबू रामनारायण सिंह]

वह देश में सब से बड़ी संस्था है इसलिये अगर उस देश में पाप होते हैं तो उन सब पापों के लिये वह दोषी है ।

एक माननीय सदस्य : पुण्य के लिये भी ।

बाबू रामनारायण सिंह : पुण्य के लिये नहीं । क्योंकि यह तो जाना हुआ है कि बहुत से लोग समाज में बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सरकार तो बनती इसी लिये है कि वह उन बुराइयों को दूर करे और देश में पुण्य हो । यह तो सरकार का कर्त्तव्य है ही । अगर अपने कर्त्तव्य से च्युत होकर सरकार अपना काम ठीक से नहीं करती है वह दोषी होती है ।

अध्यक्ष महोदय, लोगों ने ऐसा भी कहा है कि इस तरह की जितनी संस्थायें बनी हैं उनके संस्थापक लोग या प्रबन्धकर्ता उनका संचालन बुरी नीयत से करते हैं । मैं इस पक्ष से तो मतभेद रखता हूं । हमारे यहां बिहार में भी ऐसी संस्थायें हैं और मैं जानता हूं कि वे अच्छी तरह से चल रही हैं । मैं यह नहीं कहता कि इस तरह की कुछ संस्थायें नहीं हैं कि जिनमें ठीक काम न होता हो । लेकिन यह कहना कि जितनी संस्थायें हैं सभी बुरी हैं ठीक नहीं है । मनुष्य का स्वभाव अजीब है । अध्यक्ष महोदय, भर्तृहरि जी ने कहीं पर संसार के विपरीत गुणों का वर्णन करते हुये कहा है :

"न जाने संसारे किमभृतमयः
किम् विषमयः । "

न जाने संसार अमृतमय है या विषमय है । न जाने संसार क्या है ? भला है या बरा ? कुछ चीजें अच्छी है और कुछ बुरी भी हैं । मेरे कहने का मतलब यह है कि सरकार के लिये यह धर्म का तक़ाज़ा है ,न्याय का तक़ाज़ा है, और ईमानदारी का तक़ाज़ा है कि सरकार इस विधेयक को पास होने दे और इस सम्बन्ध में जो मदद सरकार करना चाहती हो वह करे । सरकार को इसका विरोध नहीं करना चाहिये । अगर उनका दूसरा विधेयक आने वाला है तो ठीक है । तब तो हम सब लोग सरकार को बधाई देंगे । लेकिन इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिये और जहां तक जल्दी हो सके इसके मुताबिक़ काम होना चाहिये । मैं फिर इस बिल का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि बिश्वास जी भी इसका समर्थन करते हुये इसे स्वीकार होने देंगे ।

श्री बी० डी० शास्त्री (शाहडोल-सिद्धि) : सभापति जी, वस्तुतः इस विधेयक का बड़ा महत्व है और मैं इसका हृदय से स्वागत करता हूं । आजकल देखा जाय तो महिला आश्रमों और अनाथालयों की क्या दशा है, यह शायद किसी से छिपी नहीं है । अनाथालयों में जितने बच्चे आते हैं पहले तो उनकी भरती बड़ी सरलता से हो जाती है और जो उसके प्रबन्धक होते हैं वह बच्चों को भरती कर लेते हैं लेकिन बाद में हम देखते हैं कि ये बेचारे बच्चे दिन रात या तो बैंड बजा-बजा कर पैसा पैदा करते हैं, या भीख मांगते फिरते हैं और या पटेबाज़ी और सर्कस दिखा कर पैसा पैदा करते हैं और उनका लक्ष्य सिर्फ यह रहता है कि जैसे भी हो पैसा पैदा करें और जो पैसा इस तरह से पैदा किया जाता है वह अनाथालय के जो संरक्षक होते हैं वह उसको ग़लत तरीक़े से खर्च करते हैं या अपने फायदे के लिये उस पैसे को काम में लाते हैं । मैं ने तो यहां तक देखा है कि कुछ अनाथालयों के प्रबन्धकों ने अनाथालय के नाम पर ज़मीनें ले रक्खी हैं, सैकड़ों हज़ारों एकड़ ज़मीन ले रक्खी है, गवर्नमेंट से फोर्स डाल कर ज़मीनें अपने क़ब्ज़े में कीं और कुछ लोगों ने तो व्यापार धंधे भी खोल रक्खे हैं लेकिन उन सब का फायदा न तो अनाथ

बच्चों के काम में आता है, न उनकी शिक्षा के काम में आता है, न कोई सामाजिक सुधार होता है और न कोई ऐसी तरक्की अनाथालय की होती है कि जिससे हम देखें कि वह लड़के भविष्य में अपने जीवन को सुधार सकें। वस्तुतः जैसा अभी भार्गव जी ने कहा, एक एक बच्चा देश का एक एक रत्न है, उनका मूल्य है, उनके जीवन की कोई क़ीमत है, पता नहीं किस बच्चे में भविष्य में कितनी शक्ति हो कि वह देश का कितना बड़ा नेता, कितना बड़ा सुधारक और कितना बड़ा व्यक्ति हो सकता है। तो हमें यह देखना है कि वस्तुतः इस तरीक़े से अगर किन्हीं लड़कों का उनकी शक्ति का और उनके बौद्धिक बल और उनकी शिक्षा सम्बन्धी आदि शक्तियों का दुरुपयोग होता है तो वह न हमारे लिये और न इस नये बनने वाले देश के लिय कल्याण की चीज़ होगी।

दूसरी बात मैं स्त्रियों की बाबत भी कहना चाहता हूं। अभी मेरी एक माननीया सदस्या ने सुझाव रक्खा है कि महिलाओं में प्रबन्ध महिलाओं के हाथ में होना चाहिय। हम देखते हैं कि महिलाओं में प्रबन्धक पुरुष होते हैं और नतीजा यह होता है कि पुरुष अपने पूर्ण अधिकारों और शक्ति का प्रयोग करते हैं और जैसे कि उन्होंने शिकायत की कि स्त्रियां वहां पर ६-६ और ८-८ दिन रहती हैं और फिर छलांग मार कर महिला-श्रमों से निकल जाती हैं, हमें उसको समझने का यत्न करना चाहिये कि आखिर ऐसा क्यों होता है। पुरुष प्रबन्धक होने के कारण न तो वह स्त्रियां अपने विचार, भाव उसको बता सकती हैं और न वह उनको अच्छी तरह समझ सकी हैं और न ही वह लज्जा-वश उसको पूरे तरीक़े से और खुल कर सब कुछ बता ही सकती हैं। लेकिन अगर पुरुष के स्थान पर प्रबन्धक के पद पर कोई स्त्री हो तो वह उनकी सारी दिक्क़तें और विचार समझ सकती हैं वह उनके स्वभाव, उनके विचार और उन की सारी चीज़ों को समझ सकती हैं और वे बहिनें भी स्त्रियों से अपनी सब कठिनाइयों को बता सकती हैं और उनको बता देने में कोई संकोच भी नहीं होता। इसलिये यह ज़रूरी है कि महिला-श्रमों की प्रबन्धक स्त्रियां हों, प्रबन्ध करने का जो बोर्ड होता है उसकी अध्यक्षा अगर स्त्री न भी हो तो कम से कम उस बोर्ड में महिलाओं का समावेश होना आवश्यक है गोकि जैसे अभी बताया गया यह बड़े-बड़े शहरों में ही सम्भव है जहां कि आपको इस योग्य एजुकेटड महिलायें मिल सकती हैं। लेकिन छोटे-छोटे कस्बों और देहातों में ऐसी पढ़ी लिखी औरतों का मिलना मुश्किल होता है फिर भी हम लिट्रेसी की ओर धीरे-धीरे बढ़ते जाते हैं और हमें महिलाओं को समझाना चाहिये कि यह उनके कल्याण की चीज़ है। देश में एक सामाजिक सुधार होने जा रहा है, इसमें आपको हिस्सा लेना चाहिये और इसमें देश का बहुत बड़ा कल्याण निहित है और मैं समझता हूं कि कदाचित् इस प्रगतिशील संसार में ऐसी स्त्रियों का मिलना मुश्किल भी नहीं है। इसलिये मैं आपके सुझाव का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक में ये चीज़ें अवश्य रक्खी जायं।

दूसरी बात यह है कि अभी हमारे साथी रघुनाथ सिंह ने जो बहुत सी बातें कहीं, वह मेरी समझ में नहीं आयीं। उन्होंने कहा कि यह देखा गया है कि मेलों ठेलों के समय महिलाश्रमों में ऐसी-ऐसी महिलायें रखते हैं जिनसे अनाचार होता है और न जाने क्या-क्या गड़बड़ होती है। कुछ भी हो यह वाक़या है कि इन आश्रमों में स्त्रियों को शरण मिलती है और उस ठुकराई हुई स्त्री को जिसका कोई घर नहीं, जिस को गांव में रहने की इजाज़त नहीं और जिससे समाज घृणा करता हो, उसको

[श्री बी० डी० शास्त्री]

वहां पर शरण दी जाती है कि वह अपना सिर छपा सके, आखिर उसके भी शरीर है, उसके भी विचार हैं और संसार में उसके लिये कोई ठौर, ठिकाना न हो, तो यह तो बुरी बात है । तो जहां तक शरण देने की बात है उससे तो किसी को एतराज़ हो नहीं सकता । हां, हमें देखना यह चाहिय और एसा प्रबन्ध करना चाहिये कि उनका दुरुपयोग न हो, उनके साथ दुर्व्यवहार न हो। अगर हम इस विधेयक को स्वीकार करते हैं तो इस विधेयक के बावजूद हमारे जो इन्स्टीट्यूशन्स हैं, अनाथालय हैं, हम उनके प्रबन्ध पर कड़ी निगरानी रख सकते हैं और आवश्यक प्रबन्ध कर सकते हैं । अब रही यह बात कि गवर्नमेंट की तरफ से इसके स्थान पर दूसरा विधेयक आवे । वैसे तो मझे इसमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुझे उनके वायदे में विश्वास नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ से बिल लाने का वायदा तो किया जाता है लेकिन वह आता नहीं है और नतीजा यह होता है कि वह मामला टलता जाता है । मेरा कहना यह है कि जब गवर्नमेंट इस तरह के बिल को ज़रूरी समझती है और वह इसके खिलाफ नहीं है तो उसको इसे अभी स्वीकार कर लेना चाहिये, बाद में अगर गवर्नमेंट की तरफ से और अच्छा विधेयक आयेगा तो सदन उसे फिर स्वीकार कर लेगा, लेकिन फिलहाल जब तक वह नहीं आता तब तक इस विधेयक की बहुत ज़रूरत है क्योंकि इसमें लाखों बच्चों और औरतों का हित निहित है ।

डा० रामा राव (काकिनाडा) : मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव के विचारों का समर्थन करता हूं । हमारा राज्य लोकहितकारी राज्य है ।

एक माननीय सदस्य: नहीं, नहीं ।

डा० रामाराव: कम से कम हम ऐसा होने का दावा तो करते हैं । लोकहितकारी राज्य होने के नाते हमारा प्रथम कर्त्तव्य अनाथ बच्चों और निराश्रित लोगों की देख-भाल करना है, हमारा समाज सुधार बोर्ड करोड़ों रुपये बांटता है, परन्तु सरकार स्वयं क्यों संस्थायें आरम्भ नहीं करती । अत्यन्त सम्मानित संस्थाओं के अतिरिक्त बहुत सी छोटी-छोटी संस्थाओं ने भी इस दिशा में बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है । कई स्थानों पर अनाथों और विधवाओं की संस्थायें खोलना एक लाभदायक कारबार बना लिया गया है । इस लिये यह विधेयक अथवा इस विषय में कोई कार्यवाही करना अत्यधिक आवश्यक है ।

सभापति महोदय: इस से पूर्व कि मैं प्रस्तावक को बोलने के लिये कहूं शायद आप सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे।

श्री बिस्वास: चाहे आप मुझे ग़लत ही समझें परन्तु फिर भी मैं वह अपील दोहराता हूं जो पिछली बार इस विधेयक की प्रस्ताविका से की गई थी । मैं संक्षेप में इस के कारण बताता हूं ।

विधेयक से आप देखेंगे कि राज्यों के लिये मशीनरी की व्यवस्था की जानी है । राज्य सरकारों की राय पूछी गई थी और उन में से बहुतों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं । कुछ राज्यों में विधान बनाने का विचार किया जा रहा है । एक दो राज्यों में तो विधान पुरःस्थापित किया जा चका है यद्यपि मुझे इस बात का निश्चय नहीं कि उसे अधिनियमित किया जा चका है अथवा नहीं । उदाहरणतः उत्तर प्रदेश ने कहा है कि उन्होंने विधवा आश्रमों और अनाथालयों के बारे म विधान बनाने का निश्चय कर लिया है और वे उस विधेयक में इन

संस्थाओं को अनुज्ञप्ति देने की व्यवस्था करेंगे । बिहार में उन्होंने बिहार अनाथालय तथा विधवा आश्रम अधीक्षण विधेयक पुरः-स्थापित कर दिया है । आसाम ने भी विधान बनाने का विचार प्रकट किया है । अन्डमान और निकोबार द्वीपों ने कहा है कि वहां यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । वहां इस प्रकार की कोई संस्थायें नहीं हैं और न ही कोई ऐसी समस्या है । बम्बई, मद्रास, मध्य भारत, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस विषय पर विचार किया जा रहा है और आशा की जाती है कि विधान पुरःस्थापित किया जायेगा । इन राज्यों से हमें ये उत्तर मिले हैं ।

एक माननीय सदस्य : क्या दिल्ली में भी कुछ किया जा रहा है ?

श्री बिश्वास : वे भी अपने विधान-मण्डल में इसी प्रकार का एक विधेयक अधिनियमित करना चाहते हैं । कुछ समय हुआ यह उत्तर मिला था । वास्तव में मैं नहीं जानता कि दिल्ली राज्य नें उसके पश्चात् क्या कार्यवाही की है । सम्भव है कि वे विधेयक पुरःस्थापित भी कर चुके हों । यह स्थिति है और मुझे विश्वास है कि जिन राज्यों में अभी तक कुछ नहीं किया गया वहां भी इसी प्रकार का विधान बनाया जायेगा ।

यदि यह विधेयक विधि बन जाये तो इसके प्रशासन के लिये राज्यों को मशीनरी की व्यवस्था करनी पड़ेगी । यदि आप इस विधेयक के खंड १९ को देखें तो आप को पता चलेगा कि सेवायें प्राप्त करने और संस्थाओं के प्रबन्ध के लिय राज्य सरकारें जो भी नियम तथा उपनियम उपयुक्त समझें उन्हें बनाने का अधिकार है, श्रीमान्,जी असल बात तो इन संस्थाओं का प्रबन्ध करने की है । विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी व्यक्ति जब तक वह पहले अनुज्ञप्ति प्राप्त न कर ले इस प्रकार का आश्रम नहीं खोल सकता । यह ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी संस्थाओं का निर्माण करना दानी पुरुषों पर ही निर्भर करता है । सच है कि कुछ संस्थायें बहुत अच्छी प्रकार कार्य कर रही हैं । जहां तक पश्चिमी बंगाल का सम्बन्ध है श्रीमती चक्रवर्ती ने उन में से कुछ का उल्लेख किया है । मैं भी उनकी साक्षी दे सकता हूं । निस्सन्देह उन में से कुछ तो अच्छी हैं । परन्तु कुछ एक बहुत बदनाम हैं । वस्तुतः कोई भी नहीं चाहता कि इन संस्थाओं के संस्थापक अपन व्यक्तिगत लाभ के लिये इनका दुरुपयोग करें । दुर्भाग्यवश जो लोग सार्वजनिक कार्य-कर्ता बन कर अगुआ बनते हैं उन में समझ नहीं है । हमारा यह दुर्भाग्य है । जब वे इस प्रकार की संस्था आरम्भ करते हैं तो वे बड़े-बड़े वचन देते हैं । वे प्रबन्ध समितियां भी बनाते हैं जिन में प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम होते हैं और हरेक की आंखों में धूल डाली जाती है । इस प्रकार वे धन एकत्र करते हैं । अन्त में जब कोई बुराई होती है तो लोगों की आंखों से पर्दा हट जाता है । मैं यह कहना चाहता हूं चाहे ये संस्थायें सरकार की अनुज्ञा से आरम्भ की गई हों चाहे इसके बिन, जब कभी इन संस्थाओं के प्रबन्ध के बारे में कोई अनुचित बात सरकार के ध्यान में आती है तो कार्यवाही अवश्य की जाती है । केवल इसी से कोई सुधार नहीं हो सकता कि अनुज्ञप्ति दी गई है और सरकारी देख-भाल की जाती है ।

स्कूलों तथा कालजों में आप क्या देखते हैं । उनके कार्य को नियमित करने के लिय निरीक्षण, प्रतिबन्ध ,परीक्षायें इत्यादि कई प्रकार की व्यवस्थायें की जाती हैं । फिर भी हम देखते हैं कि कई स्कूल जिन्हें सरकार की मान्यता प्राप्त है और थोड़े-थोड़ समय के

[श्री बिस्वास]

पश्चात् नियमित रूप से जिनका निरीक्षण किया जाता है वे भी ठीक तरीक़े पर नहीं चल रहे। विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों की क्या स्थिति है जिन का निरीक्षण हो सकता है। मैं इन शिक्षा संस्थाओं के व्यक्तिगत ज्ञान के आधार पर ही यह कह रहा हूं, क्योंकि पश्चिमी बंगाल में बहुतों के साथ मेरा सम्बन्ध था और उन में से कुछ एक तो बहुत ही बुरी हैं। चाहे कितनी बार निरीक्षण क्यों न हो, वे ठीक न होंगी। आखिर, महत्व तो इस बात का है कि इन संस्थाओं को कौन लोग चलाते हैं, चाहे मैं चला जाऊं, चाहे निरीक्षक उसका हर प्रकार से मनोरंजन किया जाता है और रिपोर्ट अच्छी मिल जाती है। यदि आप बिना पूर्व-सूचना के ही निरीक्षण करने चले जायें तो वहां का नक़शा ही और होता है। चिकित्सालयों के बारे में तो नहीं परन्तु शिक्षा संस्थाओं के बारे में मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं।

बाबू रामनारायण सिंह: स्वयं सरकार का क्या हाल है ?

श्री बिश्वास: मैं उन्हीं संस्थाओं के बारे में कह रहा हूं जो सरकारी विश्वविद्यालय अथवा डी० पी० आई० के विभागीय नियंत्रण के अधीन हैं। यदि ऐसी संस्थाओं की यह हालत है तो केवल प्रारम्भ में अनुज्ञप्ति लेने पर बल देकर आप किस बात की आशा कर सकते हैं।

हम सब का उद्देश्य सामाजिक कल्याण है। सरकार अपने कत्तव्य को ठीक प्रकार जानती है, परन्तु जो कुछ भी किया जाना चाहिये वह बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता। हाल ही में सामाजिक कल्याण बोर्ड स्थापित किया गया है। उन्हें चार करोड़ रुपया दिया गया है ! हमें देखना है कि वे कैसे कार्य करते हैं। अभी तो उन्होंने अपनी संस्थायें आरम्भ नहीं कीं। वे तो केवल उन संस्थाओं की सहायता कर रहे हैं जिन्हें वे इस सहायता का पात्र समझते हैं। वे उन संस्थाओं को देखने जाते हैं।

श्री वेलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा--रक्षित--अनुसूचित जातियां) झूठी संस्थाओं को भी अनुदान दिये जाते हैं।

श्री बिश्वास: चाहे झूठी संस्थाओं को अनुदान मिलते हों। झूठी संस्थायें तो उन व्यक्तियों को धोखा देने के लिये हैं जो उनका निरीक्षण करने जाते हैं। हम इन तथ्यों को जानते हैं उन्हें दोहराने से क्या लाभ ? आखिर हम ही इसका उपचार कर सकते हैं। यदि हम में से हरेक व्यक्ति अपने कर्त्तव्यों और उत्तरदायित्वों का ध्यान रखे तो ये बातें नहीं हो सकतीं। किसी समुदाय के नैतिक स्तर पर बहुत कुछ निर्भर होता है। हम चाहे यहां लोक-हितकारी राज्य के लिये चिल्लाते रहें और धन की व्यवस्था करते रहें परन्तु यदि कार्य करने वालों की मनोवृत्ति अथवा उनका चाल-चलन इसके विपरीत हो तो हम क्या कर सकते हैं ? हमें कार्य अभिकर्त्ताओं द्वारा करना होता है और यदि हमारे अभिकर्त्ता ही हमे धोखा दे जायें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। सरकार ने इस सामाजिक कल्याण के कार्य का बीड़ा उठाया है और वह पूरा यत्न कर रही है। जब कभी अन्याय या अनियमितता की कोई बात उसके ध्यान में लायी जाती है वह उस पर कार्यवाही करती है। परन्तु यदि नमक का नमकीनपन ही नष्ट हो जाये तो उसे नमकीन कैसे बनाया जा सकता है।

डा० रामा राव: क्या माननीय विधि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंग कि स्वयं

सरकार ने अपनी कितनी संस्थायें खोली हैं ?

श्री विश्वास: यदि आप प्रश्न की पूर्व-सूचना दें तो मैं इस का उत्तर दे सकूंगा । यह एक ऐसा विषय है जिस के लिये राज्यों से आंकड़े एकत्र करने होंगे और मैं एकाएक इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकता । मैं यह बता सकता हूं कि हम ने एक हज़ार संस्थाओं की स्थापना की है । सम्भव है कि कुछ संस्थायें सरकार द्वारा खोली गई हों ।

कलकत्ते में आप "रैफ्यूज" को ही ले लें । वह एक बड़ी भारी संस्था है । वह बिस्वास नामक एक व्यक्ति द्वारा खोली गई थी । (हंसी)--वह मेरा सम्बन्धी नहीं था--वह ईसाई था । परन्तु कुछ समय पश्चात् प्रबन्धकों के बदलने पर सारी संस्था नष्ट हो गई । सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ और उस ने एक सुदृढ़ समिति नियुक्त की जिस के अध्यक्ष उच्च-न्यायालय के एक न्यायाधीश थे । मैं भी उस समिति का सदस्य था । उन्होंने उस की पूरी तरह छान-बीन की और सारी संस्था को एक नया रूप दिया और अब आप जा कर देखें कि यह संस्था किस प्रकार चल रही है । सरकार इसका पूरा ध्यान रखती है कि संस्थायें ठीक प्रकार से चलें और ये उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करें जो कि हमारे सामने हैं । एक संस्था का उल्लेख किया गया था । यहां आने से पूर्व मैं उसका अध्यक्ष था । आपको शासी निकाय में बड़े बड़े नाम दिखाई देंगे । कठिनाई यह है कि ये व्यक्ति शासी निकाय के सदस्यों के रूप में अपने कर्त्तव्यों का ध्यानपूर्वक पालन नहीं करते । एक संस्था का मामला था जिसकी ओर श्रीमती चक्रवर्ती ने संकेत मात्र किया था । चार या पांच वर्ष पहले मेरा ध्यान उस संस्था के मामले की ओर दिलाया गया था । जब मेरा उस से सम्बन्ध नहीं था । मैं ने शासी निकाय के सदस्यों को—जो कलकत्ता के बड़े बड़े व्यक्ति थ—बुलाया था और मेरे घर पर बैठक हुई थी, तब मुझे पता लगा कि छः सात वर्ष से उनकी वार्षिक बैठक अथवा कार्यकारिणी समिति की बैठक नहीं हुई । सब कार्य एक विशेष व्यक्ति के हाथ में छोड़ दिया गया था । यह बुरी बात है । मैं क्या कर सकता था ? मैं ने उन्हें बताया कि कार्य करने का यह ढंग नहीं होता ; यदि वे कार्य नहीं कर सकते तो उन्हें सेवा-निवृत्त हो जाना चाहिये तथा और शासी निकाय बनाया जाना चाहिये । थोड़े ही समय में वहां की बातों में सुधार हो गया । वहां कुछ महिलाओं को लाया गया । इस प्रकार तो कार्य होते हैं । सरकार को दोष देने से कोई लाभ नहीं ।

मेरा निवेदन है कि इस प्रकार के विधेयक से कोई लाभ नहीं होगा । इस में तो केवल अनुज्ञप्तियां देने के सम्बन्ध में कहा गया है और कुछ नहीं । आप नियमों का उपबन्ध कर रहे हैं । वस्तुतः ये नियम विद्यमान हैं, नियमों के न होने से कोई हानि नहीं होती । आप यही तो चाहते हैं कि संस्थायें ठीक प्रकार चलायी जायें । इस प्रयोजन के लिये आपको स्थानीय व्यक्ति चाहियें, ऐसे व्यक्ति चाहियें जो इस सम्बन्ध में सक्रिय हों और अपनी संस्थाओं में जाना अपना कर्तव्य बना लें ।

कलकत्ता की एक और संस्था का उदाहरण लीजिये—भूतपूर्व चुन्नीलाल बोस अपनी आयु भर इस के प्रधान रहे । वे प्रतिदिन प्रातः वहां जाते और उसे देखा करते थे । एक और उदाहरण लीजिये जिस के साथ मेरा सम्बन्ध है—वह कलकत्ता में अंधों की पाठशाला है जहां अंगहीन बच्चे रखे जाते हैं । यह राजेन्द्र नाथ मुकर्जी जैसे व्यक्तियों के हाथ में थी और फिर चुन्नीलाल बोस इत्यादि के हाथ में रही । मुझे कई वर्षों

[श्री बिस्वास]

तक इसका प्रधान रहने का सौभाग्य मिला है। मैं प्रति सप्ताह वहां जाया करता था। अपनी पत्नी को भी साथ ले जाया करता, और वहां हम १५, १६ वर्ष की छोटी छोटी बालिकाओं से मिलते उन से बात करते और उन्हें प्रोत्साहन दिया करते थे। इन संस्थाओं को चलाने का यही ढंग है। यह अनुज्ञप्ति प्राप्त संस्था नहीं परन्तु वह बंगाल में—मैं कह सकता हूं कि सारे भारत ही में—सर्वोत्तम संस्था है। इस प्रकार से यह चलती है। केवल यह कह देने से कि आपको ज़िला दण्डाधीश से अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी चाहिये बात नहीं सुधर सकती। वह आपको अनुज्ञप्ति दे देगा, परन्तु शेष कार्य अधीन कर्मचारियों के हाथ में रह जाता है जो न जाने अपना कर्तव्यपालन करें या न करें। परन्तु अधिकार तो स्थानीय व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है जो या तो संस्था के शासी निकाय के सदस्य होते हैं और या प्रबन्ध समिति के सदस्य होते हैं जो प्रभावशाली होती हैं। प्रश्न यह है कि आप उन से संस्था का कार्य कैसे करवा सकते हैं? सरकार का एक समाज कल्याण बोर्ड भी है। वे इन संस्थाओं में जायेंगे। वे कार्यों को देखेंगे और अपना सन्तोष प्राप्त करने के लिये जांच करेंगे। वे प्रबन्ध समिति के सदस्यों से मिलेंगे और यदि कुछ गड़बड़ हुई तो वे उन्हें परामर्श देंगे कि क्या करना चाहिये। केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड इस प्रकार से कार्य कर रहा है.....।

श्री वेलायुधन: क्या सरकार को निरीक्षण के लिये कोई वैधानिक मंजूरी प्राप्त है?

श्री बिश्वास: इस प्रकार के विधेयक से आपको क्या वैधानिक मजूरी मिलती है यह मैं नहीं कह सकता। वस्तुतः यदि इस विधेयक में यह कहा गया होता कि हम जनता से एक करोड़ रुपया एकत्र करना चाहते हैं, हमें यह राशि एकत्र करने का प्राधिकार दीजिये और तब हम संस्थायें आरम्भ करेंगे, हमें ऐसी संस्थायें आरम्भ करने की वैध मन्जूरी दीजिये, तब तो मैं इस बात को समझ सकता था। इन विद्यमान सस्थाओं से जो चाहे अच्छी हैं या बुरी, केवल आग्रह करने और यह कहने से कि अनुज्ञप्ति प्राप्त कीजिये, इन में सुधार नहीं होगा। यदि आप कहें कि इस से सभी कुछ ठीक हो जायेगा तो मुझे इस पर विश्वास नहीं.....

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: लोगों को यह ज्ञात है कि पश्चिमी बंगाल की इस विशेष संस्था में कुछ बुरी बातें थीं। परन्तु क्या सरकार को वर्त्तमान विधि के अधीन अकस्मात निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त है?

श्री बिश्वास: वस्तुतः जब कभी कोई शिकायत मिले सरकार निरीक्षण करती है। कोई शिकायत अवश्य होनी चाहिये। जब शिकायत हो, तो सरकार को जा कर निरीक्षण करने का अधिकार है, इस में वैध प्राधिकार का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता। यदि सरकार निरीक्षण करना चाहे तो उसे कोई नहीं रोक सकता। अनुज्ञप्ति की आवश्यकता नहीं। कलकत्ता के मालिश घरों के सम्बन्ध में क्या है? यद्यपि कोई अनुज्ञप्ति का प्रश्न नहीं था तो भी कार्यवाही की गई थी। यह किया जा सकता था। जिस संस्था की ओर से आपने निर्देश किया है उस के सम्बन्ध में भी शिकायत मिली थी। पुलिस वहां गई तब उस संस्था की कई लड़कियों ने आकर शिकायत की कि हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार किया गया है। इस पर दण्ड कार्यवाही की गई और अभी तक मामला चल रहा है

मैं इस सम्बन्ध में और कुछ नहीं कह सकता। अतः जब कभी सरकार का ध्यान ऐसे किसी मामले की ओर दिलाया जाता है तो कार्यवाही की जाती है। पश्चिमी बंगाल में मेरा यह अनुभव है। यदि वहां अनुज्ञप्ति नहीं तो इस से कोई अन्तर नहीं पड़ता।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं यह तो समझ सकता हूं कि धारा ४२० अथवा अपहरण इत्यादि के लिये दण्ड सम्बन्धी शिकायतें हो सकती हैं, परन्तु बिना वैध उपबन्ध के सरकार निरीक्षण कैसे कर सकती है ?

श्री बिस्वास : सरकार के पास ऐसा करने के ढंग हैं। उसके पास वैध अधिकार भले ही न हों, परन्तु यदि कोई कह दे कि मैं ने निरीक्षण करना ही है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। यदि रोका जाय तो जांच की जाती है। इन में से बहुत सी संस्थाओं को—मैं नहीं जानता कि कैसे—सरकारी अनुदान मिलते हैं। वे ये अनुदान प्राप्त करने में कैसे सफल हुईं, यह स्वयं एक रहस्य है। यदि अनुदान दिया जाता हो, तो वह स्वयं एक साधन है जिसका प्रयोग सरकार निरीक्षण के लिये कर सकती हैं। मैं नहीं समझता कि निरीक्षण के सम्बन्ध में अब तक कोई व्यावहारिक कठिनाई पैदा हुई है या कभी पैदा होगी। यदि सरकार स्वयं कार्यवाही न करे तो यह और बात है। वह ऐसा विषय है जिस पर विचार कर के विधान प्रस्तुत करना चाहिये। मैं नहीं कहता कि विधान की आवश्यकता नहीं। जब कार्यवाही की आवश्यकता हो तो प्राधिकारियों को कार्यवाही करनी चाहिये। ठीक जिस प्रकार वे इन संस्थाओं को धन और परामर्श इत्यादि दे कर सहायता दे सकते हैं उसी प्रकार निरीक्षण कर के बुराइयों को रोक भी सकते हैं।

मैं कहना चाहता हूं कि आप इसे राज्यों पर छोड़ दीजिये, और राज्यों पर जोर डालिये कि यह उनका प्रथम उत्तरदायित्व है, और यह उत्तरदायित्व न केवल वैधानिक है वरन् नैतिक भी है। इस विषय पर राज्य सरकारों को कार्यवाही करनी है इस लिये मेरा यह सुझाव है कि केन्द्रीय विधान से आपको पूरा लाभ नहीं होगा। राज्यों को कार्यवाही करनी होगी। और उन्हें केवल अनुज्ञप्ति देने की बजाय कुछ अधिक करना चाहिये। इस लिये यदि आप यह राज्यों पर छोड़ दें, उन्हें उनके उत्तरदायित्व समझा दें और उन्हें बता दें कि यह वह कार्य है जो उन्हें अवश्य करना चाहिये, तो सरकार वह कार्यवाही करेगी। मैं सरकार की ओर से आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार बार-बार सभी राज्यों को परामर्श देगी और उन्हें इस विषय के सम्बन्ध में अपने उत्तरदायित्वों के लिये अनुरोध करेगी, और यदि उन्होंने पहले कोई कार्यवाही न की हो तो उन से आग्रह करेगी कि वे कार्यवाही करें और विधान भी बनायें। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं।

बाबू रामनारायण सिंह : यदि आप विधेयक को पारित होने दें, तो इस में क्या हानि है ?

श्री बिस्वास : विधेयक क्या है उसमें बहुत सी बातें हैं। यह विधेयक महिलाओं और बालिकों को एक साथ ले लेता है। यह ठीक नहीं वस्तुतः बच्चों की संस्थाओं और महिलाओं की संस्थाओं के शासी निकाय अलग-अलग होने चाहियें। सदा एक से प्रश्न नहीं उठा करते। हो सकता है कि छोटे बालिकों और बालिकाओं में कोई भेद करने की आवश्यकता न हो, परन्तु सभी स्थानों पर ऐसा नहीं है।

आप यह भी देखेंगे कि गृह मंत्रालय का अनैतिक पण्य रोकने के लिये एक विधेयक

[श्री बिस्वास]

है और उस के उद्घोषित उद्देश्यों में से एक यह है कि महिलाओं को बहकाना फुसलाना रोका जाय । अनैतिक पण्य को रोकने के लिये एक व्यापक विधेयक पुरःस्थापित होने वाला है । यह गृह मंत्रालय के पास है ।

सरकार के विरुद्ध बहुत कुछ कहा जा चुका है । प्रायः प्रत्येक बैठक में श्री सत्य नारायण सिन्हा आकर मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों का ब्यौरा बताते हैं । यदि वे आश्वासन पूरे नहीं होते तो सभा का यह कार्य है कि वह मंत्रियों को धक्का देकर गतिशील करे, और ऐसा सख्त धक्का दे जितना उसमें सामर्थ्य है और मुझे विश्वास है कि मंत्री उस धक्के को सहन कर लेंगे ।

बच्चों के लिये बाल विधेयक है । डा० सीता परमानन्द जिन्होंने आज वैसा ही विधेयक राज्य परिषद् में पुरःस्थापित किया है उस संयुक्त प्रवर समिति की भी सदस्या थीं जिस न बाल विधेयक पर विचार किया था । उन्होंने कहा था कि मैं अपना एक टिप्पण अभिलिखित करवा रही हूं, परन्तु इसे विमति टिप्पण न समझा जाय, मेरा यह निवेदन है कि "उपेक्षित बालक" की परिभाषा को और विस्तत बनाना चाहिये । तो भी प्रवर समिति ने उस के मत को स्वीकार नहीं किया । यदि अब ऐसा कर लिया गया है तो उन के विधेयक का उद्देश्य पूरा हो जायेगा । वह विधेयक इसी प्रकार का है । जहां तक बच्चों का सम्बन्ध है वह विधेयक (अर्थात् बाल विधयक) अभी सभा के पास विचाराधीन पड़ा है । इसके द्वारा उस खण्ड में रूपभेद किया जा सकता है । यदि परिभाषा को विस्तार दने से इस विधेयक का उद्देश्य पूरा हो जाता है जो उस विधेयक जैसा ही है । जो डा० सीतापरमानन्द ने दूसरी सभा में पुरःस्थापित किया है तो हमें एक और विधेयक की क्या आवश्यकता है । अभी मामला आपके हाथ में ही है । बाल विधेयक राज्य सभा ने पारित कर दिया है परन्तु यह अभी आपके सामने है और आप सदा इसमें संशोधन कर सकते हैं ।

जहां तक महिलाओं का सम्बन्ध है मैं यह कहना चाहता हूं कि एक विधेयक तैयार किया जा चुका है । उसका प्रारूपगृह मंत्रालय के पास तैयार है । कठिनाई यह है वस्तुतः विधेयक के प्रारूप तैयार कर लिये जाते हैं परन्तु उनकी परीक्षा की आवश्यकता होती है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अनैतिक पण्य तथा वैश्यागृह दमन विधेयक की ओर निर्देश करना चाहता हूं जो १९५३ में पुरःस्थापित किया गया था । एक वर्ष से ऊपर हो चुका है और अभी तक दूसरा विधेयक नहीं आया ।

श्री बिस्वास : दुर्भाग्यवश गृह मंत्री यहां नहीं हैं । इस विषय पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था । प्रसन्नता की बात है कि गृह मंत्री आ गये है । सभा इस बात का स्पष्टीकरण चाहती है कि गृह मंत्रालय ने अनैतिक पण्य को रोकने के लिये विधेयक पुरःस्थापित करने में देरी क्यों की है । यह प्रश्न मुझ से किया गया है । मैं ने कहा है कि इस प्रश्न का उत्तर डा० काटजू को देना चाहिये न कि मुझे ।

श्रीमान्, मैं अधिक समय नहीं लूंगा । डा० काटजू यहां आ गये हैं यदि वे प्रश्न का उत्तर दें तो मेरे लिये बहुत प्रसन्नता की बात होगी ।

श्री डी० सी० शर्मा : विधि मंत्री का इस विधेयक के प्रति निश्चित दृष्टिकोण क्या है ?

श्री बिस्वास: मैं पुनः सदस्य महोदया से प्रार्थना करता हूं कि वे इस विधेयक को वापस ले लें। राज्य सभा में भी डा० सीता परमानन्द ने विधेयक को वापस ले लेने की कृपा की है। यह बात भी है कि अनैतिक पण्य को रोकने के विधेयक की ओर निर्देश किया गया था परन्तु मैं समझता हूं कि इस के साथ हमारा कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

सभापति महोदय: मैं गृह मंत्री की जानकारी के लिये बता दूं कि विधि मंत्री ने बताया है कि अनैतिक पण्य को रोकने के लिये एक विधेयक गृह मंत्रालय के पास विचाराधीन पड़ा है जिसका परोक्ष रूप से महिलाओं की देखभाल इत्यादि से सम्बन्ध है और इस लिये इस विधेयक के लिये आग्रह नहीं करना चाहिये। यदि गृह मंत्री इस सम्बन्ध में कुछ कहना चाहते हैं, तो कहें।

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): जहां तक इस विशेष विषय का सम्बन्ध है मेरा विचार है कि गत सत्र में संसद् ने इस पर चर्चा की थी। तब कुछ समय तक इस विषय पर विचार करने के पश्चात् हम ने इस के बारे में राज्य सरकारों से उन का मत पूछा था क्योंकि यह समवर्ती सूची का विषय है। अब एक विधेयक का प्रारूप तैयार कर लिया गया है। यह शीघ्र ही मंत्रिमंडल की सामान्य स्वीकृति के लिये रखा जायेगा। और मैं अध्यक्ष की स्वीकृति से यह प्रस्ताव करता हूं कि हम उस उदाहरण का अनुसरण करें जिस से दण्ड प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक में बहुत सहायता मिली थी अर्थात् इसे औपचारिक रूप में पुरःस्थापित किये बिना भारत के ग़ज़ट में प्रकाशित किया जायेगा। यह अध्यक्ष महोदय की मंजूरी से किया जायगा। और मेरा इसे इस सत्र में ही अर्थात्, तीन या चार सप्ताह से पूर्व ही करने का और संसद के अगले सत्र में औपचारिक रूप से पुरःस्थापित करने का विचार है। बीच में डेढ़ मास का अन्तर है। यह विधेयक जनता के समक्ष होगा। राज्य सरकारों से परामर्श कर लिया गया है। परन्तु हमें जो टिप्पणियां मिलेंगी मैं उन से लाभ उठाना चाहता हूं और मेरा विचार है कि उन में से यदि कोई अच्छी बात निकले तो इसे उसके अनसार संशोधित करके अगले सत्र में नवम्बर में या दिसम्बर के आरम्भ में औपचारिक रूप से पुरःस्थापित करके सभा को इसे संयुक्त प्रवर समिति को सौंपने के लिये कहूं। इस समय मेरे मन में यह है।

जहां तक बाल विधेयक का सम्बन्ध है, मैं ने आज प्रातः राज्य सभा में जो कुछ कहा था उसी को दोहरा देना चाहता हूं कि यह (अर्थात् राज्य सभा का विधेयक) दो के सम्बन्ध में है, एक तो बच्चों और दूसरे अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु की स्त्रियों के और मैं इस विधेयक को संशोधित करके यह देखूंगा कि क्या हम इस विधेयक में यह बात नहीं रख सकते। मैं ने इस विधेयक को ध्यान से नहीं पढ़ा है। राज्य सभा के विधेयक में केवल यह उपबन्ध था कि बिना लाइसेंस के स्त्रियों के लिये कोई आश्रम नहीं खोला जा सकता और लाइसेंस में निरीक्षण इत्यादि के सम्बन्ध में एक शर्त होनी चाहिये। जहां तक स्त्रियों का सम्बन्ध है हम सम्भवतः इसे उस विधेयक में रखें। बच्चों के सम्बन्ध में तो आप के सामने बाल विधेयक पड़ा ही हुआ है जिसमें यदि सभा चाहे, तो एक धारा निविष्ट की जा सकती है।

अब क्योंकि मैं खड़ा हुआ हूं अतः मैं ने राज्य सभा में जो कुछ कहा था उसे मैं दोहरा देता हूं और वह यह है कि एक ही विषय पर बहुत से विधान बनाना ठीक नहीं है। न्यायालयों में इस से असुविधा होती है। एक समस्या पर एक ही व्यापक विधान बनाना अधिक अच्छा है। इससे विधान मण्डल को वह

[डा० काटजू]

विषय अच्छी प्रकार समझ में आ जाता है और उसके समक्ष इस का एक पूरा चित्र आ जाता है जिस से वे यह बता सकते हैं कि उस समस्या को हल करने का ठीक ढंग क्या है । मैं ने राज्य सभा में जो कुछ कहा था मैं उसे केवल दोहरा रहा हूं । मुझे आशा है कि अनैतिक पण्य दमन विधेयक इस मास के अन्त तक या सम्भवतः अक्तूबर के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित हो जायेगा । और वह विधेयक बहुत व्यापक विधेयक है । हम ने सारी जानकारी से उदाहरण के लिये आदरणीय श्रीमती मणिबेन पटेल द्वारा पुरःस्थापित ग़ैर-सरकरी विधेयक तथा विभिन्न अन्य चीज़ों से लाभ उठाया है । मैं समझता हूं कि यह विधेयक सन्तोषजनक होगा ।

सभापति महोदय : क्या प्रस्तावित कुछ कहना चाहती हैं ?

श्रीमती मणिबेन पटेल (कैरा—दक्षिण): चेयरमैन साहब, मैं ने बहुत ग़ौर से क़ानून मंत्री की स्पीच सुनी, पर मेरी समझ में यह नहीं आया कि इस सम्बन्ध में सरकार का क्या एटीच्यूड है । मुझ से इस बिल को विदड्रा करने को तो कहा, मगर क्यों वापिस लेने को कहते हैं और सरकार इसके बारे में क्या करेगी और कब बिल लायेगी और कितने दिन का समय चाहती है, यह नहीं बतलाया गया और इस कारण उन्होंने जो मुझे धीरज रखने की बात कही, वह मेरी समझ में नहीं आती । जहां तक लोक-सभा का ताल्लुक़ है, हर पक्ष इस बिल का समर्थन कर रहा है और इसको चाहता है । अब तो इसमें हमारे मंत्री महोदय ने कुछ ग़लतियां बतलाई हैं तो आखिर हम बहनें कोई वकील तो नहीं हैं और अगर वे समझते हैं कि इसमें कुछ क़ानूनी ग़लतियां रह गयी हैं और आप उसमें कुछ तबदीली करना चाहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ संशोधन करना चाहिये तो आप हमको वैसा बतलाइये और आवश्यकतानुसार संशोधन लाइये, यह तो समझ में आता है लेकिन आपका हमसे यह कहना कि इस बिल को वापिस ले लो, यह मेरी समझ में नहीं आता । और जो बच्चों के दिल की बात आप कर रहे हैं तो मेरी राय में इस बिल से उसका स्कोप बहुत कम है । सरकार अगर कहती है कि इस में ग़लतियां हैं तो उनको निकाल कर ठीक करे और उसमें जितना सुधार करना है, करे और उसे लाने की कोशिश करे तो वापिस लेने की बात समझ में आ सकती है लेकिन बग़ैर ऐसा किये समझ में नहीं आता है कि वह वापिस लेने को क्यों कहते हैं ।

सभापति महोदय: क्या मैं यह समझूं कि माननीय सदस्या विधेयक को वापिस लेना नहीं चाहती है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : उन्होंने माननीय मंत्री से कहा है कि वे यह बतायें कि वे यह क्यों चाहते हैं कि वह इस विधेयक को वापिस ले ले । उन के बताने पर वे उस पर विचार करेंगी और सम्भवतः इसे वापस ले लें ।

सभापति महोदय: ऐसा प्रतीत होता है कि यह विधेयक स्त्रियों और बच्चों के सम्बन्ध में है । कुछ माननीय सदस्यों का कहना है कि दोनों के लिये अलग-अलग दो विधेयक होने चाहियें । माननीय गृह मत्री ने बताया है कि बच्चों के सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार है.....

डा० काटजू : राज्य सभा एक बाल विधेयक पारित कर चुकी है जो लोक-सभा के पास पड़ा हुआ है और आपके निणय के लिये आयेगा । यह सरकार विधेयक है ।

यदि माननीय सदस्य उस में कोई रूप-भेद या सुधार करना चाहें, तो वह किया जा सकता है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : बहुत से राज्यों में भी बाल विधेयक हैं ।

सभापति महोदय : आप कहती हैं कि गवर्नमेंट ने केवल चिल्ड्रेन के बारे में उस हाउस में बिल रक्खा था और वही बिल पास हो कर इधर आया है । तो चिल्ड्रेन का सवाल तो उस में है और औरतों के बारे में जो बिल है उस के लिये, जहां तक मैं ने उन को सुना और समझा है, यह है कि इम्मारल ट्रैफिक के सुप्रेशन के लिये वह अलग बिल लायेंगे । उस बिल में और भी सारे एलाइड सब्जैक्ट्स आ जायेंगे । उन का कहना है कि वह बिल जल्दी ही आने वाला है । तो अगर आप को सन्तोष हो तो आप यह बिल वापस ले सकती हैं । यह स्थिति है ।

श्रीमती मणिबेन पटेल : बात यह है कि मैं ने आपके दातार साहब से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बिल से मेरी कोई निस्बत नहीं है और हमारे बिस्वास साहब कहते हैं कि यह बिल वापस लो । लेकिन वापस लेने का कारण नहीं बतलाते हैं । यह तो मेरी समझ में आता है कि राज्य सभा में एक बिल पास हुआ है, लेकिन इस बिल के लिये मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं । जिन के चार्ज में यह बिल है वह कहते हैं कि मेरे चार्ज में नहीं है । दूसरे से पूछो तो वह कहते हैं कि मेरे चार्ज में नहीं है । जिन के चार्ज में यह बिल है अगर वह आ कर कहें कि उन के बिल की शक्ल ऐसी है तब तो वापस लेने की बात समझ में आ सकती है ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोड) : सभा का मत ले लिया जाय ।

श्री बिस्वास : मैं ने यह नहीं कहा कि मैं एक विधेयक प्रस्तुत करने वाला हूं । परन्तु डा० काटजू ने यह कहा है कि बाल विधेयक में कुछ संशोधन करने से--श्रीमती सीता परमानन्द का टिप्पण भी है ही--उद्देश्य पूर्ति हो जायेगी ।

सभापति महोदय : माननीय सदस्या बाल विधेयक के सम्बन्ध में तो सन्तुष्ट हैं, स्त्रियों के सम्बन्ध में वे कुछ और स्पष्टीकरण चाहती हैं ।

श्री बिस्वास : मैं ने विधेयक का प्रारूप नहीं देखा है, अतः मैं इस विषय में स्पष्टीकरण नहीं दे सकता । सम्भवतः इसी कारण मेरे माननीय सहयोगी ने उत्तर दिया है ।

सभापति महोदय : मेरे विचार में यदि माननीय गृह मंत्री निश्चित रूप से कुछ बतायें कि अनैतिक पण्य को रोकने के सम्बन्ध में क्या किया जायेगा, तो सम्भवतः माननीय सदस्या इस पर विचार करें ।

डा० काटजू : श्रीमान चेअरमैन साहब, मुझे दुःख है कि मैं ने पहले विदेशी भाषा में दो चार शब्द कहे थे । अब मैं हिन्दी में कहता हूं कि बिल का जो मस्विदा बना है वह बड़ा लम्बा चौड़ा है । इस को इस मसले पर पूरी तरह नज़र डाल कर बनाया गया है । मस्विदा तैयार हो गया है । उस को सारी प्रदेशों की गवर्नमेंटों से मशविरा ले कर, मेरी बहन का जो बिल पहले था उस को देख कर और इन्टरनेशनल कन्वेन्शन जो हैं उन को मद्दे नज़र रख कर, बनाया गया है । मस्विदा तैयार है और मुझे आशा है कि या तो इस महीने के आखीर में या ज्यादा से ज्यादा तीसरी या चौथी अक्तूबर तक यह बिल ग़ज़ट आफ इंडिया में छप जायेगा । उस के बाद जब पार्लियामेंट का अगला सेशन होगा, वह १४ नवम्बर से

हो या जब से भी हो, तब मैं इस बिल को यहां पेश कर दूंगा। साथ ही उस को पेश करने के बाद मैं यह तजवीज करूंगा कि उस को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। मेरी यह कोशिश होगी कि बहुत सी महिलाओं को जो कि मेम्बर हैं उस कमेटी में साथ लूं ताकि उन के मशविरे से हम को फायदा मिले और उस बिल में जो भी घटाना बढ़ाना हो वह सब हो सके।

मैं एक बात कह दूं, और मैं एक वकील की दृष्टि से कह रहा हूं, कि एक समस्या पर अगर एक ही कानून बने तो वह समझने में भी अच्छा होता है और बनाने में भी अच्छा होता है। साथ ही वकीलों और जजों को भी उसके बारे में फैसले करने में आसानी होती है। यह कोई सुन्दर बात नहीं है कि एक ही समस्या पर तीन २ चार २ कानून हों। एक टुकड़े के बाद हम दूसरा टुकड़ा रखें और दूसरे के बाद तीसरा टुकड़ा रखें यह अच्छा नहीं होता है। इसी कारण मेरे मित्र ने जो कि न्याय मंत्री हैं यह कहा कि आप अगर उस को वापिस ले लें तो अच्छा होगा।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं माननीय प्रस्तावक से प्रार्थना करूंगा कि वह इस अवस्था पर विधेयक पर विचार के लिये आग्रह न करें। माननीय गृह मंत्री दिसम्बर में इस विषय पर एक दूसरा विधेयक प्रस्तुत करेंगे। यदि वह विधेयक संतोषजनक हुआ तो माननीय सदस्य सम्भवतः इस विधेयक को वापस लेना चाहेंगी। इस लिये इस विधेयक को उस समय तक स्थगित कर देना चाहिये।

सभापति महोदय : तो इसके लिये किसी को प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिये।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक को दिसम्बर तक, जब तक कि दूसरा विधेयक इस सदन में पुरःस्थापित नहीं हो जाता स्थगित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है कि:

"वाद-विवाद को स्थगित किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : इस विधेयक पर विचार स्थगित किया जाता है।

सभा का कार्य

सभापति महोदय : अन्य कार्यवाही शुरू करने से पहले मुझे सोमवार, ६ सितम्बर १९५४ की कार्यवाही के बारे में एक घोषणा करनी है। वह यह है कि विशेष विवाह विधेयक पर खंडशः विचार पुनः जारी करने से पहले चावल पर निर्यात शुल्क में वृद्धि के बारे में और मूंगफली के तेल पर निर्यात शुल्क के आरोपण के बारे में दो सरकारी संकल्पों पर विचार किया जायेगा। सोमवार को यह कार्य पहले लिया जायेगा।

सभापति महोदय : अब अगला कार्य यह है कि :

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती प्रस्ताव करेंगी कि विवाहों के सम्बन्ध में दहेज लेने या देने के निरोध का तथा तत्सम्बन्धी आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

आपको याद होगा कि इस प्रकार का एक विधेयक श्रीमती उमा नेहरू ने प्रस्तुत किया था। यह १६ जुलाई, १९५२ को श्रीमती उमा नेहरू ने पुरःस्थापित किया था। विचार का प्रस्ताव २८ अगस्त, १९५३ को किया

गया था । और २७-११-१९५३ को इसे सदन की अनुमति से वापस ले लिया गया था, जब सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह इस विषय पर एक विधेयक पुरः-स्थापित करेंगे । मेरे विचार में हम ने हाल में इस सारे विषय पर विचार किया है...

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: मैं कुछ शब्द कहने की अनुमति चाहती हूं । सरकार के आश्वासन के बावजूद हमें आज तक प्रारूप विधेयक प्राप्त नहीं हुआ । और हमें मालूम नहीं कि यह कब पुरःस्थापित किया जायेगा ? हम नये विवाह विधेयकों के बारे में प्रचार करते रहे हैं, किन्तु हमें सब से अधिक समर्थन दहेज़ निरोध विधेयक के लिये प्राप्त हुआ है । आप को ज्ञात है संसद् को याचनायें भी प्राप्त हुई हैं, जिन पर लगभग १३,००० व्यक्तियों के हस्ताक्षर हैं । उन्होंने कहा है कि यदि सरकार अपना विधेयक प्रस्तुत न करे, तो मैं अपने विधेयक पर आग्रह करूं । इस लिये मैं जानना चाहूंगी कि सरकार किस तिथि तक अपना विधेयक प्रस्तुत करेगी ।

सभापति महोदय: मैं माननीय विधि मंत्री से इस विधेयक के बारे में स्थिति जानना चाहूंगा ।

विधि तथा अल्प-संख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास): मैं ने अपने माननीय मित्र को बताया है कि प्रारूप विधेयक मेरे सामने है किन्तु मैं इस के सब खंडों की जांच नहीं कर सका हूं । मैं कुछ खंडों से सन्तुष्ट नहीं हूं । मुझे आशा है कि मैं इस विधेयक को सत्र के अन्त से पहले पुरःस्थापित कर दूंगा ।

सभापति महोदय: क्या माननीय सदस्या इसे प्रस्तुत करना चाहती है ?

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती: जी नहीं ।

अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां) संशोधन विधेयक

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

> "अत्यावश्यक वस्तुयें (अस्थायी शक्तियां) अधिनियम, १९४६ का अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये" ।

धारा ७ के सम्बन्ध में, मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर दिलाता हूं कि इस धारा के अन्तर्गत विभिन्न अपराधों के लिये दण्ड निर्धारित किये गये हैं । मैं यह चाहता हूं कि खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में धारा ७(२) में जो दण्ड व्यवस्था है वह सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में धारा ७(१) में दिये हुये दण्डों पर भी लागू हो । सूती वस्त्रों के सम्बन्ध में न्यायालय को स्वविवेक के प्रयोग का बिल्कुल अधिकार नहीं है । जिस सम्पत्ति के सम्बन्ध में उल्लंघन किया गया हो, उसे न्यायालय को ज़ब्त करना ही होगा चाहे उस सम्पत्ति से अपराधी का सम्बन्ध हो या न हो । खाद्य पदार्थों सम्बन्धी धारा ७(२) के सम्बन्ध में विधि यह है कि यदि किसी खाद्य पदार्थ के सम्बन्ध में अपराध किया गया हो, तो न्यायालय स्वविवेक अनुसार उसे ज़ब्त कर सकता है या छोड़ सकता है ।

अतः सूती कपड़ा और खाद्य पदार्थों के अतिरिक्त अन्य सब वस्तुओं के सम्बन्ध में, जब तक मूल आदेश में यह उपबन्ध नहीं है कि न्यायालय के पास शक्तियां है, न्यायालय ज़ब्ती नहीं कर सकता है । खाद्य पदार्थों के सम्बन्ध में उसे ज़ब्त करने का अधिकार है, सूती कपड़े के सम्बन्ध में कदापि किसी तरह का कोई अधिकार नहीं है ।

अब, विधेयक के प्रथम भाग का उद्देश्य धारा ७ को संशोधित करना है ताकि खाद्य

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

पदार्थों के सम्बन्ध में वर्तमान में लागू होने वाले उपबन्ध सूती कपड़ों के सम्बन्ध में भी लागू हो सकें ।

हमें स्मरण है कि संविधान के अनुच्छेद में हमने वैयक्तिक सम्पत्ति को मान्यता दी है और सम्पत्ति-स्वामी को उसे बेचने का अधिकार है । जब स्वयं न्यायालय का यह निर्णय है कि जिस व्यक्ति की सम्पत्ति ज़ब्त की जा रही है वह निर्दोष है तो सम्पत्ति ज़ब्त करने का कोई कारण नहीं है ।

यदि हम अधिनियम के दूसरे उपबन्धों की ओर देखें तो हमें मालूम होगा कि स्वयं अधिनियम ने इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है । विधि के अनुसार ग़लती करने वाले व्यक्ति को ही हानि उठाना चाहिये । फिर निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली विधि की क्या आवश्यकता है ।

सभापति महोदय : मेरा विश्वास है अभी माननीय सदस्य कुछ समय तक बोलेंगे ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : अवश्य ।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार के सवेरे सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित की जाती है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, ६ सितम्बर, १९५४ के सवा आठ बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

GIPD—HS—202 LSD—5-1-55—000